अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

(Minority Benefits)

व्यवसायियों के लिए योजनाओं का संग्रह

-बबीता जैन

अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

(Minority Benefits)

व्यवसायियों के लिए योजनाओं का संग्रह

लेखिका
बबीता जैन

प्रकाशक :
श्रुत संवर्द्धन संस्थान
प्रथम तल, 247 दिल्ली रोड, मेरठ-250002

आचार्य 108 श्री शांतिसागर 'छाणी' महाराज की गौरवशाली परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य
प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरूवर आचार्यरत्न 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज के
प्रथम समाधि दिवस पर प्रकाशित

अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

व्यवसायियों के लिए योजनाओं का संग्रह

श्रुत संवर्द्धन संस्थान, 2021

पुण्यार्जक :

स्व॰ श्री मुकेश चंद 'गर्ग' जैन की स्मृति में
उनके सुपुत्र श्री पंकज गर्ग जैन एवं पियूष 'गर्ग' जैन
निवासी नदवई जिला भरतपुर (राज॰)

प्रथम संस्करण : 2021, 1100 प्रतियाँ

न्योछावर राशि : ₹125/- (पुनर्प्रकाशन हेतु)

प्राप्ति स्थान :

श्रुत संवर्द्धन संस्थान
प्रथम तल, 247 दिल्ली रोड
मेरठ- 250002 (उ॰प्र॰)

संस्कृति संरक्षण संस्थान
32/3C कांति नगर एक्सटेंशन
दिल्ली- 110051
फोन : 9811350254, 9312243845

प्राच्य श्रमण भारती
12/ए निकट जैन मंदिर
प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर- 251001 (उ॰प्र॰)

आशीर्वचन

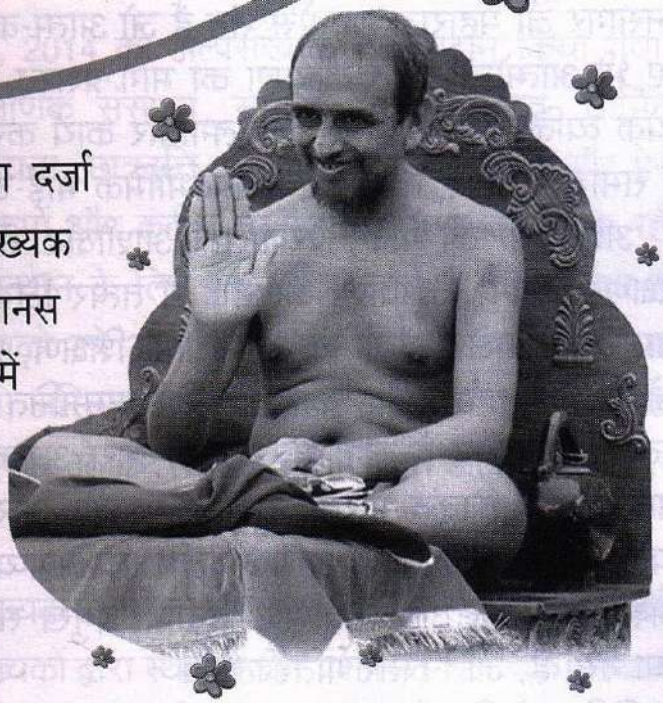

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिलने के बाद सरकार द्वारा दी जा रही अल्पसंख्यक सुविधाओं की जानकारी समाज के समस्त जनमानस तक पहुँचाना अति आवश्यक है। इस विषय में श्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, श्री सुरेश जैन, (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी) श्रीमती बबीता जैन एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य सराहनीय हैं।

इसी क्रम में बबीता जी ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी संकलित करके इस पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक समाज के सभी वर्गों को एवं खासकर वंचित व्यक्तियों तक पहुँचकर उन्हें अल्पसंख्यक सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी जिससे वे लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

आज समाज में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और समाज को जागरूक करने का दायित्व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का है। अल्पसंख्यक अधिकारों का प्रयोग करके हम समाज के अल्प आय वर्ग के लोगों को सामान्य धारा में ला सकें, ऐसी आशा है।

इस कार्य के लिए बबीता जी को शुभाशीष प्रदान करते हुए समाज के सभी वर्गों के प्रति अपना आशीर्वचन प्रेषित करता हूँ।

–आचार्य ज्ञानसागर

प्रकाशकीय

गौरवशाली जैन श्रमण परंपरा के अनेक संतों ने समय-समय पर भारत की पावन धरा पर जन्म लि
है। इन महान संतों ने मानव-जाति के लिए ही नहीं अपितु प्राणी-मात्र के कल्याण हेतु अपना पूरा जी
समर्पित कर दिया। सत्य, अहिंसा, संयम, तप और त्याग जैसे दैवीय गुणों से अलंकृत परम पावन आच
ज्ञानसागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो आत्म-कल्याण के अपने प्रथम लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए दुसरों
लिए भी आत्मोन्नति एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। पूज्य गुरुवर समाज
प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, शाकाहार की महत्ता को स्थापित करते हुए दे
एवं समाज में प्यार, करूणा एवं सार्वभौमिक भाई-चारे का संदेश फैला रहे हैं।

आचार्यश्री की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से स्थापित 'श्रुत संवर्द्धन संस्थान' दुर्लभ आगम ग्रंथों
संरक्षण-संवर्द्धन, जिनवाणी की सेवा में तत्पर जिनवाणी के महान सपुतों एवं अन्य क्षेत्रों यथा- प्रशासनि
सेवा, न्यायिक क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षण, प्रबंधन आदि क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों को उनके संबंधि
क्षेत्रों में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करके सशक्त समाज एवं राष्ट्रनिर्माण के क्षेत्र में अप
महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। संस्थान द्वारा अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों- तिलोय-पण्णत्ति, प्रमेय कमल मार्तंड
कषाय पाहुड, कुंदकुंद भारती, भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, एवं न्याय कुमुदाचार्य परिशील
इत्यादि सहित 200 से भी अधिक दुर्लभ एवं अप्राप्य ग्रंथों तथा जनसामान्य के लिए उपयोगी सत्साहित्य क
प्रकाशन करा कर उनको विशिष्ट विद्वानों, प्रमुख संस्थानों तथा जन-जन तक पहुँचाने का सराहनीय प्रयास
किया गया है, जो निरंतर गतिशील है।

विदित हो कि जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है, जिस कारण जैन समुदाय के सदस्य एव
उनके द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य
सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभों के हकदार हैं। अल्पसंख्यक जैन समुदाय को
उनकी जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध विभिन्न लाभों के बारें में जानकारी हिंदी भाषा उपलब्ध
कराने की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी। हमारे लिए गौरव का विषय है कि श्रीमती
बबिता जैन ने अथक परिश्रम करके संबंधित सभी उपलब्ध जानकारियों को संकलित करके पुस्तकाकार में
प्रस्तुत किया है।

हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस बहुपयोगी पुस्तक के प्रकाशन का सौभाग्य श्रुत संवर्द्धन संस्थान
को प्राप्त हुआ है। आशा है कि पुस्तक जैन समुदाय, उनके संस्थानों, समाज, व्यापारियों, छात्रों, धार्मिक
स्थानों, ट्रस्ट इत्यादि को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, अनुदान, ब्याज सब्सिडी और ऐसे अन्य लाभों को प्राप्त
करने के लिए सहायक सिद्ध होगी। हम अपने प्रकाशपुंज एवं इस प्रकाशन के प्रेरणास्रोत परमपूज्य आचार्यरत्न
108 श्री ज्ञानसागरजी महाराज, जो निर्विवाद रूप से सर्वकालिक महान संतों में से एक हैं, के पावन चरणों में
सविनय नमोस्तु निवेदित करते हैं।

हंस कुमार जैन

महासचिव
श्रुत संवर्द्धन संस्थान

प्रस्तावना

जैन समुदाय को भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी, 2014 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया। अब जैन समुदाय के पुरुष और महिलाएँ, उनके शैक्षणिक संस्थान, समाज, व्यापारी, छात्र, धार्मिक संस्थान गैर-सरकारी संगठन ट्रस्ट इत्यादि, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, अनुदान, ब्याज सब्सिडी और ऐसे अन्य लाभ जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, उपक्रमों और कई राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए प्रदान किए जाते हैं, के हकदार हो गए हैं। संविधान का मौलिक सार यह है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, संस्कृति और भाषा को रक्षा करनी चाहिए ताकि वे आत्म-सम्मान की भावना के साथ, अस्तित्व में रह सके। इसलिए हमें अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर समाज को शिक्षित और उन्नत करने का संकल्प लेना चाहिए।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की स्थापना नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ सन् 2004 में हुई थी। आयोग अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करता है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ताकि वे अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को सुचारु रूप से चला सकें। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने के लिए पहले अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं देता हैं, तो संस्थान सीधे आयोग में आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने की घोषणा पर, संस्थान सरकार के हस्तक्षेप किए बिना शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अपने- आप नियुक्त कर सकते हैं। संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दे सकती है और फीस निर्धारित कर सकती है। आरक्षण नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम ऐसे संस्थानों में लागू नहीं है। पूर्व मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन छात्रवृत्ति केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जाती है। प्रत्येक छात्र को अपने स्कूल से इन छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

100 से 1000 रुपए मासिक तक की छात्रवृत्तियाँ उन छात्रों को दी जाती हैं जिनकी परिवारों की कुल वार्षिक आय विभिन्न योजनाओं के तहत एक या दो लाख रुपए से कम है। कुछ राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं जबकि कुछ राज्य अपनी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और लेखक सामग्री प्रदान की जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के छात्रों को इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति प्रदान करता है। साथ ही बोर्ड कक्षा 1 से तक पढ़ाई करने वाली लड़कियों को प्राकृतिक और मूल विज्ञान के पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृ प्रदान करता है। डॉ० अंबेडकर फांउडेशन 10 वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान करता इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉपोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, फांउडेशन फॉर अकादमिक एक्सीलें केसीए महिंद्रा शिक्षा ट्रस्ट, कई अन्य धार्मिक ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठन अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों छात्रवृत्ति देते हैं। विभिन्न बैंक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएमसी) पेशेवर अ तकनीकी अध्ययनों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शु की गई ब्याज सब्सिडी योजना के तहत, शिक्षा ऋण पर ब्याज पर पूर्ण सब्सिडी का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) स्व-रोजगार और आय उत्पन्न करने वा गतिविधियों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करना है। एनएमडीएफसी योजनाओं के तह सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड दो लाख रूपये है। ग्रामीण क्षेत्रों के लि प्रतिवर्ष 6 से 9 प्रतिशत ब्याज दर पर लाभार्थी को 20 से 30 लाख तक ऋण उपलब्ध है।

विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्राल (www.mhrd.gov.in) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (www.minortyaffairs.gov.in) राष्ट्री अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था, आयोग (www.ncmei.gov.in), मौलाना आजाद एजूकेशन फांउडेश (www.maef.nic.in) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (www.ugc.ac.in) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बो (www.cbse.nic.in), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (www.nmdfc.org) राष्ट्रीय शिक्ष संस्थान (www.nios.ac.in) इत्यादि भी बेवसाइट देखें।

–बबीता जै

आभार/स्वीकृतियाँ

मैं आचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अल्पसंख्यक समुदायों के विभिन्न लाभों के बारें में, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी एकत्र करने और अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से जैन समुदाय की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए पुस्तक के रूप में संकलित करने के लिए प्रेरित किया। मैं उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे विभिन्न बेवसाइटों, पुस्तकों से इस तरह की जानकारी एक ही स्थान पर संग्रहित करने में सहयोग प्रदान किया। मुझे अपनी टिप्पणी की पेशकश की, पढ़ने, लिखने, संपादन और डिजाइन में सहायता प्रदान की।

मैं अपने परिवार के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हर समय अपना समर्थन दिया और उनके समय में से कुछ समय पुस्तक को देने के बावजूद मुझे प्रोत्साहित किया। जानकारी का संग्रह एवं उसका संकलन एक लंबी एवं कठिन यात्रा थी। मैं चयन, प्रारूप और संपादन की प्रक्रिया में प्रारंभ में मेरी सहायता करने के लिए श्री प्रदीप कुमार जैन, श्री अनुज कुमार जैन और श्री किशोर कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगी। आकर्षक तरीके से व्यापक अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित करने के लिए मैं श्रुत संवर्धन संस्थान की आभारी हूँ। श्री हंस कुमार जैन के लिए विशेष धन्यवाद जो मूल अंग्रेजी संस्करण व्यापक पुस्तक के रूप में लेकर आए और मुझे आम जनता की जानकारी के लिए इन छोटी और आसान पुस्तकों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज के लिए एक बार फिर धन्यवाद जिनके आदेश एवं मार्गदर्शन के बिना इन पुस्तकों का प्रकाशन संभव नहीं था और यह पुस्तकें अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित लोगों जो वास्तविक अर्थों में इन छात्रवृत्तियों, ऋणों, अनुदान आदि के पात्र हैं, की मदद करने के लिए, कभी भी नहीं आ पाती।

मूल अंग्रेजी संस्करण के हिंदी अनुवाद में मेरे सहयोग के लिए श्रीमती अनुभा जैन यमुनानगर का आभार जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद भी समय दिया और हिंदी अनुवाद लाने में सहयोग प्रदान किया।

और अंत में मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए क्षमा माँगना चाहूँगी जो इस पुस्तक के प्रकाशन में वर्षों से मेरे साथ रहे और मुझे सहयोग प्रदान करते रहे परंतु जिनका नाम मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर पाई हूँ।

विषय सूची

क्रम सं०	अध्याय का नाम	पेज नं०
(i)	आशीर्वचन	iii
(ii)	प्रकाशकीय	iv
(iii)	प्रस्तावना	v-vi
1.	राजपत्र अधिसूचना आदेश/ कार्यालय ज्ञापन	1-7
2.	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15- सूत्रीय कार्यक्रम	8-16
3.	प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन कवर की गई योजनाएँ	17-20
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	21-35
5.	सीखो और कमाओ-कौशल विकास योजना	36-53
6.	उस्ताद-कौशल उन्नयन तथा पारंपरिक कलाओं/शिल्पों की प्रशिक्षण योजना	54-69
7.	केंद्रीय क्षेत्र की उस्ताद योजना से संबंधित नियम एवं शर्तें	70-72
8.	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)-दिशा निर्देश	73-88
9.	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)-प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न	89-99
10.	छात्रवृत्ति एवं सहायता देने वाली जैन संस्थाएँ	100-111
11.	लेखिका के बारे में	112

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.आ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]

ललित के. पंवार, सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain community as a minority community in addition to the five communities already notified as minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) *vide* Ministry of Welfare Notification No. S.O. 816(E), dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

[F. No. 1-1/2009-NCM]

LALIT K. PANWAR, Secy.

390 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1227] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936
No. 1227] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISTHA 16, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

का.आ. 1477(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 2 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ज़रदुश्त (पारसी) और जैन समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 11-60/2013-एमसी]

वीना ईश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2014

S.O. 1477(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, (2 of 2005), the Central Government hereby notifies the communities, viz., Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) and Jains as minority communities for the purposes of the said Act.

2. This issues with the approval of the competent authority.

[F. No. 11-60/2013-MC]

VEENA ISH, Jt. Secy.

2344 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(To be published in the Gazette of India Extraordinary in Part II, Section 3 Sub-Section (ii)

Government of India
Ministry of Welfare

-.-

Shastri Bhavan, New Delhi-1
Dated, the 23rd Oct., 1993

NOTIFICATION

S.O.No. 816 (E) . In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the following communities as "the minority communities" for the purposes of the said Act, namely :-

1. Muslims,
2. Christians,
3. Sikhs,
4. Buddhists,
5. Zoroastrians (Parsis).

(P.K. Mohanty)
JOINT SECRETARY

F.No. 1/11/93 - MC(D)

The Manager,
Government of India Press,
Maya Puri,
New Delhi.

Copy to :

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
3. President's Secretariat, New Delhi.
4. Vice-President's Sectt., New Delhi.
5. Cabinet Sectt., New Delhi.
6. Union Public Service Commission, Dhol Pur House, New Delhi.
7. Election Commission, Nirvachan Sadan, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
10. National Commission for Minorities, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

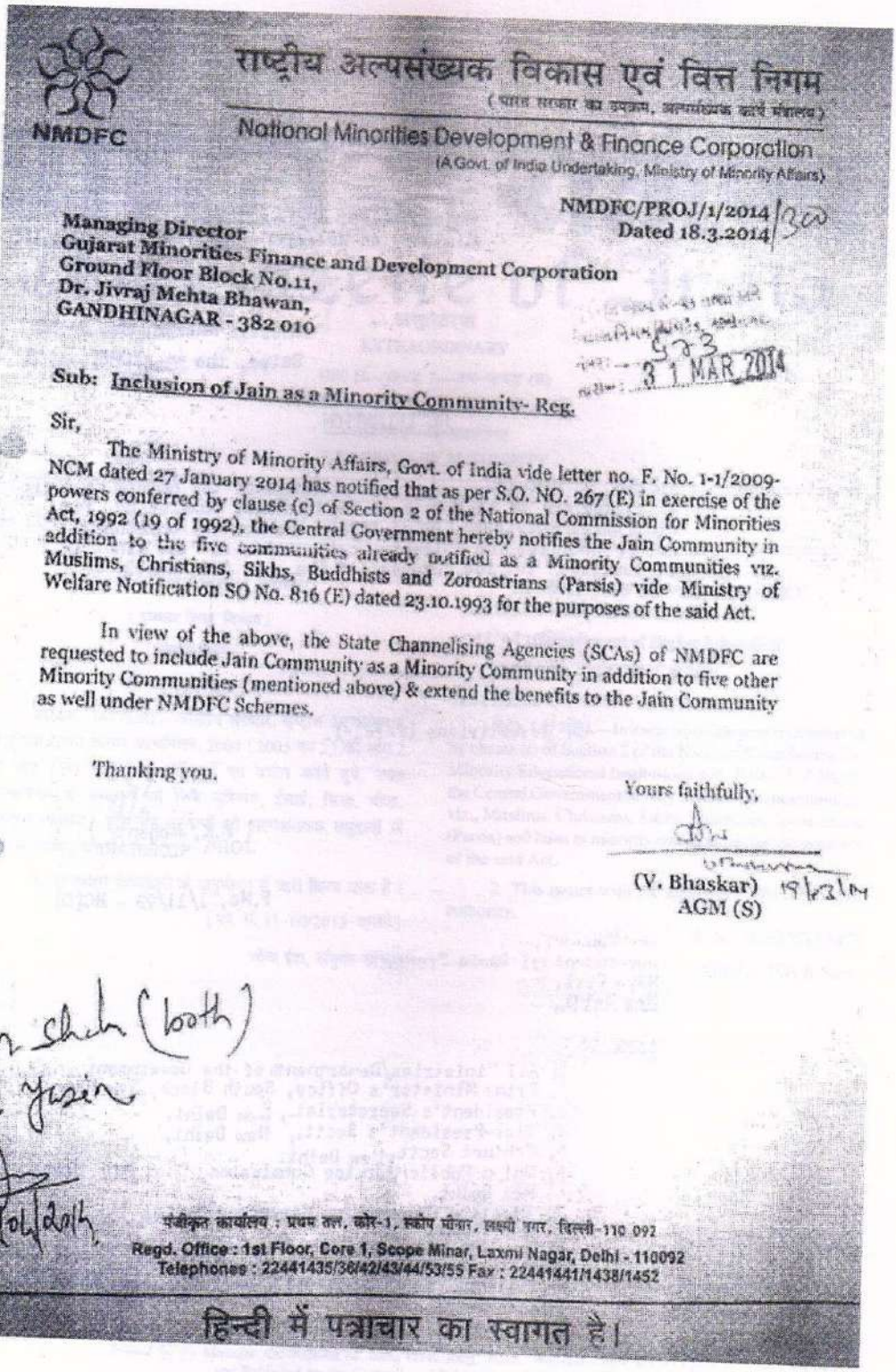

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

NMDFC

National Minorities Development & Finance Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Minority Affairs)

NMDFC/PROJ/1/2014/300
Dated 18.3.2014

Managing Director
Gujarat Minorities Finance and Development Corporation
Ground Floor Block No.11,
Dr. Jivraj Mehta Bhawan,
GANDHINAGAR - 382 010

573
31 MAR 2014

Sub: Inclusion of Jain as a Minority Community- Reg.

Sir,

The Ministry of Minority Affairs, Govt. of India vide letter no. F. No. 1-1/2009-NCM dated 27 January 2014 has notified that as per S.O. NO. 267 (E) in exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain Community in addition to the five communities already notified as a Minority Communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) vide Ministry of Welfare Notification SO No. 816 (E) dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

In view of the above, the State Channelising Agencies (SCAs) of NMDFC are requested to include Jain Community as a Minority Community in addition to five other Minority Communities (mentioned above) & extend the benefits to the Jain Community as well under NMDFC Schemes.

Thanking you.

Yours faithfully,

(V. Bhaskar) 19/3/14
AGM (S)

M. Shah (both)
M. Yasin
2/4/2014

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोर-1, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092
Regd. Office : 1st Floor, Core 1, Scope Minar, Laxmi Nagar, Delhi - 110092
Telephones : 22441435/36/42/43/44/53/55 Fax : 22441441/1438/1452

हिन्दी में पत्राचार का स्वागत है।

F. No. 2/37(2)/2014-SS
Government of India
Ministry of Minority Affairs

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003
Dated 22.08.2014

To

The Principal Secretary/Secretary,
All State Governments/UT Administrations of

_____

Subject: Removal of requirement of Affidavits for Minority Community Certification and Income Certification for availing Scholarships- regarding

Sir/Madam,

It has been decided with the approval of Competent Authority in the Ministry that requirement of submission of Affidavit towards (i) Community Certificate and (ii) Income certificate under Pre-matric, Post-matric, and Merit-cum-Means based Scholarship Scheme for students belonging to the notified minority communities have been done away with immediate effect. However, this may not apply for application already received by the State Government/UT Administration under these Schemes.

2. For Community Certificate, self-certification of the student is sufficient while for income certification, only the certificate issued by the Competent Authority of the State/UT concerned will be accepted.

3. It is requested that necessary directions may be issued by the State Government/UT Administration in this regard.

4. Documentation under the Scholarship Schemes for students belonging to the minority community also stands amended.

Yours faithfully,

22/8

(Pradeep Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele no. : 011- 24364310

Copy to:
1. PS to Hon'ble Minister (MA)
2. Sr. PPS to Secretary (MA)
3. PS to Joint Secretary (SS)
4. PPS to Joint Secretary (A&P)
5. Tech. Director (NIC) with the request to upload the letter on the web site of this Ministry in Whats New as well as in the Scheme guidelines of all three Scholarship Schemes.

सं. 1-9/2014-मीडिया

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2015

कार्यालय ज्ञापन

उप. "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" -अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के योजनाओं/कार्यक्रमों में आवेदकों द्वारा दस्तावेजों की स्वघोषणा।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों में आवेदकों से तत्काल प्रभावः से निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वघोषणा/ स्वप्रमाणन/स्व-प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा।

क्र.सं.	योजनाओं का नाम/कार्यक्रम	छात्रों/लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं से प्राप्त दस्तावेज	अधिकारियों जो दस्तावेज एकत्र करना
1.	शैक्षिक योजनाएँ सभी छात्रवृत्ति/ फैलोशिप योजनाओं कोचिंग कार्यक्रम पढ़ो परदेश योजना	(i) धर्म प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) पिछले वर्ष की मार्कशीट	स्कूलों/संस्थानों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य या यूटी सरकारों
2.	नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व लिए योजना	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक प्रमाण-पत्र	गैर-सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएँ
3.	सीखो और कमाओ, कौशल विकास पहल	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक प्रमाण-पत्र	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों
4.	एनएमडीएफसी की ऋण कार्यक्रम	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक ऋण के मामले में पिछले वर्षों की मार्कशीट (iv) कोई अन्य शपथ-पत्र	एनएमडीएफसी और उसके राज्य चैनल एजेंसियों को करना

2. जैसा कि ऊपर तालिका में कॉलम-IV में उल्लेख किया गया है, सभी प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों के सत्यापन पर तब तक जोर दें जब तक कि यह कानून द्वारा अपेक्षित न हो।
3. इस तरह के स्व-प्रमाणिकीकरण/स्व-परीक्षण के लिए आवश्यक प्रारूप पहले ही मंत्रालय की वेबसाइट पर और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित है।

एसडी/-
(अनुराग बाजपेयी)
निदेशक

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए
प्रधानमंत्री का नया 15- सूत्रीय कार्यक्रम

(क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य है- उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं का सम्पूर्ण विकास इसके लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं; जैसे- संपूरक पोषण, स्वास्थ्य जाँच, प्रतिरक्षीकरण, परामर्श सेवाएं, पूर्व स्कूल व अनौपचारिक शिक्षा। आईसीडीएस प्रोजेक्ट और आंगनबाड़ी केन्द्र की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गाँवों/प्रखण्डों में स्थापित की जाएगी ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी उचित रूप से मिल सके।

2. विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे विद्यालय की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गाँवों/क्षेत्रों में स्थापित की जायें।

3. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन

उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम चौथाई जनसंख्या की सेवा करते हों।

4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

एरिया इंटेशिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय योजनागत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अवसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए, यह कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित व प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।

5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बनायी एवं कार्यान्वित की जाएगी।

6. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से भौतिक अवसंरचना को उन्नत करना

सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी सम्भव सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ व व्यापक कर सके।

(ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोज़गार में समुचित हिस्सेदारी

7. गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं– गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक भौतिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ख) स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना के दो मुख्य घटक हैं: शहरी स्वरोजगार योजना और शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वास्तविक और आर्थिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

8. तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन

अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में लगा हुआ है या दस्तकारी द्वारा अपनी जीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और जीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए, सभी नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कतिपय संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएँगे और "उत्कृष्टता केन्द्रों" के रूप में उन्नत किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का चयन उसी आधार पर किया जाएगा।

9. आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य, अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। सरकार इस निगम को अधिक इक्विटी सहायता देकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है जिससे कि यह निगम अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा।

(ख) स्वरोजगार योजना के निर्माण और उसे बनाये रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ शामिल हैः- खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों व छोटे कामधंधों के लिए ऋण, रिटेल ट्रेड, व्यावसायिक व रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण व अन्य छोटे ऋण आदि। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित है।

10. राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) राज्य सरकार को यह सलाह दी जाएगी कि पुलिस कर्मियों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यार्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाए। इस उद्देश्य के लिए चयन समितियों के संयोजन का प्रतिनिधित्व होने चाहिए।

(ख) केंद्र सरकार भी, केंद्रीय पुलिस बलों में कर्मियों की भर्ती करते समय इसी प्रकार की कार्यवाही करेगी।

(ग) रेलवे राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजि कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। जिसमें इन संस्थाओं को सहायता दी जाएगी।

(ग) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

11. ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इंदिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वास्तविक व आर्थिक लक्ष्यों को निश्चित प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन लाभभोगियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

12. अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार

(क) एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की योजनाओं के अंतर्गत, केंद्र सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है। जिससे इन बस्तियों में जन सुख-सुविधाएँ और मूल सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा इन समुदायों की घनी आबादी वाले नगरों/मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले।

(ख) शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) योजना, लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आधारभूत सुविधा और अवसंरचना के प्रावधान के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध कराती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक बहुत शहरों/नगरों/जिलों/ब्लॉकों को समान रूप से मिले।

(घ) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

13. साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किए क्षेत्रों में ऐसे जिला व पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशलता, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में और अन्य कहीं भी, सांप्रदायिक तनाव को दूर करना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की प्राथमिक ड्यूटियों में होना चाहिए। इस संबंध में इनका कार्य निष्पादन, उनकी पदोन्नति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए।

14. साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन

उन सभी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा में हिस्सा लेते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्रता से दंडित किया जा सके।

15. साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुर्नवास

साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15- सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश

माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतंत्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि "हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एवं बेहतर 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाएगा।" इन्हीं वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना।

(ख) मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों पर भर्ती करना।

(ग) अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उपयुक्त हिस्सा सुनिश्चित करके उनकी दशा बेहतर बनाना।

(घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा नियंत्रण एवं रोकथाम।

(ङ) नए कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों तक पहुँचे। अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों को निश्चित रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्षित समूह में शामिल किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को इन योजनाओं का लाभ उचित रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यथानुपात विकास परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं भी संभव हो विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय राशि का 15 % अल्संख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(च) कार्यक्रम में उपयुक्त उपायों के माध्यम से सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा सार्वजनिक क्षेत्र सहित सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखने के प्रयास के रूप में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया गया है। यह नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है।

(छ) कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी योजना के मानदंडों, मानकों अथवा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा इनमें किसी छूट की परिकल्पना नहीं की गई है। ये योजनाएं कार्यक्रम मूल योजनाओं के रूप में ही रहेंगी।

(ज) 15-सूत्रीय कार्यक्रम में व्यक्त शब्द "महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी" उन जिलों/ उप जिला इकाइयों में लागू होता है जहां जिस इकाई की कुल आबादी की न्यूनतम 25 % आबादी अल्यसंख्यक समुदायों से सबंद्ध हो।

(झ) (i) कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 2 (ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बोद्धों तथा जोरोएस्ट्रिन (पारसी) के पात्र वर्गों को शामिल किया गया है।

(ii) उन राज्यों में, जहाँ कोई एक अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 92) के अधीन अधिसूचित हो, अर्थात् बहुसंख्यक हो तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए किया जाएगा। ये राज्य हैं, पंजाब, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड। लक्षद्वीप,जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख इस समूह में शामिल संघ शासित क्षेत्र हैं।

(ञ) नया कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग इस कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो न्यूनतम भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय होगा।

3. वास्तविक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय :

कार्यक्रम की जटिलता तथा इसकी व्यापक पहुँच को ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं भी संभव होगा, संबंधित मंत्रालय/विभाग वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित करेगा। इसका विभाजन निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करते हुए देश में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही कुल अल्पसंख्यक आबादी को ध्यान में रखकर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही आबादी के यथानुपात आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच किया जाएगा:–

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्र विशेष के लिए लागू योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी के केवल संगत अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(ii) शहरी क्षेत्र विशेष के लिए लागू योजनाओं के लिए शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी के केवल संगत अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(iii) अन्यों के लिए, जहां इस प्रकार का अंतर संभव नहीं है, इनकी कुल संख्या पर विचार किया जाएगा।

(ख) पैरा 7 (ख) में उल्लिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में अन्य बहुसंख्यकों के अलावा सिर्फ गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए ही वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का निर्धारण होगा।

4. इस प्रकार के निर्धारण के लिए निम्नलिखित योजनाएं पात्र हैं:

सूत्र सं. (क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

(1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करेगी।

(2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा इसी तरह की अन्य सरकारी योजनाएं।

सूत्र सं. (ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

(7) गरीबों के लिए स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(ख) स्वर्णजयंती शहरी रोज़गार योजना

(8) तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन को बढ़ाना

नए आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाना।

(9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(ख) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऋण देना

सूत्र सं. (ग) : अल्पसंख्यकों के जीवनस्तर की दशा में सुधार करना

(11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

(12) अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनयूआरएम)।

शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी), लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसरंचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी)

5. कार्यान्वयन, देखरेख तथा रिपोर्टिंग :

(क) मंत्रालय/विभाग स्तरः

कार्यक्रम में शामिल योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले मंत्रालय/विभाग वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय व्यय के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे तथा इनकी देखरेख करेंगे। संबंधित मंत्रालय/विभाग इन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और तिमाही आधार पर कार्यान्वयन प्रगति की रिपोर्ट अगली तिमाही के पन्द्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजेंगे।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर :

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के निए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन करेंगे। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और इसके सदस्यों में 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन योजनाएं लागू करने वाले विभागों के सचिव और विभाग प्रमुख, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों से संबद्ध ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि तथा ऐसे तीन अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, शामिल होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा से अधिकतम दो सदस्यों तथा राज्य सभा से एक सदस्य को नामित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा दो विधान सभा सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय समिति में शामिल लोक सभा और विधान सभा सदस्यों में से एक सदस्य को उस राज्य के अल्पसंख्यक बहुल किसी क्षेत्र से चुना हुआ होना चाहिए, जिस राज्य में ये अल्पसंख्यक बहुल जिले (एसीडीएम) है। राज्य/संघ क्षेत्र के अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग 15-सूत्रीय कार्यक्रम की देखरेख के लिए नोडल विभाग बना सकते हैं।

समिति को हर तिमाही में कम-से-कम एक बार अपनी बैठक करनी होगी तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग तिमाही के पन्द्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेज सकेंगे।

(ii) **जिला स्तर :** इसी तरह से, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों, अल्पसंख्यकों से संबंद्ध ख्यातिप्रद संस्थानों के तीन प्रतिनिधियों सहित जिले के कलेक्टर/उपायुक्त इसके प्रमुख होंगे। लोक सभा और विधान सभा में संबद्ध जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों को समिति में शामिल किया जाएगा ।इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट का राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य/संघ राज्य प्रशासन के अल्पसंख्यक कार्य से संबद्ध विभागों को प्रस्तुत करेगी।

(ख) केन्द्र स्तर :

(i) केन्द्रीय स्तर पर लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन की प्रगति की देखरेख छमाही में एक बार सचिवों की समिति करेगी और अपनी रिपार्ट केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे छमाही में एक बार सचिवों की समिति और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग अपनी तिमाही रिपोर्ट अगली तिमाही के पंद्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

(ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के लिए एक पुनरीक्षा समिति होगी। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों सहित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सचिव इस समिति का प्रमुख होगा। प्रगति की समीक्षा करने, फीडबैक प्राप्त करने, समस्याओं को सुलझाने तथा स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, इसे समिति की बैठक तिमाही में एक बार होगी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई और प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के अधीन कवर की गई योजनाओं/ कार्यक्रमों/पहलों के ब्यौरे।

1. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाएं/कार्यक्रम/पहलें:

(क) शैक्षिक सशक्तिकरण :

(i) छात्रवृत्ति योजनाएं :

(क) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ग) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति

(ii) कोचिंग योजनाएं :

(क) नया सवेरा

(ख) विज्ञान स्ट्रीम के मेधावी छात्रों के लिए अनन्य रूप से नया घटक

(iii) 'नई उड़ान'-संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सहायता।

(iv) 'पढ़ों परदेश'- विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद

(v) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)

(vi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) जो निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित करता है:

(क) मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

(ख) क्षेत्र/अवसंरचना विकास :

(i) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

(ग) आर्थिक सशक्तिकरण :

(i) कौशल विकास

(क) 'सीखो और कमाओ' (लर्न एंड अर्न) – अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल।

(ख) विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों मे कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)

(ग) 'नई मंजिल' – अल्पसंख्यक समुदायों से युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण।

(घ) महिला सशक्तिकरण :

'नई रोशनी' – अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना।

(ङ) विशेष जरूरतें :

(i) 'हमारी धरोहर' – अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए

(ii) 'जियो पारसी' – छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या की गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।

(iii) निम्नलिखित के माध्यम से वक्फ प्रबंधन :

(क) केन्द्रीय वक्फ परिषद (ख) राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको)

(iv) हज प्रबंधन

2. प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अधीन कवर की गई अन्य समान मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं/कार्यक्रमः

क्रम. संख्या	कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय/विभाग का नाम	प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई योजना/ कार्यक्रम	सच्चर समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कवर की गई योजना/ कार्यक्रम
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग)	सर्व शिक्षा अभियान	सर्व शिक्षा अभियान
		मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम)	मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम)
		अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)
		उर्दू शिक्षण हेतु अधिक संसाधन	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
			साक्षर भारत/मौलाना आजाद तालीम-ए-बालिगान

			जन शिक्षा संस्थान स्थापित करना
			अध्यापकों की शिक्षा के ब्लॉक संस्थानों की स्थापना
			मध्याह्न भोजन योजना
2.	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**	आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	
3.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**	दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम)	
4.	**आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**	दीनदयाल अंत्यादय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम)	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम)
		शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी)	शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी)
		एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
5.	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय**	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) का उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) का उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयन
6.	**वित्तीय सेवाएं विभाग**	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण
			नई बैंक शााखाएं खोलना/ जागरूकता अभियान
7.	**शहरी विकास मंत्रालय**	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी)	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी)
		लघु एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)	लघु एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)
			शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
			वक्फ संपत्तियों को किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट

8.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	
9.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)	अल्पख्यकों की भर्ती पर विशेष ध्यान देने हेतु दिनांक 08 जनवरी, 2007 के संशोधित दिशा-निर्देश	उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
10.	गृह मंत्रालय	सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी जुलाई 2008 के संशोधित दिशा-निर्देश	" सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति की सुलभता) विधेयक" का अधिनियमन
11.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसारण के लिए मल्टीमीडिया अभियान
12.	सांस्कृतिक मंत्रालय		सीडब्ल्यूसी के साथ वार्षिक बैठक तथा वक्फ स्मारकों का संरक्षण
13.	नीति आयोग (तत्कालीन योजना आयोग		आकलन एवं मानीटरिंग प्राधिकरण का गठन
14.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित करना।
15.	पंचायती राज मंत्रालय		ग्रामीण स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
16.	विधि एवं न्याय मंत्रालय		परिसीमन अधिनियम
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		स्थानीय भाषाओं में सूचना का प्रचार-प्रसार करना।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन०एम०डी०एफ०सी०)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन०एम०डी०एफ०सी०) का निगमीकरण 30 सितंबर, 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1992 में परिभाषित अल्पसंख्यकों के विकास के लिए यह निगम राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था के रूप में कार्यरत है।

लक्षित समूह

एन०एम०डी०एफ०सी० का मुख्य अधिदेश स्वरोजगार/आय सृजन क्रियाकलापों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती वित्त प्रदान करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम, 1992 के अनुसार, अधिसूचित अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी हैं। बाद में जैन समुदाय को भी जनवरी, 2014 में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में डाला गया है।

वर्तमान में, ऐसे परिवार जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये वार्षिक है, वे एन०एम०डी०एफ०सी० की योजनाओं के तहत ऋण लेने के पात्र हैं। एन०एम०डी०एफ०सी० ने विशेष पहल करते हुए, भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपनाई जा रही "क्रीमी लेयर" पात्रता का पालन करते हुए वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता की नई सीमा 6.00 लाख रुपये कर दी है। यह नई पात्रता ऋण सीमा सितंबर, 2014 से लागू है।

लक्ष्य समूहों तक पहुँचने के माध्यम

लक्ष्य समूह तक पहुँचने के लिए एन०एम०डी०एफ०सी० के पास निम्नलिखित दो माध्यम हैं:

(i) राज्य चैनेलाइनिंग एजेंसियाँ (एससीए)

यह ऋण प्रदान करने का मुख्य माध्यम है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान में, एन०एम०डी०एफ०सी० की 37 चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ कार्य कर रही हैं और जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

(ii) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

लक्ष्य समूह तक पहुँचने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चयनित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सेवाएँ ली जाती हैं। इस तरह के गैर-सरकारी संगठनों को तीन साल से अधिक पुराना, अराजनैतिक, आर्थिक रूप से मजबूत तथा बचत और ऋण में कम-से-कम एक वर्ष के अनुभव के साथ सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापों के कार्य करने वाला होना चाहिए।

क.	अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
ख.	राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम
ग.	राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम
घ.	राज्य महिला विकास निगम
ड.	हथकरघा और हस्तशिल्प निगम
च.	अन्य एजेंसियों (सहकारी बैंकों, औद्योगिक विकास निगम, आदि)
	कुल

क्रेडिट लाइन-1

(i) सावधि ऋण योजना (टर्म लोन)

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है, जिसे राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है। टर्म लोन योजना में 20.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। एन०एम०डी०एफ०सी०, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 18.00 लाख रुपये है। परियोजना की बाकी लागत को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी तथा लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। हालाँकि, लाभार्थी को परियोजना लागत का कम-से-कम 5 प्रतिशत अनिवार्य रूप से देना होता है। लाभार्थी से लिए जाने वाले ब्याज की दर घटते हुए शेष पर 6 प्रतिशत सालाना है।

सावधि ऋण योजना के अधीन किसी भी प्रकार के व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी दृष्टि से संभाव्य कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध है। इन कार्यों को सुविधा के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध किया गया है:

(क) कृषि एवं उससे संबंधित

(ख) तकनीकी व्यापार

(ग) छोटे व्यवसाय

(घ) कारीगर एवं परंपरागत व्यवसाय और

(ङ) परिवहन एवं सेवा क्षेत्र

क्र.सं.	पैरामीटर्स	स्कीम का ब्यौरा
1.	ऋण राशि	20.00 लाख रुपये तक
2.	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	6% वार्षिक
3.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए ब्याज दर	3% वार्षिक
4.	ऋण स्थगन (मोरेटेरियम पीरियड) अवधि	6 माह
5.	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	5 वर्ष

6.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	8 वर्ष
7.	वित्तपोषण के साधन एनएमडीएफसी : एससीए : लाभार्थी का अंशदान	90 : 5 : 5
8.	ऋण उपयोग करने की अवधि	3 माह

(ii) शैक्षिक ऋण योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है और इसे राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है। एन०एम०डी०एफ०सी० अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र व्यक्तियों को रोजगारोन्मुख शिक्षा देने के उद्देश्य से शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत, **"तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों"** के लिए जोकि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष 4.00 लाख रुपये की दर से अधिकतम 20.00 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेशों में पढ़ने वाले पाठ्यक्रमों के लिए जोकि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये की दर से अधिकतम 30.00 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को 1 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे वे आगे लाभार्थियों को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, ऋण को अधिकतम पाँच वर्षों में वापस करना होता है।

क्र.सं.	पैरामीटर्स	स्कीम का ब्यौरा
1.	अधिकतम ऋण राशि	5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ भारत में व्यावसायिक और रोजगारोन्मुख डिग्री कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 4.00 लाख रुपये की दर से 20.00 लाख रुपये तक। 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ 'विदेश में कोर्स' के लिए प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये की दर से 30.00 लाख रुपये तक।
2.	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	3% वार्षिक
3.	एससीए के लिए ब्याज दर	1% वार्षिक

4.	ऋण स्थगन अवधि (मोरेटेरियम पीरियड)	पाठ्यक्रम पूरा होने के 6 महीने के बाद या नौकरी मिलने के बाद, जो भी पहले हो।
5.	ऋण स्वीकृति के लिए एससीए को प्रत्यायोजित अधिकार	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को जमीनी हकीकत के आधार पर ऋण की स्वीकृति/संवितरण की सलाह दी गई है।
6.	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	5 वर्ष
7.	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	5 वर्ष
8.	वित्तपोषण के साधन एन०एम०डी०एफ०सी०,एससीए लाभार्थी का अंशदान	90 : 5 : 5

(iii) लघु वित्त पोषण योजना

लघु वित्त पोषण योजना के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को विशेषकर, दूर-दराज के गाँवों और शहरों की मलिन बस्तियों में जीवन-यापन कर रही अल्पसंख्यक समुदाय की उन महिलाओं को लघु ऋण दिया जाता है जो न तो बैंकों से ऋण ले पाती हैं और न ही राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एन०एम०डी०एफ०सी० की ऋण योजनाओं का लाभ ही उठा पाती हैं। एन०एम०डी०एफ०सी० इस योजना को बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की तर्ज पर क्रियान्वित कर रही है। इस योजना में यह अपेक्षा की जाती है कि लाभार्थी पहले तो स्वयं सहायता समूहों को बनाए। उसके बाद नियमित बचत करने की आदत बनाए, चाहे यह बचत छोटी ही क्यों न हो।

इस योजना में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के नेटवर्क और एससीए द्वारा पहचान किए ऋण मामले में विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से भी सर्वाधिक गरीब लोगों को ऋण देने की संकल्पना है। यह एक अनौपचारिक ऋण योजना है, जिसमें लाभार्थी के दरवाजे पर शीघ्र ऋण प्रदानगी सुनिश्चित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत एनजीओ/ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक का लघु ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना को एससीए के साथ-साथ एनजीओ के माध्यम से भी लागू किया जाता है। एनजीओ/एससीओ को 1 प्रतिशत की दर पर दिया जाता है जिसे वे आगे एसएचजी को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर मुहैया कराते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण वापस करने की अधिकतम अवधि 36 महीने है।

क्र०सं०	पैरामीटर्स	स्कीम का ब्यौरा
1.	ऋण राशि	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए 1.00 लाख रु० तक
2.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए ब्याज दर	1% वार्षिक
3.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के लिए ब्याज दर	2% वार्षिक (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए 5% वार्षिक का मार्जिन)
4.	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर	7% वार्षिक (गैर-सरकारी संगठनों के लिए 1% वार्षिक का मार्जिन)
5.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर	7% वार्षिक (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए 6% वार्षिक का मार्जिन)
6.	लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर	7% वार्षिक
7.	सीधे एनएमडीएफसी द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के लिए ब्याज दर	1% वार्षिक (गैर-सरकारी संगठनों के लिए 6% वार्षिक का मार्जिन)
8.	ऋण स्थगन अवधि (मोरेटेरियम पीरियड)	3 माह
9.	गैर-सरकारी संगठनों/फेडरेशन को ऋण मंजूरी के लिए एससीए के पास अधिकार	प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन/फेडरेशन के लिए 25.00 लाख रु० की सीमा।
10.	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	3 वर्ष
11.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	4 वर्ष/3 वर्ष
12.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए उपयोग अवधि	3 माह/1 माह
13.	वित्त पोषण के साधन एन०एम०डी०एफ०सी०एससीए लाभार्थी का अंशदान	90 : 5 : 5

क्रेडिट लाइन-2

एन०एम०डी०एफ०सी० की उच्च मात्रा के ऋण एवं ब्याज दरों वाली वित्तपोषण योजनाओं के ब्यौरे नी
प्रस्तुत हैं-

(i) सावधि ऋण (टर्म लोन) योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है और इस योजना को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्य
से क्रियान्वित की जाती है। सावधि ऋण योजना में 30.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओ
के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। एन०एम०डी०एफ०सी० द्वारा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत त
का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 27.00 लाख रुपये है। परियोजना की बाक
लागत को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी तथा लाभार्थी द्वारा दिया जाता है। हालांकि, लाभार्थी को परियोजन
लागत का कम-से-कम 5 प्रतिशत अनिवार्य रूप से देना होता है। पुरुष लाभार्थियों से 8 प्रतिशत वार्षि
और महिला लाभार्थियों से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है।

क्र०सं०	पैरामीटर्स	स्कीम का ब्यौरा
1.	ऋण राशि	30.00 लाख रु० तक
2.	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	पुरुष लाभार्थियों के लिए 8% वार्षिक महिला लाभार्थियों के लिए 6% वार्षिक
3.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए ब्याज दर	3% वार्षिक
4.	ऋण स्थगन (मोरेटेरियम पीरियड) अवधि	6 माह
5.	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	5 वर्ष
6.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	8 वर्ष
7.	वित्तपोषण के साधन एन०एम०डी०एफ०सी०एससीए लाभार्थी का अंशदान	90 : 5 : 5
8.	ऋण उपयोग करने की अवधि	3 माह

(ii) शैक्षिक ऋण योजना

यह योजना भी वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है और इस योजना को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के योग्य व्यक्तियों को रोजगारोन्मुख शिक्षा देने के लिए एन०एम०डी०एफ०सी० द्वारा शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अधीन 'तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' के लिए जोकि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष 4.00 लाख रुपये की दर से अधिकतम 20.00 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेशों में पाठ्यक्रमों के लिए जोकि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये की दर अधिकतम 30.00 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को 2 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे वे आगे पुरुष लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत एवं महिला लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, ऋण को अधिकतम पाँच वर्षों में वापस करना होता है।

क्र०सं०	पैरामीटर्स	स्कीम का ब्यौरा
1.	अधिकतम ऋण राशि	5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ भारत में 'व्यावसायिक और रोजगारोन्मुख डिग्री कोर्स' के लिए प्रतिवर्ष 4.00 लाख रु० की दर से 20.00 लाख रु० तक 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ 'विदेश में कोर्स' प्रतिवर्ष 6.00 लाख रु० की दर से 30.00 लाख रु० तक।
2.	पुरुष एवं महिला लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	8% वार्षिक एवं 5% वार्षिक
3.	एससीए के लिए ब्याज दर	2% वार्षिक
4.	ऋण स्थगन अवधि (मोरेटेरियम पीरियड)	पाठयक्रम पूरा होने के 6 महीने के बाद या नौकरी मिलने के बाद, जो भी पहले हो।
5.	ऋण स्वीकृति के लिए एससीए को प्रत्यायोजित अधिकार	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को जमीनी हकीकत के आधार पर ऋण की स्वीकृति/संवितरण की सलाह दी गई है।

संवर्धनात्मक (प्रमोशनल) योजनाएँ

(i) कौशल से कुशलता योजना

एन०एम०डी०एफ०सी० की कौशल से कुशलता योजना का उद्देश्य लक्षित वैयक्तिक लाभार्थियों को स्व-रोजगार/रोजगार के लिए कौशल प्रदान करना है। इस योजना को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है, जो अपने राज्यों में एनएसडीसी/संबंधित सेक्टर कौशल परिषद/राज्य कौशल मिशन/ तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों की सहायता से आवश्यकता आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करता है। अधिमानतः एन०एम०डी०एफ०सी०एस० एम०ए०आर०टी० पोर्टल से मान्यता प्राप्त।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए निधियों के अनुमोदन/जारी करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में अपने प्रस्ताव एन०एम०डी०एफ०सी० को प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

क्र०सं०	पैरामीटर्स	स्कीम का ब्यौरा
1.	प्रशिक्षण लागत	प्रशिक्षण आधारित लागत सामान्य मानदंडों के अनुसार निर्देशित की जाएगी। तथापि एमओएसडीएंडई, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति घंटे शुल्क पर आधारित होगा। वर्तमान प्रति घंटे शुल्क (सभी समावेशित) नीचे दिया गया है। श्रेणी प्रथम - 42.4 रु० प्रति घंटे श्रेणी द्वितीय - 36.4 रु० प्रति घंटे श्रेणी तृतीय - 30.3 रु० प्रति घंटे इस कार्यक्रम के तहत 200 से 250 घंटों (सिद्धांत और व्यावहारिक) के बीच की अवधि वाले पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा। प्रति घंटा शुल्क समय-समय पर एमओएसडीएंडई, भारत सरकार द्वारा संशोधन के अधीन होगा।
2.	प्रशिक्षण की अवधि	200 से 250 घंटे प्रतिदिन न्यूनतम चार (4) घंटे और सप्ताह के पाँच दिनों का प्रशिक्षण।
3.	वजीफा	प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी 1,000/-रु० अधिकतम 6 महीने तक।

4.	वित्तपोषण के साधन	एनएमडीएफसी द्वारा 100% लागत का खर्च वजीफा सहित दिया जाएगा।
5.	प्लेसमेंट	70 उम्मीदवारों जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है (पास होने वाले कम-से-कम 50% प्रशिक्षुओं का वेतन आधारित रोजगार मिलें)।
6.	क्रियान्वयन एजेंसी	एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ (एससीए)

(ii) मार्केटिंग सहायता योजना

वैयक्तिक शिल्पकारों, एन०एम०डी०एफ०सी० के लाभार्थियों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए है और इस योजना को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए शिल्पकारों को सहायता देना, उनके उत्पादों की मार्केटिंग करना और उन्हें उसकी लाभकारी कीमत दिलाना है। एन०एम०डी०एफ०सी० द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को राज्य/जिला स्तर पर चुनिंदा जगहों पर प्रदर्शनी आयोजित करने में सहयोग करती है। इन प्रदर्शनियों में अल्पसंख्यक वर्ग के शिल्पकारों के हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है तथा उनकी बिक्री की जाती है। इस की प्रदर्शनियों में 'क्रेता-विक्रेता बैठक' जो घरेलू बाजार तथा निर्यात के लिए मार्केटिंग को बढ़ावा देने और उत्पाद के विकास का कारगर साधन है। एन०एम०डी०एफ०सी० प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है।

क्र०सं०	पैरामीटर्स	ब्यौरा
1.	स्टॉल का किराया	(क) शहरों के लिए स्टॉल 22,000 रु०/ (ख) शहरों के लिए स्टॉल 18,000 रु० (ग) शहरों के लिए 14,000 रु०। सभी महानगर (क) श्रेणी के शहर, महानगरों के अलावा अन्य सभी राज्यों की राजधानियाँ (ख) श्रेणी के शहरों में हैं, जिला मुख्यालय/अन्यशहर (ग) श्रेणी में हैं।

2.	यात्रा भत्ता	सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी का स्लीपर क्लास या साधारण बस का किराया (वास्तविक आधार पर)।	
3.	डीए (प्रतिदिन)	शहर की श्रेणी	डीए रेट
		क श्रेणी	700/-रु०
		ख श्रेणी	600/-रु०
		ग श्रेणी	500/-रु०
4.	एससीए स्तर पर प्रदर्शनी आयोजित करने की कुल लागत	शहर की श्रेणी	कुल लागत
		क श्रेणी	18.00 लाख रु०
		ख श्रेणी	15.20 लाख रु०
		ग श्रेणी	12.40 लाख रु०
		प्रदर्शनी के आयोजन की कुल लागत में जगह का किराया, स्टॉलों का निर्माण, इसकी सजावट और लाइटिंग, प्रचार और विज्ञापन, ब्रांडिंग, टीए, निर्धारित डीए, अग्निशमन व्यवस्था, बीमा, एग्जीबीटर ट्रांसपोर्ट और क्रेता-विक्रेता बैठक के आयोजन में होने वाले खर्च, आदि शामिल हैं।	
5.	प्रतिभागी	60 स्थानीय शिल्पकार/लाभार्थी और राज्य के बाहर के 20 शिल्पकार/लाभार्थी। एनएमडीएफसी द्वारा अपने स्वयं के डाटाबैक या अन्य राज्यों से 20 शिल्पकारों/लाभार्थियों की सूची प्रदान करेगा। इससे प्रदर्शनी में अलग-अलग डिजाइन के उत्पादों को लाने में मदद मिलेगी। एनएमडीएफसी द्वारा प्रदर्शनी शुरू होने से 10 दिन पहले 20 कारीगरों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। अन्यथा, एनएमडीएफसी से बात कर आयोजक एससीए, प्रतीक्षा सूची से प्रतिभागियों का चुनाव कर सकेगी। एससीए को सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शनी में स्टॉल खाली न रहे।	
6.	प्रदर्शनी में अधिकतम स्टॉल	40 स्टॉल। अगर कम संख्या में स्टॉल लगाए जाते हैं, तो	

7.	प्रदर्शनी की अवधि	15 दिन। यदि प्रदर्शनी का आयोजन कम दिनों के लिए किया जाता है, तो उस अनुपात में खर्च कम हो जाएगा।
8.	वित्तीय मदद के साधन एनएमडीएफसी एससीए	90% : 10%
9.	प्रत्येक स्टॉल में भाग लेने वाले शिल्पकारों की संख्या	हर स्टॉल को दो प्रतिभागियों द्वारा साझा किया जाएगा।
10.	प्रत्येक स्टॉल का आकार	स्टॉल सामान्यतः 10 फुट x 10 फुट के आकार का होना चाहिए।
11.	बिक्री के आँकड़ों को रखना	प्रतिभागियों को अपने पास बिल बुक रखनी होगी और की गई सभी बिक्री के आँकड़ों को उसमें दर्ज करना होगा। एससीए के प्रतिनिधि को सभी प्रतिभागियों का एक बिक्री रजिस्टर बनाना होगा।
12.	उपस्थिति (अटेंडेंस) का रिकॉर्ड रखना	एससीए के प्रतिनिधि को हाजिरी (अटेंडेंस) रजिस्टर रखना होगा और प्रदर्शनी के दौरान, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, शिल्पकार की रोजाना हाजिरी लेनी होगी। इससे, शिल्पकार को दिए जाने वाले डीए का भुगतान करने में भी मदद मिलेगी।

(iii) महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना एक अनूठी योजना है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के गठित महिला सदस्यों को सिलाई, कटिंग एवं कढ़ाई आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ लघु ऋण दिया जाता है। इस योजना को एन०एम०डी०एफ०सी० की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के साथ-साथ संबंधित एससीए द्वारा पहचान किए गए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, महिलाओं के अनुकूल किसी समुचित दस्तकारी क्रियाकलाप में लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ही स्वयं सहायता समूह का गठन कर दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद बने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लघु ऋण उपलब्ध

कराया जाता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि छह महीने है तथा प्रशिक्षण खर्च की अधिकतम सीमा प्रति प्रशिक्षणार्थी हर महीने 1,500 रुपये है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये का वज़ीफा भी दिया जाता है। एन०एम०डी०एफ०सी० द्वारा अनुदान के रूप में प्रशिक्षण खर्च तथा वज़ीफे का भुगतान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् बनाए गए स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को उनकी जरूरत के आधार पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध है।

(iv) सहायता अनुदान योजना

एन०एम०डी०एफ०सी० की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एन०एम०डी०एफ०सी० की एससीए के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान (जीआईए) योजना के तहत सहयोग किया जाता है। अब तक, एन०एम०डी०एफ०सी० द्वारा विभिन्न एससीए को 17.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

रोजगारपरक परियोजनाओं की उदाहरण के रूप में सूची	
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	कारीगरी के क्षेत्र
पम्पसैट, बैलगाड़ी	पावरलूम परियोजना
डेयरी यूनिट	सूती कपड़ा बुनाई
ट्यूबवेल	बढ़ईगिरी
चमेली की खेती	धागा बनाना
मशरूम की खेती	धुलाई इकाई (धोबी)
भेड़/बकरी पालन	कढ़ाई कार्य
मुर्गी पालन (ब्रोयलर/लेयर)	लकड़ी पर नक्काशी
ऊर्जा हल (पॉवर टिलर)	सिल्क बुनाई
बैलगाड़ी	पीतल के बर्तन
ट्रेक्टर ट्राली	नाई की दुकान (गाँव/शहर)
हथकरघा सिल्क बुनकर	
लघु व्यवसाय के क्षेत्र	तकनीकी व्यापार के क्षेत्र
बेकरी दुकान	विज्ञापन एजेंसी
बुक शॉप	एल्युमिनियम फेबरिकेशन
साइकिल रिक्शा मरम्मत	आर्क वैल्डिंग
ढाबा यूनिट	आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी
केबल टी०वी०/डिश एंटिना	ऑडियो/वीडियो सर्विसिंग
बिजली/इलैक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान	ऑटोरिपेयर (दोपहिया)
टाइपिंग सेंटर	ऑटो इलैक्ट्रिक वर्कशॉप
इलैक्ट्रिक/मैनुअल टाइपराइटर	ऑटोमोबाइल रिपेयर (एलएमवी)
फास्ट फूड रेस्टोरेंट	ऑटोमोबाइल रिपेयर (एचएमवी)
जूतों की दुकान	बबुई/जूट की रस्सी बनाना
फल/सब्जी की दुकान	बैटरी सर्विसिंग
फल/सब्जी का ठेला	वीडियोग्राफी
जनरल स्टोर	ब्यूटी पार्लर

सीखो और कमाओ

अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास हेतु क्षेत्र की योजना

1. भूमिका

1.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन-61वाँ दौर (2004-05) की मार्च, 2007 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार-कृषि एवं इसके साथ ही गैर-कृषि क्षेत्र में - धार्मिक समूहों के लिए मुख्य स्वरूप था। वर्ष 2004-2005 में 26 मुस्लिम तथा 35 ईसाई "कृषि में स्व-रोजगार" पर आश्रित थे जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में "स्व-रोजगार" में 28 मुस्लिम तथा 15 ईसाई शामिल थे।

1.2 भारत के शहरी क्षेत्रों में, वर्ष 2004-05 के दौरान "स्व-रोजगार", "नियमित मजदूरी / वेतन" तथा "नैमित्तिक मजदूरी" पर आश्रित मुस्लिम घरों का अनुपात क्रमशः 49%, 30% तथा 14% था, जबकि ईसाईयों के लिए यह क्रमशः 27%, 47% तथा 11% था।

1.3 ग्रामीण क्षेत्रों में, 2004-02 में सभी आयु वर्गों के पुरुषों में श्रमजीवी जनसंख्या अनुपात (डब्लूपीआर) ईसाईयों में उच्चतम (56%) था, इसके उपरांत हिंदू (55%) और फिर मुस्लिमों का अनुपात निम्नतम (50%) था। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए ईसाई का डब्ल्यूपीआर (36%) तथा हिंदुओं (34%) था, जो मुस्लिमों (18%) की अपेक्षा उच्चतर था।

1.4 ग्रामीण भारत में, बेरोजगारी की दर ईसाईयों में (44%) उच्चतर थी, इसके उपरांत मुस्लिमों में (23%) तथा हिंदुओं में (15%) थी। इसी प्रकार, भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर ईसाईयों में (86%) उच्चतम थी, इसके उपरांत हिंदुओं में (44%) तथा मुस्लिमों में (41%) थी।

1.5 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएण्डटी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अधिकांश श्रम बल में विपणन योग्य कौशल नहीं हैं, जो समुचित रोजगार प्राप्त करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बाधा है।

1.6 हालाँकि भारत में युवाओं की जनसंख्या काफी अधिक है, लेकिन 10% भारतीय श्रमिक बलों - 8% अनौपचारिक तौर पर तथा 2% औपचारिक तौर पर - ने ही व्यावसायिक कौशल प्राप्त किया है। लगभग 63% स्कूली छात्र कक्षा दस तक आते-आते विभिन्न चरणों पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। देश में लगभग 3.1 मिलियन व्यावसायिक प्रशिक्षण सीटें ही उपलब्ध हैं, जबकि लगभग 12.8 मिलियन व्यक्ति हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि इन प्रशिक्षण स्थलों के लिए, बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने वाले कुछ ही बच्चे उपलब्ध हो पाते हैं। इससे पता चलता है कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की एक बड़ी

संख्या एक ओर अपनी रोजगारपरकता में सुधार लाने के लिए कौशल तक पहुँच नहीं रखती है, वहीं दूसरी ओर 12.8 मिलयन नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं। वर्ष 2011 के आकलनों के अनुसार भारत में 21 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 244 मिलियन का कौशल अंतर है।

1.7 सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसार, देश उच्च विकास की अवस्था से गुजर रहा है। यह समय अल्प-सुविधा प्राप्त लोगों का कौशल विकास एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। मुस्लिम समुदाय एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। मुस्लिम समुदाय का विशाल तबका स्व-रोजगार के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। इसके अलावा, एक उल्लेखनीय अनुपात, विशेषकर महिलाएँ, वास्तव में गृह-आधारित कार्य में लगी हुई हैं। जबकि इनमें से कुछ कार्मिक उन क्षेत्रों में लगे हुए हैं जिनमें विकास हुआ है। वहीं बहुत-से लोग उन व्यवसायों/क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जिनका विकास स्थिर है। विकासोन्मुख क्षेत्रों मे कामगारों की मदद करने के लिए एक नीति की जरूरत है, ताकि वे उस क्षेत्र में कार्य कर रही बाजारोन्मुख फर्मों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। गतिहीन क्षेत्रों में फँसे हुए लोगों के लिए परिवर्तन मार्ग तैयार करना होगा। इन दोनों कार्यनीतियों में कौशल उन्नयन, शिक्षा एवं ऋण उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

1.8 राष्ट्रीय कौशल नीति में यह परिकल्पना है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान प्रेरक बल है। उच्च और बेहतर स्तर का कौशल रखने वाले देश चुनौतियों और अवसरों का अधिक प्रभागी ढंग से समायोजन करते हैं।

1.9 भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संक्रमण में है और इसके प्रतियोगी रुख का निर्धारण देश के लोगों में ज्ञान के सृजन, इसको बांटने और इसका और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यताओं द्वारा किया जाएगा। इस परिवर्तन के लिए भारत को अपने कार्मिकों को ज्ञानी कार्मिक बनाने की जरूरत होगी जो अधिक नम्य, विश्लेषक, अनुकूलन योग्य एवं बहु कौशल प्राप्त हों।

1.10 भारत को 'जनसांख्यकीय लाभ' प्राप्त है। समुचित कौशल विकास के माध्यम से जनसांख्यकीय लाभ का उपयोग करके देश को समावेशन एवं उत्पादकता प्राप्त करने का अवसर तो मिलेगा ही और इसके साथ-साथ वैश्विक कौशल कमियों को भी पूरा किया जा सकेगा। इस प्रकार, बड़े पैमाने के कौशल विकास की तुरंत आवश्यकता है।

उपर्युक्त बिंदुओं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 'अल्पसंख्यको के सशक्तिकरण' के संबंध में कार्यसमूहों की सिफारिशों के मद्देनजर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कार्य मंत्रालय का वित्त वर्ष 2013-14 से ''अल्पसंख्यकों के कौशल विकास'' हेतु एक नई 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना ''सीखो और कमाओ'' को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के दिशा निर्देशन निम्नानुसार हैं :

2. उद्देश्य

2.1 12वीं योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करना।

2.2 अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण करना एवं उनका उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना।

2.3 मौजूदा कार्मिकों की रोजगारपरकता को बेहतर बनाना तथा उनका स्थापन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना आदि।

2.4 हाशिए पर रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए आजीविका के बेहतर साधन पैदा करना तथा उन्हें मुख्य धारा में लाना।

2.5 देश के लिए सशक्त मानव संसाधन तैयार करना।

3. योजना का कार्यक्षेत्र

3.1 इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/परंपरागत व्यवसायों के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उनकी शैक्षणिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन करना होगा जिससे उन्हें एक उपयुक्त रोजगार मिल सके अथवा वे स्व-रोजगार के लिए समुचित रूप से कुशल हो सकें।

3.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित मॉडयूलर रोजगार योग्य कौशलों (एमईएस) हेतु कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित एमईएस पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे बहुत-से पारंपरिक कौशल; जैसे कि कढ़ाई, चिकनकारी, जरदोजी, पैचवर्क, रत्न एवं आभूषण, बुनाई, काष्ठ कार्य, चमड़े की वस्तुएँ कांस्य धातु कार्य, कांच के बर्तन, कालीन इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, एनवीटी द्वारा अनुमोदित अन्य पाठयक्रम भी किसी विशिष्ट राज्य अथवा क्षेत्र में मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं। इससे एक तरफ अल्पसंख्यकों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का संरक्षण करने तथा दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों को बाजार की चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

4. पात्रता

4.1 योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से किया जाएगा :

(क) सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत राज्य सरकारों / संघ राज्यों के प्रशासनों की सोसायटियाँ। ये सोसायटियाँ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के आकार के आधार पर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्तर अथवा जिला स्तर पर गठित की जा सकती है। ये सोसायटियाँ अपने-अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एवं प्रशिक्षण संस्थान,

प्रायोजक अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में रोजगारों की क्षमता की पहचान के लिए उनके प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदार होगी।

(ख) कोई भी प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त / पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो कम से कम विगत 3 वर्षों में कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का आयोजन करता हो और जो स्थापित बाजार से संबद्ध हो तथा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो।

(ग) कोई भी उद्योग अथवा उद्योगों की ऐसासिएशन जैसे कि एसोचैम, सीआईआई, फिक्की इत्यादि जो प्लेसमेंट की समुचित प्लान के साथ योजना के वित्तीय मानकों के अनुसार ऐसे कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने के इच्छुक हों।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों सहित केंद्र / राज्य सरकारों का कोई भी संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केंद्र / राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान।

(ङ) निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सिविल सोसाइटियाँ (सीएस) / गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) :

- (i) समुदायों, विशेषकर, अल्पसंख्यकों के सामाजिक कल्याण के संचालन तथा संवर्धन में लगी कोई भी पंजीकृत सिविल सोसाइटी / एनजीओ।
- (ii) संगठन कम-से-कम विगत 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।
- (iii) कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के क्षेत्रों में कम-से-कम 3 वर्षों का अनुभव हो।
- (iv) संगठन की वित्तीय अर्थक्षमता तथा मंत्रालय की ओर से सहायता न मिलने की स्थिति में सीमित अवधियों के लिए कार्य को जारी रखने की योग्यता।
- (v) अच्छी साख एवं विश्वसनीयता।
- (vi) अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर, अल्पसंख्यक महिलाओं को जुटाने की क्षमता।
- (vii) आवंटित संसाधनों तथा सृजित परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए अन्य संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग।

(च) केंद्रीय / राज्य के किसी मंत्रालय / विभाग द्वारा काली सूची में डाले गए अथवा बहिष्कृत किए गए संगठन पात्र नहीं होंगे।

4.2 पात्र प्रशिक्षाणार्थी / लाभार्थी

(क) प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

(ख) प्रशिक्षणार्थी की आयु 14-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ग) प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शिक्षा कम-से-कम 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए।

(घ) इस योजना के अधीन विहित अनुसार आरक्षित श्रेणियों के रिक्त रहने की स्थिति में ये रिक्त सीटें अनारक्षित समझी जाएँगी।

5. योजना के संघटक

5.1 यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित 5 (पाँच) अल्पसंख्यक समुदायों (यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी) के लाभ के लिए क्रियान्वित की जाएगी। तथापि, उन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों जहाँ संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अधिसूचित कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वहाँ उन पर भी कार्यक्रम हेतु विचार किया जा सकता है, किंतु वे कुल सीटों के 5 से ज्यादा हकदार नहीं होंगे।

5.2 इस योजना की शुरुआत देश में कहीं पर भी की जा सकती है, किंतु प्राथमिकता उन संगठनों को दी जाएगी जिसका उद्देश्य सुनिश्चित बाजार संबंधों से अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशल का विकास करना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों / ब्लॉकों / नगरों / गाँवों के समूहों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रम का प्रस्ताव करना है। योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा व्यवहार में लाई जा रही कलाओं और शिल्पों सहित पारंपरिक कौशलों का संवर्धन करने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी तथा राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार के साथ उनका संबंध स्थापित किया जाएगा। साथ ही, क्षेत्र में रोजगार क्षमता वाले विभिन्न आधुनिक ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.3 क्रियान्वयनकर्ता संगठन द्वारा व्यापारों का प्रस्ताव करने से पूर्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में लक्षित जनसंख्या, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर पहले से ही रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा।

5.4 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए) जागरूकता का प्रसार करने, विकल्प सृजित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौशल प्रक्रिया में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी हो रही हैं। उद्योग के संयोजन से "जॉब फेयर्स" तथा "जॉब काउंसलिंग" के लिए तंत्रों को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है।

5.5 क्रियान्वयनकर्ता संगठनों के लिए एनसीवीटी द्वारा मान्यता संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना अपेक्षित होगा जो उम्मीदवारों को उन व्यापारों के लिए प्रमाण पत्र / डिप्लोमा प्रदान करेगा जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण का मॉड्यूल एनसीवीटी / रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय / राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

5.6 क्रियान्वयनकर्ता संगठन प्लेसमेंट सेवाओं के साथ भी संबंध स्थापित करेगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत स्व-रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए संगठन वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), बैंकों इत्यादि के माध्यम से सुगम लघु वित्त / ऋण की व्यवस्था करेगा।

5.7 न्यूनतम 33 सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी।

5.8 उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जो समग्र रूप से 75 प्लेसमेंट की गारंटी देंगे और उसमें से कम-से-कम 50 प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

5.9 योजना के दो संघटक होंगे :

(क) आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) पारंपरिक व्यापारों / शिल्पों / कला स्वरूपों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(क) आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम :

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम 3 माह की अवधि का होना है।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम में सॉट कौशल प्रशिक्षण, बेसिक आईटी प्रशिक्षण तथा बेसिक अंग्रेजी प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु यह है कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत् किस्म का रोजगार मिले।

(iv) प्रत्येक प्रतिभागी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम के विकल्पों में से अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(v) कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु उद्योग तत्परता पर होना चाहिए और इसे एमईएस दिशा-निर्देश का अनुपालक होना चाहिए।

(vi) आधुनिक कौशलों हेतु कौशल प्रशिक्षण के उपरांत 75 प्लेसमेंट होना चाहिए और उसमें से कम-से-कम 50 प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(ख) परंपरागत ट्रेडों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम :

(i) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नलिखित क्रियाकलापों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपेक्षित रोजगारपरकता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

i. पारंपरिक ट्रेडों में लगे हुए युवाओं की पहचान और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) / प्रायोजक कंपनियों में समूहिकरण। स्व-सहायता समूहों में औसतन 20 सदस्य होंगे।

ii. युवाओं को उनके कौशल स्तरों (विषय प्रशिक्षण, उद्यमिता प्रशिक्षण, सॉट कौशल, आईटी प्रशिक्षण, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण) को बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था जो स्व-सहायता समूह को बाजार उन्मुख उत्पादन मॉडल विकसित करने में सक्षम बना सके।

iii. अग्रवर्ती (ग्राहक पहुँच) तथा पूर्ववर्ती लिंकेज (विक्रेता पहुँच) मुहैया कराना। इनको समझौता ज्ञापन की व्यवस्था के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत किए जाने हेतु व्यापार योजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता देना। इन प्रयासों के माध्यम से स्व-सहायता समूह के लिए निधियाँ जुटाना।

v. एसएचजी / उत्पादक कंपनी के लिए प्रबंधन दल की सेवाएँ किराए पर लेने में सहायता देना।

(ii) यह कार्यक्रम न्यूनतम 02 माह तथा चुनिंदा ट्रेड के लिए अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिए है।

(iii) इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु यह है कि इन क्रियाकलापों के उपरांत युवाओं के लिए आय को बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए उनके माध्यम से स्थापना और प्रचालन हेतु निधियों की उपलब्धता सहित कौशल युवाओं के स्व-सहायता समूह का सृजन किया जाना चाहिए।

(iv) कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु उद्योग तत्परता पर होना चाहिए और इसे मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशल (एमईएस) दिशा-निर्देशों का अनुपालक होना चाहिए।

5.10 प्रशिक्षुओं को आधार / यूआईडी, यदि उपलब्ध हो अथवा अन्य किसी सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान संख्या को जोड़ा जाएगा।

5.11 संगठन/संस्थान में नामांकित बाह्य स्थान में प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएँ (पुरुष एवं महिला प्रशिक्षुओं के लिए अलग-अलग) सुनिश्चित करेगा। प्रशिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के लिए आशयित होंगे। तथापि, अंतर-समुदाय समैक्य को बढ़ावा देने के लिए गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के बीपीएल परिवारों से संबंधित 15% उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित निःशक्त व्यक्तियों के लिए भी 2.5% आरक्षित किया जाएगा।

5.12 संगठन के पास गुणवत्तापरक प्रशिक्षण संचालित करने के लिए पर्याप्त कक्षाएँ, प्रदर्शन सुविधाएँ, प्रसाधन (महिलाओं हेतु अलग प्रसाधन सहित) तथा अवसंरचना इत्यादि होनी चाहिए।

6. वित्तपोषण का स्वरूप

(क) यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा पैनल में शामिल किए गए पात्र संगठनों के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

(ख) निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं की संपूर्ण लागत का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(ग) परियोजना लागत की 5% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक यथा समय पूरा करते हों तथा प्लेसमेंट सहित सारी शर्तों को भी पूरा करते हों।

(घ) प्लेसमेंट से जुड़े संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु प्रति लाभार्थी लागत मानक निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं तथा लागत ब्यौरे में नीचे दिए गए सभी संघटकों को अलग से शामिल किया जाना चाहिए :

लागत शीर्ष	अधिकतम अनुमत्य व्यय (आईएनआर)
कंप्यूटरों, मेजों, कुर्सियों, वर्क स्टेशनों इत्यादि सहित किराए संबंधी / पट्टा व्यय।	प्रति उम्मीदवार अधिकतम 20000 रुपये
किराए संबंधी, बिजली, पानी, जेनरेटर तथा अन्य संचालन व्ययों सहित प्रशिक्षण केंद्रों का ओएण्डएम	
प्रशिक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन, चाय एवं यात्रा संबंधी खर्च	
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा इंडक्शन	
प्रशिक्षकों एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों का वेतन,लर्निंग किट, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण सहित प्रशिक्षण खर्च	
एमआईएस वेबसाईट, ट्रैकिंग तथा अन्य मॉनिटेरिंग सहित संस्थागत अधिशीर्ष (उपर्युक्त सभी का अधिकतम 10%)	
2000 रुपये प्रति माह की दर से प्लेसमेंट उपरांत सहायता (प्लेस किए गए सभी उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के उपरांत 2000 रुपये प्रति माह के लिए दिया जाएगा)	4000
उप-योग	24000
प्लेसमेंट के उपरांत सहायता को छोड़कर सभी लागतों की 5% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक यथासमय और सभी शर्तों को पूरा करते हों।	1000
कुल लागत	25000

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित लागतें भी स्वीकार्य होंगी :

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को 3 महीने के लिए भोजन / आवास (जिसके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 3 (तीन) महीने के लिए 1500 रुपये प्रति माह की दर पर। लाभार्थी प्रतिमाह 750 रुपये की दर से मासिक वजीफे का भी हकदार होगा।

(ii) स्थानीय गैर-आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा 1500 रुपये प्रति माह होगा।

(iii) पारंपरिक ट्रेडों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु लागत मानक निम्नानुसार है :

संगठन को गैर-आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 1000/- रुपये तथा आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 13000/- रुपये प्रतिमाह की दर से लागत दी जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा : (संगठन / संस्थान कार्यक्रम की अवधि के आधार पर आंकलन प्रस्तुत करेंगे) (साथ ही इसमें एसएचजी निर्माण, प्रशिक्षण निधियाँ जुटाना, अग्रवर्ती एवं पूर्ववर्ती लिंकेज स्थापित करना तथा प्रबंधकीय टीम की सेवाएँ किराए पर लेना शामिल हैं)

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को 3 महीने के लिए भोजन / आवास (जिसके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 3 (तीन) महीने के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की दर पर। लाभार्थी प्रतिमाह 750 रुपये की दर पर मासिक वजीफे का भी हकदार होगा।

(ii) स्थानीय गैर-आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा 1500 रुपये प्रतिमाह होगा।

(iii) कच्चा माल इत्यादि के खरीद हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 2000/- रुपये एकबारगी लागत के रूप में।

(iv) संकाय / सहायक स्टॉफ इत्यादि को मासिक पारिश्रमिक।

(v) अन्य प्रशिक्षण लागत।

(vi) परीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क।

7. निधियों की निर्मुक्ति

(i) परियोजना के अनुमोदन पर निधियाँ 3 किस्तों में निर्मुक्त की जाएँगी अर्थात् 40%, 40%, 20% प्रोत्साहन राशि (यदि लागू हो) निर्मुक्ति की निधियाँ पीआईए को उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा सीधे संवितरित की जाएँगी।

(ii) निधियों की निर्मुक्ति के किस्त का स्वरूप अग्रानुसार होगा :

1. प्रथम किस्त :

प्रथम किस्त (अर्थात् परियोजना लागत का 40%) परियोजना के अनुमोदन के उपरांत तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के उपरांत निर्मुक्त की जाएगी।

2. दूसरी किस्त :

परियोजना लागत के 40% की दूसरी किस्त निम्नलिखित अनुपालन के अधीन जारी की जाएगी।

क. लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ पहली किस्त के 60% का उपयोग और तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा पीआईए लेखों का साप्ताहिक ऑफ-साईट (अर्थात् ऑनलाइन) और मासिक ऑन-साईट निरीक्षण। इस जांच से यह सुनिश्चित किया जाना है कि साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है।

ख. परियोजना के पूर्ववर्ती वर्षों की वर्ष-वार लेखा परीक्षित रिपोर्ट देय हो जाने पर तुरंत प्रस्तुत करना।

3. तीसरी किस्त (अंतिम किस्त) :

परियोजना लागत के 20% प्रोत्साहन राशि (यदि लागू हो) की तीसरी किस्त की जाएगी :

क. मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट।

ख. लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है।

ग. परियोजनाओं में यदि अपेक्षित प्रदानगियाँ पूरी कर ली जाती हैं और वास्तविक तथा वित्तीय दोनों रूपों में एमआईएस आंकड़ों के आकस्मिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा सत्यापित कर दी जाती है।

घ. किए गए प्लेसमेंट का निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरा।

ङ स्व-नियोजित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरे।

8. आवेदन की प्रक्रिया

8.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठनों/संस्थानों से उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगा।

8.2 पैनल में शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति की जांच मंत्रालय की जांच समिति द्वारा की जाएगी। पैनल में शामिल किया जाना संपूर्ण बारहवीं योजना अवधि के लिए वैध होगा। तथापि, मंत्रालय के पास बिना कोई सूचना दिए किसी स्तर पर पैनल में शामिल किए जाने को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.3 मंत्रालय अपेक्षानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संगठनों को पैनल में शामिल कर सकता है।

8.4 मंत्रालय तकनीकी सहायता एजेंसी के माध्यम से संगठनों के प्रमाण-पत्रों को सत्यापित कर सकता है।

8.5 पैनल में शामिल संगठनों के प्रस्तावों पर निम्नलिखित मंजूरी-दाता समिति द्वारा विचार किया जाएगा–

1.	मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2.	योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	मंत्रालय में निदेशक (एमएसडीपी)	सदस्य
6.	निदेशक (योजना से संबंधित)	सदस्य-सचिव

8.6 मंजूरी दाता समितिक्रम में स्व-सहायता समूहों/प्रोड्यूसर कंपनियों का बनाया जाना शामिल होगा।

9. परियोजना की अवधि और उसके संघटक

(i) 'सीखो और कमाओ' कार्यक्रम के अंतर्गत, परियोजना की कुल अवधि 12 वीं पंचवर्षीय योजना के सह-कालिक होगी।

(ii) आधुनिक कौशलों के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि तकनीकी कौशलों, सॉफ्ट कौशलों और जीवन कौशलों सहित कौशल सेट पर आधारित न्यूनतम 3 माह होगी।

(iii) परंपरागत कौशलों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि ट्रेड के आधार पर अधिकतम 1 वर्ष की होगी। इस कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों/ प्रोड्यूसर कंपनियों का बनाया जाना शामिल होगा।

10. प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के पश्चात् सहायता

चूँकि इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु सार्थक रोजगार प्रदान करना है, अतः निम्नलिखित कुछ सामान्य प्लेसमेंट शर्तें हैं, जिन्हें पीआईए द्वारा पूरा किया जाना है :

(i) सभी अभ्यर्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता और परामर्श सहायता की पेशकश की जानी चाहिए और न्यूनतम 75 अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट तथा कम-से-कम 50% का संगठित क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ii) जहाँ तक संभव हो, प्लेसमेंट न्यूनतम स्थान परिवर्तन किए बिना किया जाना चाहिए।

(iii) प्लेसमेंट के पश्चात् सभ्यता (पीपीएस) का उद्देश्य अभ्यर्थियों को रोजगार के प्रारंभिक महीनों में उन्हें स्थापित करने और उनकी देख-रेख करने में सहायता करना है।

(iv) पीपीएस का वितरण पीआईए के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों में से एक है।

(v) वरीयता रूप में, प्लेसमेंट पीएफ, ईएसआई आदि जैसे संबद्ध लाभों के साथ संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(vi) चूँकि निर्माण जैसे कुछ क्षेत्र बहुत संगठित नहीं हैं, किंतु इनमें भुगतान ज्यादातर संगठित क्षेत्र से अधिक होता है, अतः अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विचार किया जाएगा :

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कौशलों का किसी विशेष नौकरी से सुमेल हो।

(ख) भविष्य में वैध प्रगति की पेशकश हो।

(vii) अनौपचारिक क्षेत्र में प्लेसमेंट में तभी विचार किया जाना चाहिए, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(क) राज्य की न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन देने वाला प्रस्ताव-पत्र।

(ख) नियोक्ता का प्रमाण-पत्र की मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अनुसार किया गया है।

(ग) नौकरियाँ पूर्णतः अस्थायी नहीं होनी चाहिए और उनमें स्थिरता हो।

(viii) अभ्यर्थी को प्लेस किया हुआ माना जाएगा, यदि वह प्रशिक्षण के पश्चात् कम-से-कम लगातार तीन महीनों के लिए नौकरी में बना रहता है / बनी रहती है। निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक को प्लेसमेंट के सबूत के रूप में माना जाएगा।

1. नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्चियाँ।
2. वेतन के खाते में जमा करने के साथ अभ्यर्थी के बैंक खाते की खाता विवरणी।
3. अभ्यर्थी के नाम और वेतन ब्यौरे वाला पत्र।

(ix) पीआईए को प्लेसमेंट के पश्चात् के कार्य को सुनिश्चित करना और इस बात की निगरानी करना है कि नई नौकरियाँ एक वर्ष की अवधि तक बनी रहें।

11. सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस)

(क) कार्यक्रम की गुणवत्ता के प्रबंधन को सतत आकलन किए जाने और उसे बनाए रखने के लिए जानकारी अपेक्षित है। इसे नियमित ट्रेकिंग और अनुवर्तन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा निर्धारित आरूपों और मानकों के अनुसार एमआईएस का अनुरक्षण पीआईए द्वारा किया जाना है।

(ख) परियोजना के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस), निर्णय समर्थन प्रणालियाँ (डीएसएस) जैसी विभिन्न परियोजना सेवाओं के आयोजन और प्रदानगी के लिए आईसीटी मंच का उपयोग करना। कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रतिभागी विशिष्ट सूचना रखनी होगी और सभी लागू सूचना प्रदायक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। सूचना की प्रविष्टि की नियमितता और गुणवत्ता मंत्रालय अथवा नियुक्त टीएसए द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग) पीआईए प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष के लिए ट्रकिंग आँकड़ा का अनुरक्षण करेगा और प्रशिक्षिणार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए वास्तविक-समय वेब आधारित प्रणाली पर उसका अनुरक्षण करेगा।

12. ज्ञान सहभागी / तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए), पर्यवेक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन

12.1 मंत्रालय न केवल मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध संघटकों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों और जांचों की व्यवस्था करेगा कि वास्तविक रूप में जो कुछ हो रहा है वह कारगर है और उसका सतत् पर्यवेक्षण किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय योजना के प्रारंभ से ही सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत निर्धारित समुचित प्रक्रिया के अनुसरण में 'ज्ञान सहभागी/तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में कौशल विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त एजेंसी को लगाएगा।

12.2 टीएसए क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीतियों की युक्ति निकालने, परियोजना आरूप, प्रशिक्षण तैयार करने, निष्पादक संकेतों का विकास करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सहायता करेगा।

12.3 टीएसए निम्नलिखित प्रक्रियाओं के पर्यवेक्षण के लिए समुचित नवाचार विकसित करेगा :

(क) यह सुनिश्चित करना कि पीआईए समुचित तैयारी के साथ-साथ अभ्यर्थी के चयन और परामर्शन हेतु रणनीतियों को अपनाएँ।

(ख) निर्धारित प्रमाणन और प्रत्यायन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) परियोजना को शुरू करने की अनुमति के पूर्व पीआईए के कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर न्यूनतम प्रशिक्षण अवसंरचना तथा अपेक्षित मानव संसाधन का मौजूद होना।

(घ) पूर्व-निर्धारित समय अंतरालों पर अपेक्षित एमआईएस प्रविष्टियों का अद्यतन किया जाना।

(ङ) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित पारदर्शिता अपेक्षाओं का पीआईए द्वारा अनुपालन।

(च) समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों का रख-रखाव।

(छ) प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रशिक्षणार्थियों की पूरे समय भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ज) निधियाँ जारी करना।

(झ) पीआईए, प्रशिक्षकों, अभ्यर्थियाँ और नियोक्ताओं के लिए शिकायत निपटान व्यवस्थाएँ।

(ण) परियोजनाओं की नियमित समीक्षा।

12.4 टीएसए अथवा इसका कोई अनुशंगी संगठन / फ्रैंचाइजी परियोजना कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के पैनल में शामिल होने का पात्र नहीं होगा।

12.5 मंत्रालय पर्यवेक्षण के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करेगा और सभी पीआईए को इस तंत्र के मानकों का अनुपालन करना होगा।

12.6 टीएसए को नियोजित करने और योजना के प्रबंधन के लिए वार्षिक बजट के लगभग 3% के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

13. परियोजना की निगरानी

(i) प्रगति को सतत् रूप सम मापना निगरानी है, जब परियोजना चल रही हो, जिसमें प्रगति की जांच करना और मापना, स्थिति का विश्लेषण करना और नई घटनाओं, अवसरों तथा मुद्दों पर प्रतिक्रिया करना शामिल है। मंत्रालय टीएसए अथवा किसी अन्य एजेंसी को समवर्ती निगरानी और एमआईएस के वास्तविक तथा वित्तीय रिपोर्टों को समवर्ती निगरानी और एमआईएस के वास्तविक तथा वित्तीय रिपोर्टों की औचक जाँच करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मंत्रालय के अधिकारी भी परियोजनाओं की निगरानी कर सकते हैं। इससे एकत्र की गई सूचना को निधियों को जारी करने तथा परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में रखा जाएगा।

(ii) निगरानी में प्रशिक्षण केंद्रों पर औचक दौरे किए जा सकते हैं और इसे मान्यता देने के लिए :

(क) समुचित आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम अवसंरचना के उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) लाभार्थियों की सत्यता को प्रामाणित करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण / पर्यवेक्षण करने की एमआईएस प्रविष्टियाँ।

(ग) उन अभ्यर्थियों के निवास क्षेत्र के पास प्रशिक्षण, प्लेसमेंट बनाए रखने के तथ्यों का लाभार्थी के परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रमाणन करना, जो परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए और जिनकी तैनाती पंचायत के बाहर की गई।

14. लेखापरीक्षा

(i) मंत्रालय के पास परियोजना के लेखों की लेखा परीक्षा कराने का अधिकार सुरक्षित है, यदि इसे आवश्यक समझा जाता है, इसमें सीएजी द्वारा और मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखा-परीक्षा शामिल है। पीआईए इस प्रयोजन के लिए सभी संगत अभिलेखों को मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा।

(ii) वित्तीय लेखा-परीक्षा सांविधिक उपबंधों के अनुसार पीआईए के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जानी है और परियोजना के लेखों का अनुरक्षण सार्थक लेखा-परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अलग से किया जाएगा।

(iii) परियोजना के अंतर्गत लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और वास्तविक प्रगति पर की गई कार्यवाही के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय निधि की दूसरी / तीसरी किस्त के जारी किए जाने के समय प्रस्तुत की जाएगी।

15. परियोजना का पूर्ण होना

(i) परियोजना के पूर्ण होने की रिपोर्ट लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ और तीसरी (अंतिम) किस्त जारी किए जाने के पूर्व दूसरी किस्त की लेखा परीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को पीआईए द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ii) प्रलेखन (वीडियो, ऑडियो और फोटोग्राफ सहित) वीडियो रिकार्डिंग के साथ परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें परियोजना के पूर्व और पश्चात् लाभार्थियों की स्थिति दी जाती है। इसमें परियोजना में दर्शाए गए अनुसार पदानगियों के ब्यौरे और इन प्रदानगियों की तुलना में हुई उपलब्धियाँ शामिल होनी चाहिए।

16. निबंधन एवं शर्तें

16.1 कार्यान्वयन एजेंसियाँ परिशिष्ट पर दी गई इस योजना के निबंधन और शर्तों द्वारा बाध्य न होंगी।

17. मध्यावधि मूल्यांकन

योजना का 3 (तीन) वर्षों के पश्चात् मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा और प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन तथा प्रभाव आंकलन के पश्चात् 12वीं योजना अवधि के अंतिम वर्ष में समीक्षा की जाएगी।

केंद्रीय क्षेत्र की 'सीखो और कमाओ' योजना से संबंधित निबंधन एवं शर्तें अल्पसंख्यकों का कौशल विकास

योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सहायता-अनुदान कार्यान्वयन संगठनों / संस्थानों द्वारा निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन हैं :

1. कि संगठन, जो योजना के अंतर्गत सहायता-अनुदान प्राप्त करने का इच्छुक है, योजना के अंतर्गत यथा विहित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा;
2. अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, यह परियोजना के गुणावगुण आधार पर भारत सरकार के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है;
3. कि संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इस आशय की लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि इस दस्तावेज में समाविष्टि तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर यथा संशोधित शर्तें उसे स्वीकार्य हैं;

4. कि संगठन भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 20 रु0 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर इस आशय का एक बॉंड निष्पादित करेगा कि वह अनुदान और योजना से संबंधित उन निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा, जो समय-समय पर संशोधित की जाती हैं और यह कि उसके अनुपालन में असफल रहने के मामले में वह सरकार को इस परियोजनार्थ संस्वीकृत कुल सहायता-अनुदान को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ सरकार को लौटा देगा और कानून के अनुसार आपराधिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा ;

5. कि मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त अस्थायी / नियमित कर्मचारियों को किसी किस्म के भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा;

6. कि संगठन इस अनुदान के संबंध में राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक में अलग से एक खाता रखेगा। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को 10,000/- रुपये और उससे ऊपर की अंतर्ग्रस्त सभी प्राप्तियाँ और भुगतान चैक के माध्यम से ही किए जाएँगे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से परियोजना को जारी रखने के लिए अनुदान मांगने के समय संस्वीकृत परियोजना को चलाने के संबंध में किए गए सभी सौदों को दर्शाने वाली बैंक पास बुक की एक प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ये खाते मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारत सरकार, अथवा संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों / अधिकारियों को किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे। संगठन या तो सीएजी के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षक सहायता-अनुदान लेखाओं को रखेगा और हर हालत में प्रत्येक वर्ष के जून माह के अंतिम सप्ताह तक मंत्रालय को सा0वि0नि0 19 (क) में उपयोग प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित लेखाओं की प्रति भेजेगाः

(क) वर्ष के लिए माँगे गए सहायता-अनुदान की प्राप्ति और भुगतान लेखा;

(ख) वर्ष के लिए माँगे गए सहायता-अनुदान की आय और व्यय के लेखे;

(ग) माँगे गए सहायता-अनुदान से परिसंपत्तियों और दायित्वों को दर्शाने वाला तुलना पत्र;

(घ) मद-वार ब्यौरा के साथ सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र (सा0वि0नि0 - 19 (क) में उपयोग-प्रमाण पत्र ;

(ङ) वर्ष के लिए संपूर्ण रूप से संगठन के लेखा परीक्षित लेखे।

7. संगठन मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए उसने सहायता-अनुदान प्राप्त किया है;

8. कि सहायता-अनुदान की मदद से प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ पंथ, धर्म, रंग आदि का ध्यान दिए बिना सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपलब्ध होंगी;

9. संगठन सरकारी स्रोतों सहित किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन / परियोजना के लिए अनुदान-प्राप्त नहीं करेगा। यदि वह अन्य स्रोतों से भी उसी परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करता है तो इसे प्राप्त करने के तुरंत पश्चात् समुचित संदर्भ के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित करना होगा;

10. संगठन, सहायता-अनुदान को यथांतरित नहीं करेगा अथवा उस परियोजना का निष्पादन किसी अन्य संगठन या संस्थान को नहीं सौंपेगा, जिसके लिए सहायता-अनुदान स्वीकृत किया गया है;

11. कि यदि सरकार परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है अथवा यह समझती है कि योजना को दिशा-निर्देश, स्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके पास तत्काल प्रभाव से सहायता-अनुदान को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और वह पूर्व सूचना के साथ अथवा इसके बना ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है, जो वह उचित समझे। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किसी संगठन को एक बार काली सूची में डाल दिए जाने पर उसे भविष्य में अनुदान देने हेतु मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, चाहे उसे किसी समय काली सूची से हटा दिया गया हो;

12. कि परियोजना के नवीनीकरण के समय अनुदान का कोई अव्ययित कोष मंत्रालय द्वारा बाद में अनुमेय अनुदान में समायोजित कर दिया जाएगा;

13. इस सहायता-अनुदान से पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से प्राप्त किसी परिसंपत्ति का निपटान अथवा बाधित नहीं किया जाएगा और अथवा जिसके लिए इसकी मंजूरी दी गई है, उससे इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा;

14. संगठन इस सहायता-अनुदान से प्राप्त की गई पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी और अर्धस्थायी परिसंपत्तियों का सा0 वि0 नि0 (19) में रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा। यह रजिस्टर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक / भारत सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अनुदान के संबंध में रजिस्टर का अलग से अनुरक्षण किया जाएगा और लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ उसकी एक प्रति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी;

15. वार्षिक अनुदान की अंतिम किस्त को जारी किया जाना अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसार वर्ष के दौरान पहले जारी की गई किस्तों के समुचित उपयोग का संगत साक्ष्य मुहैया कराने की शर्त पर होगा;

16. संगठनों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अन्य मौजूदा सेवाओं के तालमेल हेतु जिला प्रशासन के साथ संपर्क करना चाहिए। इन्हें स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी

संपर्क कायम करना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके पास संस्थागत व्यवस्थाएँ भी होनी चाहिए;

17. सामान्य वित्तीय नियम 150(2) के उपबंध वहाँ लागू होंगे, जहाँ गैर-सरकारी संगठनों को निर्धारित राशि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है;

18. संगठन समुचित रूप से ऐसे बोर्डों पर प्रदर्शित करेगा, जिस पर परियोजना स्थल के बारे में दर्शाया जाए कि यह परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चलाई जा रही है;

19. अनावर्ती मदों (यदि कोई हैं) कि खरीद प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर की जानी चाहिए और निरीक्षण के लिए वाउचर प्रस्तुत किए जाने चाहिए;

20. कि संगठन लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेगा;

21. नई परियोजना के मामले में, संगठित परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख में इस मंत्रालय और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित करेगा और यह संगठन द्वारा उनके बैंक खाते में निधियों की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए;

22. कि संगठन इन अनुदानों से किसी धार्मिक / सांप्रदायिक / रुढ़िवादी / विभाजक विश्वासों अथवा सिद्धांतों की हिमायत नहीं करेगा अथवा बढ़ावा नहीं देगा;

23. न्यायालय मामले की स्थिति में, संगठन तब तक किसी सहायता-अनुदान का हकदार नहीं होगा, जब तक मामला न्यायालय में लंबित है; मंत्रालय कार्यान्वयनकर्ता संगठन और तीसरे पक्ष के बीच किसी कानूनी / बौद्धिक / संविदागत विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुदान स्वीकार करके, प्राप्तकर्ता इस शर्त को स्वीकार करता है;

24. अनुदानों को जारी किए जाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी विवादों के निपटान का अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालय होगा;

25. संगठन को योजना के सभी उक्त निबंधन एवं शर्तों, दिशा-निर्देशों, सा0वि0नि0 के उपबंधों और उनमें किसी पश्चवर्ती संशोधन / परिवर्तन का अनुपालन करना होगा।

अध्यक्ष / सचिव / सीईओ के दिनांकित हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

पूरा नाम

पद

सरकारी मुहर

उस्ताद

विकास हेतु

कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण

1. भूमिका

1.1 भारत अपनी परम्पराओं और सस्कृति के लिए माना जाता है। भारत के अल्पसंख्यक समुदाय अपने पारम्परिक कौशलों, कलाओं एवं शिल्पों के लिए जाने जाते हैं। किन्तु प्रतियोगी बाजार एवं वैश्वीकरण की ताकतों के कारण तथा सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों की खराब होती सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण भी, इन कौशलों को युवा पीढ़ी द्वारा नहीं अपनाया जा रहा है। भारत सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि इन कलाओं/शिल्पों का संरक्षण किए जाने की जरूरत है। पारम्परिक कलाओं एवं उद्यमिता कौशलों का संवर्धन किए जाने की ज़रूरत है जो कुटीर एवं लघु उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं और इनके लिए बेहतर संबंध स्थापित करने तथा ब्रांडिंग को बढ़ाने एवं ऋण की सुनिश्चितता करने की आवश्यकता है।

1.2 अतः, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 100 % क्रेंदीय क्षेत्र की योजना के रूप में एक नई योजना 'उस्ताद' का शुभांरभ करता है। यह योजना 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2014-15 से क्रियान्वित की जाएगी।

2. उद्देश्य

(1) सिद्धहस्त कारीगरों/शिल्पियों का क्षमता-निर्माण करना सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों के माध्यम से पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देना।

(2) चिन्हित कलाओं/शिल्पों के मानक स्थापित करना तथा उनका प्रलेखन।

(3) पारम्परिक कौशलों का वैश्विक बाजार के साथ संबंध स्थापित करना।

(4) मौजूदा कामगारों की रोजगारपरकता, बीच में पढ़ाई छोड़ने इत्यादि की स्थिति में सुधार करना।

(5) हाशिये पर आ चुके अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर अजीविका के साधन जुटाना और उन्हें मुख्यधारा में लाना।

(6) बढ़ते हुए बाजार में अवसरों का लाभ उठाने में अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाना।

(7) श्रमिकों की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना।

(8) पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में डिजाइन विकास एवं अनुसंधान।

3. योजना का कार्यक्षेत्र

(1) इस योजना का उद्देश्य सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों का क्षमता-निर्माण करना तथा उनके पारम्परिक कौशलों को अद्यतन बनाना होगा। ये प्रशिक्षित सिद्धहस्त शिल्पी/कारीगर अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न विशिष्ट पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण देंगे।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय समुदायों के विकास तथा बाजार से उन्हें जोड़ने के लिए उनके द्वारा अपनाई जा रहीं सभी महत्वपूर्ण पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के लिए इस कौशल विकास कार्यक्रम का प्रारंभ करेगा।

4. ज्ञान भागीदार

(i) सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों का क्षमता-निर्माण करने तथा उनके पारम्परिक कौशलों का उन्नयन करने के लिए तकनीकी इनपुटों के साथ मंत्रालय तथा परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता अभिरणों (पीआईए) की सहायता करने के लिए मंत्रालय द्वारा कौशल ज्ञान भागीदारों को शामिल किया जाएगाः-

- वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
- क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषदें
- अन्य विशेषज्ञ एजेंसियाँ

(ii) ज्ञान भागीदारों की मंत्रालय तथा पीआईए को निम्नलिखित क्रियाकलापों के माध्यम से सहायता करनी होगीः

(क) अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा व्यवहार में लाए जा रहे परंपरागत कौशलों/शिल्पों की पहचान।

(ख) पहचान किए गए शिल्पों का मानक स्थापित करना।

(ग) पहचान किए गए शिल्पों का प्रलेखन।

(घ) डिजाइन विकास तथा अनुसंधान।

(ङ) सिद्धहस्त शिल्पकारों तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए पाठ्यक्रमों का विकास।

(च) प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और प्रमाणन।

(छ) कोई अन्य क्रियाकलाप जिसे मंत्रालय परंपरागत कौशलों/शिल्पों के परिरक्षण तथा संवर्धन के लिए आवश्यक समझे।

5. योजना के संघटक

योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम होंगेः-

(क) संस्थानों के माध्यम से कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण।

(ख) अनुसंधान एवं विकास हेतु उस्ताद अध्येतावृत्ति।

(ग) पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का संग्रह करने हेतु शिल्प संग्रहालय को सहायता।

(घ) अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों को उनके उत्पादों का विपणन करने हेतु सहायता।

संघटक (क) : संस्थानों के माध्यम से कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षणः

इस संघटक को एक संस्थागत ढाँचे के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा जिसमें मंत्रालय विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), विकास आयुक्त हस्तशिल्प अथवा क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त पारम्परिक कलाओं/शिल्पों से संबंधित प्रमाण-पत्र /डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराएगा।

(I) परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता अभिकरणों हेतु पात्रताः-

यह योजना निम्नलिखित परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता अभिकरणों (पीआईए) के माध्यम से पूर्व-निर्धारित अनिवार्य मापदंड के आधार पर क्रियान्वित की जाएगीः-

(क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम-से-कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत सोसाईटियां जिन्हें स्थापित बाजार संबंधों के साथ इस प्रकार के पारम्परिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को संचालित करने का अनुभव हो।

(ख) कोई भी उद्योग अथवा एसोचैम, सीआईआई, फिक्की इत्यादि सरीखे उद्योगों का एसोसिएशन जो समुचित प्लान के साथ योजना के वित्तीय मानकों के अनुसार इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों को संचालित करने में इच्छुक हों।

(ग) विश्वविद्यालयों सहित केंद्र/राज्य सरकारों का काई भी संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केंद्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान जिनके पास ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता हो और अनिवार्य मानदंड पूरा करते हों।

(II) पात्र प्रशिक्षणार्थी/लाभार्थी

(क) प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए। तथापि, अंतर-समुदाय भाई-चारा को बढ़ावा देने के लिए गैर-अल्पसंख्यक समुदायों से बीपीएल परिवारों से संबंधित 25 % उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 % सीट भी आरक्षित रखी जाएँगी।

(ख) प्रशिक्षणार्थी की आयु 14-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

(ग) प्रशिक्षार्थी की न्यूनतम अर्हता कम-से-कम पाँचवीं कक्षा होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है।

(घ) एक परिवार से एक से अधिक सदस्य एसी कला/शिल्प प्रारूप में प्रशिक्षण के पात्र हैं बशर्ते कि वह पात्रता मापदंड को पूरा करता/करती हो।

(III) पात्र योजना का कार्यान्वयन

(1) यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध , पारसी एवं जैन) द्वारा अपनाई जा रहीं पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण तथा बाजार संबंधों के साथ इसके संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

(2) यह योजना देश में कहीं पर भी आरंभ की जा सकती है।

(3) पीआईए निष्णात प्रशिक्षकों को नियोजित करेगा जो पारम्परिक कला/शिल्प के चुनिंदा क्षेत्र में जाने-माने सिद्धहस्त शिल्पकार/कारीगर हों।

(4) राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों, राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण-पत्र धारकों की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

(5) पीआईए के लिए अग्रिम में मौजूदा आर्थिक रुझान देखते हुए किसी विशिष्ट क्षेत्र में बाजार तथा स्व-रोजगार की क्षमता का मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा।

(6) पीआईए पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने, माँग तथा बाजार विकसित करने के उद्देश्य से "प्रदर्शनियां" तथा "क्रेता-विक्रेता समागम" हेतु उद्योग के साथ मिलकर तंत्रों को सक्रिय करने पर विचार करेगा।

(7) पीआईए कौशल भागीदारों तथा निष्णात प्रशिक्षकों के साथ सलाह-मशविरा करके पाठ्यक्रम मॉडयूल तैयार करेगा।

(8) पीआईए क्षेत्रीय संवर्धन परिषदों से पंजीकृत ज्ञान भागीदारों तथा अभिकरणों की ओर से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएगा।

(9) पीआईए वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), बैंकों इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार के लिए आसान लघु ऋण की व्यवस्था करेगा।

(10) न्यूनतम 33 % सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तथापि, अधिक बालिकाओं को कवर करने वाली पी आई ए को वरीयता दी जाएगी।

(11) पी आई ए को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना होगा जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलापों को शामिल किया गया हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के परिरक्षण, बाजार लिंकेज स्थापित करने और युवा पीढ़ी

के बीच पारंपरिक कलाओं/शिल्पों को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए रुचि उत्पन्न करने के वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं:-

(i) सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों (न्यूनतम 20 प्रशिक्षणार्थियों के समूह के लिए अधिकतम) की पहचान तथा उनका क्षमता-निर्माण एवं पारम्परिक कौशल का उन्नयन।

(ii) पारम्परिक ट्रेडों में रुचि रखने वाले अल्पसंख्यक युवाओं की पहचान तथा स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) उत्पादक कंपनियों में समूहीकरण। एक स्व-सहायता समूह में औसत 20 सदस्य होंगे।

(iii) युवाओं को उनके कौशल स्तर (पारम्परिक कला/शिल्प, उद्यमियता संबंधी प्रशिक्षण, मृदु कौशल, आईटी प्रशिक्षण) को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था जो उन्हें पारम्परिक कौशलों को सीखने तथा बाजार उन्मुख उत्पादन मॉडल तैयार करने में सक्षम बना सके।

(iv) स्व-सहायता समूह को अग्रवर्ती (ग्राहक सुलभता) तथा पश्चवर्ती संबंध (विक्रेता सुलभता) उपलब्ध कराना।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत करने हेतु बिजनेस प्लान प्रस्ताव तैयार करने में स्व-सहायता समूह की मदद करना। इन प्रयासों के माध्यम से स्व-सहायता समूह के लिए निधियां जुटाना।

(vi) स्व-सहायता समूह/उत्पादक कंपनी के लिए प्रबंधन टीम को किराये पर लेने में स्व-सहायता समूह की मदद करना।

(12) इस कार्यक्रम का फोकस इस बात पर है कि क्रियाकलापों से पारम्परिक कलाओं/शिल्पों को सीखने, निधियों की सुलभता से पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में कुशल युवाओं के स्व-सहायता समूह के सृजन तथा वंचित अल्पसंख्यक परिवारों के लिए आय वृद्धि में मदद मिले।

(IV) पाठ्यक्रम की अवधि एवं विषय-वस्तु

(1) पाठ्यक्रम न्यूनतम दो माह की अवधि का तथा चुनिंदा पारम्परिक कला/शिल्प के आधार पर अधिकतम 1 (एक) वर्ष का होना चाहिए। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु तथा कार्यक्रम की अवधि या तो एमएसडीई, विकास आयुक्त हस्तशिल्प, क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषद अथवा चयनित ज्ञान भागीदारों द्वारा विकसित मॉड्यूलों के अनुसार होनी चाहिए।

(2) पाठ्यक्रम में मृदु कौशलों, सूचना, प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी में बोल-चाल (प्रशिक्षुओं के शैक्षणिक स्तर के आधार पर) इत्यादि संबंधी प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाएगा।

(3) सप्ताह में अधिकतम 6 (छह) दिन, माह में अधिकतम 24 दिन प्रशिक्षण दिवस होंगे। एक दिन में, न्यूनतम 5 (पाँच) घंटों का प्रशिक्षण होगा।

(4) परियोजना में स्व-सहायता समूहों/उत्पादक कंपनियों के विरचन (formation) को शामिल किया जाएगा।

(V) वित्तपोषण का स्वरूप

(क) यह 100 % केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और चुनिंदा परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता अभिकरणों (पीआईए) के माध्यम से सीधे तौर पर मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

(ख) अनुमोदित परियोजनाओं की पूरी लागत, निर्धारित वित्तीय मानक के अनुसार मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

(ग) परियोजना लागत के 2 की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जिन्होंने स्व-सहायता समूहों अथवा प्लेसमेंट्स (जैसी भी स्थिति हो) के लिए बिजनेस प्लान के कार्यान्वयन सहित सभी शर्तों के साथ समय पर परियोजना सफलापूर्वक पूरी की हो।

(घ) पाठ्यक्रम के विभिन्न संघटकों के लिए लागत मानक निम्नानुसार होंगेः

लागत शीर्ष	प्रतिमाह अधिकतम अनुमत्य व्यय (भारतीय रुपये)
सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता-निर्माण एवं उनका अभिमुखीकरण (दो सप्ताह केवल)	गैर-आवासीय कार्यक्रम हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 10,000/- रुपये तथा आवासीय कार्यक्रम हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी 13,000/- रुपये।
कंप्यूटरों, मेजों, कुर्सियों, वर्कस्टेशनों इत्यादि सहित किराये/पट्टे का व्यय	
किराये, बिजली, पानी, जनित्र एवं अन्य चालू खर्चों सहित प्रशिक्षण केन्द्रों का संगठन एवं रख-रखाव	
प्रशिक्षण के दौरान भोजन, चाय एवं स्थानीय भ्रमण खर्च	
सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों का अभिमुखीकरण एवं प्रेरण	
संसाधकों (सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों के अलावा) को पारिश्रमिक सहित प्रशिक्षण खर्च, कच्चा माल, लर्निंग किट, मूल्यांकन एवं प्रमाणन	
एमआईएस वबेसाइट, ट्रैकिंग तथा अन्य निगरानी खर्च	
संस्थागत उपरि व्यय (उपर्युक्त सभी का अधिकतम 10 %)	3000/- रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी, जो 0.50 लाख रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं चाहिए, जो भी कम हो, और 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
प्रत्येक सिद्धहस्त शिल्पकार/कारीगर को पारिश्रमिक	
प्रोत्साहन राशि-सफल स्व-सहायता समूहों अथवा प्लेसमेंट्स के लिए परियोजना लागत को 2% (वार्षिक कार्य-निष्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।	

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित लागतें भी स्वीकार्य होंगी:

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को **भोजन/आवास** (जिसके लिए संगठन भोजन सहित आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 7500/- रूपये प्रतिमाह की दर से।

(ii) सभी गैर-आवासीय/आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए **मासिक वजीफा** प्रशिक्षण अवधि के लिए 1500/- रूपये प्रति माह होगा।

(iii) **सिक्किम एवं वाम पक्षीय उग्रवाद (एलडब्ल्यई) पीड़ित राज्यों (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के मामले में,** उन पीआईए को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय तौर पर क्षेत्र के भीतर परियोजनाओं का संचालन एवं शुरूआत करते हैं। तथापि, वास्तविक कठिनाइयों की स्थिति में, अगर इन क्षेत्रों से बाहर परियोजनाओं की शुरूआत की जाती है तो यात्रा की लागत निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी:

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के मामले में प्रति प्रशिक्षणार्थी 5000/- (पाँच हजार रूपये केवल) रूपये एकबारगी सहायता के रूप में आने-जाने की यात्रा लागत के लिए स्वीकार्य होगी। यह समग्र राशि पीआईए द्वारा प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में एक ही बार में उस वक्त अंतरित कर दी जाएगी, जब वह प्रशिक्षण में आ जाता/ आ जाती है।

(ख) वाम पक्षीय उग्रवाद से पीड़ित तथा उग्रवाद से पीड़ित राज्यों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के मामले में, प्रति प्रशिक्षु 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपये केवल) रूपये एकबारगी सहायता के रूप में आने-जाने की यात्रा लागत के लिए स्वीकार्य होगी। यह समग्र राशि पीआईए द्वारा प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में एक ही बार में उस वक्त अंतरित कर दी जाएगी, जब वह प्रशिक्षण में आ जाता/ आ जाती है।

(iv) प्रशिक्षणार्थियों को आधार/यूआईडी नं0 आदि उपलब्ध हैं अथवा किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान संख्या से जोड़ा जाएगा।

(VI) पीआई के पास आवश्यक अवसंरचना

(क) संगठन के पास गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्षों, प्रदर्शन सुविधाओं, शौचालयों (महिलाओं हेतु अलग से प्रसाधन सुविधा सहित) मशीनों (जहां कहीं लागू हो)तथा बुनियादी सुविधा आदि के साथ समुचित भवन (स्वयं का अथवा किराये का) होना चाहिए।

(ख) आवासीय पाठ्यक्रमों के मामले में, संगठन के पास छात्रावास सुविधा (बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग) होना चाहिए। बालिकाओं के छात्रावास हेतु सुरक्षा व्यवस्था उसी स्थान पर होनी चाहिए।

(ग) संगठन बाह्य स्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए (पुरूष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग-अलग आवासीय सुविधाएं सुनिश्चित करेगा।

निधियों की निर्मुक्ति

(क) परियोजना के अनुमोदन पर, निधियां 3 किस्तों में निर्मुक्त की जाएंगी अर्थात् 40:40:20 + प्रोत्साहन राशि (यदि लागू हों)। निर्मुक्ति की निधियां पीआईए को उनके खाते में इलैक्ट्रॉनिक द्वारा सीधे संवितरित की जाएगी।

(ख) निधियों की निर्मुक्ति का किस्त स्वरूप निम्नानुसार होगाः

1. **प्रथम किस्तः**

प्रथम किस्त (अर्थात् परियोजना लागत 40 %) परियोजना के अनुमोदन तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के उपरांत निर्मुक्त की जाएगी।

2. **दूसरी किस्तः**

परियोजना लागत के 40 % की दूसरी किस्त अग्रलिखित अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगी :

(क) लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ पहली किस्त के 60 % का उपयोग और प्राधिकृत सहायता एजेंसी द्वारा पीआईए लेखों का साप्ताहिक ऑफ-साईट (अर्थात् ऑनलाइन) और मासिक ऑन-साईट निरीक्षण।

(ख) परियोजना के पूर्ववर्ती वर्षों की वर्ष-वार लेखा परीक्षित रिपोर्ट देय हो जाने पर तुरंत प्रस्तुत करना।

3. **तीसरी किस्त (अंतिम किस्त):**

परियोजना लागत की 20 % की तीसरी किस्त जारी की जाएगीः

(क) मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट।

(ख) लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है।

(ग) परियोजनाओं में यथा अपेक्षित प्रदानगियां पूरी कर ली जाती हैं और वास्तविक तथा वित्तीय दोनों रूपों में एमआईएस आंकड़ों के आकस्मिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से एजेंसी द्वारा सत्यापित कर दी जाती हैं।

(घ) स्व-सहायता समूहों/प्लेसमेंट के निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरे।

(ङ) स्व-नियोजित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरे।

(VIII) आवेदन की प्रक्रिया

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आवश्यकतानुसार तथा ज्ञान भागीदारों से उन्हें पैनल में शामिल करने लिए समचार-पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा।

(ख) पीआईए तथा ज्ञान भागीदारों को पैनल में शामिल करने के लिए प्रस्तावों की जांच पूर्व-निर्धारित अनिवार्य मानदंड के आधार पर मंत्रालय की जांच समिति द्वारा की जाएगी। तथापि, मंत्रालय के पास बिना कोई सूचना दिए किसी स्तर पर पैनल में शामिल किए जाने को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। जांच समिति निम्नलिखित अनुसार होगी:

(i)	सयुंक्त सचिव (संबंधित), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	-	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक (आईएफडी), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	-	सदस्य
(iii)	निदेशक, कौशल विकास एवं उद्यमिता	-	सदस्य
(iv)	निदेशक, संस्कृति मंत्रालय	-	सदस्य
(v)	विकास आयुक्त हस्तशिल्प का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(vi)	निदेशक (योजना से संबंधित), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	-	संयोजक

(ग) मंत्रालय प्राधिकृत संगठनों/संस्थानों के प्रमाण-पत्रों को सत्यापित कर सकता है।

(घ) पैनल में शामिल संगठनों के प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) के अनुमोदन से विचार किया जाएगा।

(ङ) उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक मार्ग का भी अनुसरण कर सकता है। मंत्रालय अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करने हेतु उद्योगों अथवा औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ समझौता ज्ञापन कर सकता है।

(IX) स्व-रोजगार/प्लेसमेंट के पश्चात् सहायता

(क) चूंकि इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु स्व-रोजगार है, अतः पीआईए की ओर से प्रशिक्षित युवाओं के लिए उत्पादक कंपनी हेतु व्यवसाय योजना तैयार करना और इस बाजार से जोड़ना अनिवार्य होगा। पीआईए को इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने के समय, जब उनका चयन हो जाता है और परियोजना प्रदान कर दी जाती है, प्रस्तुत करना होगा। पीआईए को एक वर्ष की अवधि के लिए स्व-सहायता समूहों के प्रयासों की सहायता करनी होगी।

(ख) संगठित क्षेत्र में प्लेसमेंट के मामले में, निम्नलिखित कुछ सामान्य प्लेसमेंट शर्तें हैं, जिन्हें पीआईए द्वारा पूरा किया जाना है:-

(i) सभी अभ्यर्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता और परामर्श सहायता की पेशकश की जानी चाहिए।

(ii) जहां तक संभव हो, प्लेसमेंट न्यूनतम स्थान परिवर्तन किए बिना किया जाना चाहिए। यदि प्लेसमेंट दूर स्थान पर दिया जाता है, तो पीआईए युवाओं के रहने के लिए व्यवस्था करने में उनकी मदद करें।

(iii) प्लेसमेंट पश्चात् सहायता (पीपीएस) का उद्देश्य अभ्यर्थियों को रोजगार के प्रारंभिक महीनों में उन्हें स्थापित करने और उनकी देख-रेख करने में सहायता करना है।

(iv) वरीयता रूप में, प्लेसमेंट पीएफ, ईएसआई आदि जैसे संबद्ध लाभों के साथ संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(v) अनौपचारिक क्षेत्र में प्लेसमेंट में तभी विचार किया जाना चाहिए, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों:

(क) राज्य की न्यूनतम मजूदरी का आश्वासन देने वाला प्रस्ताव पत्र।

(ख) नियोक्ता का प्रमाण-पत्र कि मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अनुसार किया गया है।

(ग) नौकरियां पूर्णतः अस्थायी नहीं होनी चाहिए और उनमें स्थिरता हो।

(vi) अभ्यर्थी को प्लेस किया हुआ माना जाएगा, यदि वह प्रशिक्षण के पश्चात् कम-से-कम लगातार तीन महीनों के लिए नौकरी में बना रहता है/बनी रहती हे। निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक को प्लेसमेंट के सबूत के रूप से माना जाएगा।

1. नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्चियां।
2. वेतन के खाते में जमा करने के साथ अभ्यर्थी के बैंक खाते की खाता विवरणी।
3. अभ्यर्थी के नाम और वेतन ब्यौरे वाला पत्र।

(vii) पीआईए को प्लेसमेंट के पश्चात् के कार्य को सुनिश्चित करना और इस बात की निगरानी करना है कि नई नौकरियां एक वर्ष की अवधि तक बनी रहें।

(X) सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस)

(क) कार्यक्रम की गुणवत्ता के प्रबंधन का सतत आकलन किए जाने और उसे बनाए रखने के लिए जानकारी अपेक्षित है। इसे नियमित ट्रेकिंग और अनुवर्तन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा आरूपों और मानकों के अनुसार एमआईएस का अनुरक्षण पीआईए द्वारा किया जाना है।

(ख) परियोजना के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस), निर्णय समर्थन प्रणालि (डीएसएस) जैसी विभिन्न परियोजना सेवाओं के आयोजन और प्रदानगी के लि आईसीटी मंच का उपयोग करना। कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रतिभागी विशिष्ट सूचन रखनी होगी और सभी लागू सूचना प्रदायक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। सूचना व प्रविष्टि की नियमितता और गुणवत्ता मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग) पीआईए प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष के लिए ट्रेकिंग आंकड़ा का अनुरक्ष करेगा और प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए वास्तविक-समय वे आधारित प्रणाली पर उसका अनुरक्षण करेगा।

(XI) परियोजना की निगरानी

(i) प्रगति को सतत रूप में मापना निगरानी है, जब परियोजना चल रही हो, जिसमें प्रगि की जांच करना और मापना, स्थिति का विशलेषण करना और नई घटनाओं, अवस्त तथा मुद्दों पर प्रतिक्रिया करना शामिल है। मंत्रालय किसी अन्य एजेंसी को समवर्त निगरानी और एमआईए के वास्तविक तथा वित्तीय रिपोर्टों की औचक जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मंत्रालय के अधिकारी भी परियोजनाओं की निगरानी क सकते हैं। इससे एकत्र की गई सूचना को निधियों को जारी करने तथा परियोजन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में रखा जाएगा।

(ii) निगरानी में प्रशिक्षिण केंद्रों पर औचक दौरे किए जा सकते हैं और इसे मान्यता देने के लिएः

(क) समुचित आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम अवसंरचना के उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है

(ख) परिभाषित संकेंतकों के माध्यम से एमआईएस प्रविष्टियां।

(ग) उन अभ्यर्थियों के निवास क्षेत्र के पास प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और बनाए रखने के तथ्य का लाभार्थी के परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रमाणन करना, जो परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए और जिनकी तैनाती पंचायत के बाहर की गई।

(iii) कुल लागत का 3 परामर्शन अनुवीक्षण और मूल्यांकन सहित योजना के प्रशासन तथ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय किया जाएगा। प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए, आवश्यकता अनुसार आउटसॉर्स स्टॉफ के साथ एक परियोजना मैनेजमेंट एकक स्थापित किया जाएगा। संविदागत स्टॉफ को लगाने हेतु संगत जीएफआर का अनुसरण किया जाएगा। इस पर होने वाला व्यय योजना के प्रशासन और प्रंबधन हेतु निर्धारित % बजट से वहन किया जाएगा।

(XII) लेखापरीक्षा

(i) मंत्रालय के पास परियोजना के लेखों की लेखा परीक्षा कराने का अधिकार सुरक्षित है, यदि इसे आवश्यक समझा जाता है, इसमें सीएजी द्वारा और मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखा-परीक्षा शामिल है। पीआईए इस प्रयोजन के लिए सभी संगत अभिलेखों को मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा।

(ii) वित्तीय लेखा-परीक्षा सांविधिक उपबंधों के अनुसार पीआईए के चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जानी है, और परियोजना के लेखों का अनुरक्षण सार्थक लेखा-परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अलग से किया जाएगा।

(XIII) परियोजना का पूर्ण होना

(i) परियोजना के पूर्ण होने की रिपोर्ट लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ और तीसरी (अंतिम) किस्त जारी किए जाने के पूर्व दूसरी किस्त की लेखा परीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को पीआई द्वारा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(ii) प्रलेखन (वीडियों, ऑडियो और फोटोग्राफ सहित) वीडियो रिकार्डिंग के साथ परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें परियोजना के पूर्व और पश्चात् लाभार्थियों की स्थिति दी जाती है। इसमें परियोजना में दर्शाए गए अनुसार प्रदानगियों के ब्यौरे और इन प्रदानगियों की तुलना में हुई उपलब्धियां शामिल होनी चाहिए।

संघटक (ख): अनुसंधान और विकास के लिए उस्ताद अध्येतावृत्ति

मंत्रालय निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष "मंत्रालय द्वारा निर्धारित विषयों पर" व्यक्तियों को उस्ताद अध्येतावृत्ति (यां) प्रदान करेगा:

(क) परंपरागत कलाओं/शिल्पों के क्षेत्र में अनुसंधान।

(ख) नए डिजाइन, टेक्नालॉजी और उत्पाद का विकास।

(ग) परंपरागत कलाओं/शिल्पों में उन्हें बाजार मांग के साथ समतुल्य बनाने हेतु अभिनवता।

(घ) परंपरागत कलाओं/शिल्पों के बेहतर बाजार संबंधों को स्थापित करने हेतु तकनीकें।

(ङ) परंपरागत शिल्पकारों/कारीगरों के श्रम की महत्ता।

(च) परंपरागत कलाओं/दस्तकारी की निरंतरता।

(I) पात्रता:

(क) अभ्यर्थी अल्पसंख्यक समुदाय का हो और वस्त्र अभिकल्पन, चमड़ा अभिकल्पन, कालीन अभिकल्पन अथवा उस क्षेत्र में जिसमें वह उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्येतावृत्ति का लाभ उठाना चाहता है/चाहती है, में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए।

(ख) उसे नियमित एम०फिल०/पी-एच०डी० के लिए किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए।

(ग) उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

(घ) वार्षिक लक्ष्यों की 33 % सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी।

(II) वित्तपोषण और वित्तपोषण का स्वरूप :

(क) वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार दरें लागू होंगी। अध्येतावृत्ति तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। प्रथम और द्वितीय वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति 18,000/- रू. प्रतिमाह की दर से होगी और तीसरे वर्ष के लिए अनुसंधान कार्य की प्रगति के आधार पर यह 20,000/- रू. प्रतिमाह की दर से होगी।

(ख) अध्येतावृत्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए स्वीकार्य होगी। यदि रिसर्च 3 वर्षों के भीतर पूर्ण नहीं होती है तो इस मामले के मेरिट और रिसर्च वर्क की प्रगति के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से 20,000/- रू. प्रतिमाह पर अधिकतम एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ई-अंतरण के माध्यम से छात्र के बैंक खाते में अर्धवार्षिक आधार (एक ही बार में 6 महीनों की अध्येतावृत्ति) पर निधियां अंतरित की जाएंगी। पहले वर्ष की पहली निधि पी-एच.डी. में प्रवेश प्राप्त करने के 6 महीने के उपरांत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। तदनन्तर निधियां प्रत्येक 6 महीने के पश्चात् तदनुसार अंतरित की जाएंगी।

(III) चयन प्रक्रियाः

(क) संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय के सदस्यों, संबंधित निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), निदेशक (आईएफडी), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों को शामिल करते हुए एक जांच समिति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुशंसा करेगी।

(ख) अभ्यर्थियों का चयन योग्यता पर, चयनित की संगतता तथा पात्रता मानदंड के अनुसार की जाएगी।

संघटक (ग) पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण हेतु शिल्प संग्रहालय को सहायता

मंत्रालय निम्नलिखित संगठनों के परंपरागत कलाओं/शिल्पों के संरक्षण के लिए चुनिंदा हस्तक्षेप हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगाः

(क) राष्ट्रीय/राज्य संग्रहालय (ख) शिल्प संग्रहालय (ग) निजी संग्रहालय

(ङ) आईएनटीएसएच, आगा खान ट्रस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) आदि सरीखे अन्य कोई संगठन जिन्हें पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का सहकार करने की महारथ व प्रतिष्ठा प्राप्त हो।

(ii) वित्तपोषण :

(क) इस प्रयोजन के लिए 20 लाख रु. तक एक परियोजना के लिए अनुदान हेतु परियोजना-दर-परियोजना आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) परियोजना की जांच और इस पर विचार निम्नलिखित मंजूरीदाता समिति द्वारा किया जाएगा:

(क)	संयुक्त सचिव (संबंधित), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	– अध्यक्ष
(ख)	निदेशक (आईएफडी), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	– सदस्य
(ग)	निदेशक, संस्कृति मंत्रालय	– सदस्य
(घ)	निदेशक, वस्त्र मंत्रालय	– सदस्य
(ङ)	विकास आयुक्त हस्तशिल्प का प्रतिनिधि	– सदस्य
(च)	निदेशक (योजना के साथ संबद्ध), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	– संयोजक

(iii) **निधियां 40:40:20: की तीन किस्तों में निम्नानुसार जारी की जाएंगी :**

(क) **प्रथम किस्त :**

प्रथम किस्त (अर्थात् परियोजना लागत का 40 %) परियोजना के अनुमोदन के उपरांत तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के उपरांत निर्मुक्त की जाएगी।

(ख) **दूसरी किस्त :**

परियोजना लागत के 40% की दूसरी किस्त निम्नलिखित अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगी :

I. लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र और फोटोग्राफ के साथ प्रगति रिपोर्ट द्वारा समर्पित प्रथम किस्त के 60 % का उपयोग किए जाने पर ।

(ग) **तीसरी किस्त (अंतिम किस्त)**

परियोजना लागत के 20 % की तीसरी किस्त निम्नलिखित के होने पर निर्मुक्त की जाएगी:

i. मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना समापन रिपोर्ट।

ii. लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

iii. परियोजना में यथापेक्षित प्रदानगियां (Deliverables) पूरी हों तथा यादैच्छिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सत्यापित हों।

संघटक (घ): उस्ताद शिल्प उत्सव - अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों को अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए सहायता

यह संघटक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्रियान्वित किया जाएगा:

(क) वैयक्तिक अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों के उत्पादों के विपणन एवं बिक्री को प्रोत्साहित करना।

(ख) अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों को प्रदर्शनियों, व्यापार मेले, क्रेता-विक्रेता समागम आदि में भागीदारी के लिए सहायता देना।

(ग) राज्य/जिला स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए संगठनों (सरकारी संगठनों, पंजीकृत सोसायटियों/न्यास/कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) को सहायता देना।

(घ) दिल्ली हाट, हस्तशिल्प विक्रय केंद्रों आदि के साथ अनुबंधन स्थापित करना।

(I) वित्तीय मानक : मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित दरों पर 100% वित्तपोषण किया जाएगा:

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय मानक
1.	प्रदर्शनियां आयोजित करने की लागत	• 'क' श्रेणी के शहरों के लिए 25,000/- रू. प्रति स्टाल • 'ख' श्रेणी के शहरों के लिए 20,000/- रू. प्रति स्टाल • 'ग' श्रेणी के शहरों के लिए 20,000/- रू. प्रति स्टाल • 'घ' श्रेणी के शहरों के लिए 20,000/- रू. प्रति स्टाल सभी मेट्रो शहर 'क' श्रेणी के शहर हैं। सभी राज्यों की राजधानियां तथा मेट्रों शहरों के अलावा के शहर 'ख' श्रेणी के शहर है; जिला मुख्यालय 'ग' श्रेणी के शहर हैं तथा अन्य शहर 'घ' श्रेणी के शहर हैं।
2.	यात्रा भत्ता	दो व्यक्तियों के लिए रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी का शयनयान का अथवा साधारण बस का किराया (वास्तविक पर)
3.	दैनिक भत्ता	• शिल्पकार/कारीगरों प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्तियों के लिए 1200/- रु. प्रति व्यक्ति ('क' श्रेणी के शहर) 1000/- रू. प्रति व्यक्ति ('ख' श्रेणी के शहर) 500/- रू. प्रति व्यक्ति ('ग' तथा 'घ' श्रेणी के शहर)
4.	प्रतिभागी	शिल्पकार/कारीगर (प्रति स्टाल दो लाभार्थी)। स्व-सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।
5.	प्रर्दशनियों में स्टालों की संख्या	30-40
6.	प्रदर्शनी की अवधि	15 दिन

(II) योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

(III) निधियां 50 % प्रत्येक की दो किस्तों में निम्नानुसार निर्मुक्त की जाएंगीः

(क) प्रथम किस्त :

प्रथम किस्त (अर्थात् परियोजना लागत का 50 %) परियोजना के अनुमोदनोपरांत तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के उपरांत निर्मुक्त की जाएगी।

(ख) दूसरी किस्त :

परियोजना लागत के 50 % की दूसरी किस्त अनुपालन के अध्यधीन निर्मुक्त की जाएगीः

(i) लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र तथा फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट के साथ पहली किस्त का उपयोग।

(ii) मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना समापन रिपोर्ट।

(iii) लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

परियोजना में यथापेक्षित प्रदानगियां पूरी हों तथा यादैच्छिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से प्राधिकृत द्वारा सत्यापित हों।

6. नियम एवं शर्तें

क्रियान्वयनकर्त्ता संगठनों के लिए परिशिष्ट पर दिए गए अनुसार योजना के नियम व शर्तें मानना अनिवार्य होगा।

7. योजना की समीक्षा

यह योजना प्रतिष्ठित स्वतंत्र अभिकरण द्वारा मूल्यांकन एवं प्रभाव मूल्यांकन करने के उपरांत 12 वीं योजना के अंतिम वर्ष के समीक्षा करने के अध्यधीन होगी।

केंद्रीय क्षेत्र की 'उस्ताद' योजना के संबंधित नियम एवं शर्तें

योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सहायता-अनुदान परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां एवं ज्ञान भागीदा (इसके पश्चात् संगठन) द्वारा निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है :

1. कि संगठन, जो योजना के अंतर्गत सहायता-अनुदान प्राप्त करने का इच्छुक है, योजना अंतर्गत यथा विहित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा;
2. अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, यह परियोजना के गुणावगु आधार पर भारत सरकार के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है;
3. कि संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरूआत में इस आशय की लिखित रूप में पुष्टि करेगा इस दस्तावेज में समाविष्ट तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर य संशोधित शर्तें उसे स्वीकार्य हैं;
4. कि संगठन भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 20 रू. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय एक बॉण्ड निष्पादित करेगा कि वह अनुदान और योजना से संबंधित उन निबंधन एवं शर्तों पालन करेगा, जो समय-समय पर संशोधित की जाती हैं और यह कि उसके अनुपालन असफल रहने के मामले में, वह सरकार को इस परियोजनार्थ संस्वीकृत कुल सहाय अनुदान को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ लौटा देगा और कानून के अनुसार आपरा कार्यवाही के लिए जिम्मेवार होगा;
5. कि मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त अस्थायी/नियमि कर्मचारियों को किसी किस्म के भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा;
6. संगठन, यथाप्रयोज्य, प्रशिक्षणार्थियों की उनके बैंक खाते खोलने उनके वजीफा आदि इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरण में सहायता करेगा।
7. कि संगठन इस अनुदान के संबंध में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में अलग से एक खाता रखे अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को 10,000/-रु. और उससे ऊपर की अंतर्ग्रस्त सभी प्राप्तियां भुगतान चैक के माध्यम से ही किए जाएंगे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से परियोजना जारी रखने के लिए अनुदान मांगने के समय संस्वीकृत परियोजना को चलाने के संबंध में गए सभी सौदों को दर्शाने वाली बैंक पास बुक की एक प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है। ये खाते मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारत सरक अथवा संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों/अधिकारियों को किसी भी समय निरीक्षण लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। संगठन या तो सीएजी के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों अ चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा लेखा परीक्षित सहायता अनुदान लेखाओं को रखेगा और हर हाल

प्रत्येक वर्ष के जून माह के अंतिम सप्ताह तक मंत्रालय को (सा.वि.नि. 19 (क)) में उपयोग प्रमाण पत्र के साथ परीक्षित लेखाओं की प्रति भेजेगा :

(क) वर्ष के लिए मांगे गए सहायता-अनुदान की प्राप्ति और भुगतान लेखा;

(ख) वर्ष के लिए मांगे गए सहायता-अनुदान की आय और व्यय के लेखे;

(ग) मांगे गए सहायता अनुदान- की आय और व्यय के लेखे;

(घ) मद-वार ब्यौरा के साथ सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र (सा0 वि0 नि0 -19 (क) में उपयोग-प्रमाण पत्र;

(ङ) वर्ष के लिए संपूर्ण रूप में संगठन के लेखा परीक्षित लेखे।

8. संगठन मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए उसने सहायता-अनुदान प्राप्त किया है;

9. कि सहायता-अनुदान की मदद से प्रदान की जाने वाली सुविधाएं पंथ, धर्म, रंग आदि का ध्यान दिए बिना सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपलब्ध होंगी;

10. संगठन सरकारी स्त्रोतों सहित किसी अन्य स्त्रोत से उसी प्रयोजन/परियोजना के लिए अनुदान-प्राप्त नहीं करेगा। यदि वह अन्य स्त्रोतों से भी परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करता है, तो इसे प्राप्त करने के तुरंत पश्चात् समुचित संदर्भ के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित करना होगाः

11. संगठन, सहायता-अनुदान को यथांतरित नहीं करेगा अथवा उस परियोजना का निष्पादन किसी अन्य संगठन या संस्थान को नहीं सौंपेगा, जिसके लिए सहायता-अनुदान स्वीकृत किया गया है;

12. कि यदि सरकार परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है अथवा यह समझती है कि योजना के दिशा-निर्देशों, स्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लघंन किया जा रहा है, तो उसके पास तत्काल प्रभाव से सहायता-अनुदान को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और वह सूचना के साथ अथवा इसके बिना ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किसी संगठन को एक बार काली सूची में डाल दिए जाने पर, उसे भविष्य में अनुदान देने हेतु मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, चाहे उसे किसी समय काली सूची से हटा ही दिया गया हो;

13. कि परियोजना के नवीकरण के समय अनुदान का कोई अव्ययित शेष द्वारा बाद में अनुमेय अनुदान में समायोजित कर दिया जाएगा;

14. इस सहायता-अनुदान से पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से प्राप्त किसी परिसंपत्ति का निपटान अथवा बाधित नहीं किया जाएगा और अथवा जिसके लिए इसकी मंजूरी दी गई है, उससे इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा;

15. संगठन इस सहायता-अनुदान से प्राप्त की गई पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी और अर्धस्थायी परिसंपत्तियों का सा. वि. नि. (19) में रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा। यह रजिस्टर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अनुदान के संबंध में रजिस्ट्रार का अलग से अनुरक्षण किया जाएगा और लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ उसकी एक प्रति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी;

16. वार्षिक अनुदान की अंतिम किस्त को जारी किया जाना अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसार वर्ष के दौरान पहले जारी की गई किस्तों के समुचित उपयोग का संगत साक्ष्य मुहैया कराने की शर्त पर होगा;
17. संगठनों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अन्य मौजूदा सेवाओं के तालमेल हेतु जिला प्रशासन के साथ संपर्क करना चाहिए। इन्हें स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी संपर्क कायम करना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके पास संस्थागत व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए;
18. सामान्य वित्तीय 150 (2) के उपबंध वहां लागू होंगे, जहां गैर-सरकारी संगठनों को निर्धारित राशि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है;
19. संगठन समुचित रूप से ऐसे बोर्डों को प्रदर्शित करेगा, जिस पर परियोजना स्थल के बारे में दर्शाया जाए कि यह परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में चलाई जा रही है;
20. अनावर्ती मदों (यदि कोई हैं) की खरीद प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा प्रतिस्पर्धा कीमतों पर की जानी चाहिए और निरीक्षण के लिए वाउचर प्रस्तुत किए जाने चाहिए;
21. कि संगठन लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेगा;
22. नई परियोजनाओं के मामले में, संगठन परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख में इस मंत्रालय और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित करेगा और यह संगठन द्वारा उनके बैंक खाते में निधियों की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए;
23. कि संगठन इन अनुदानों से किसी धार्मिक/सांप्रदायिक/रूढ़िवादी/विभाजक विश्वासों अथवा सिद्धांतों की हिमायत नहीं करेगा अथवा बढ़ावा नहीं देगा;
24. न्यायालय मामले की स्थिति में, संगठन तब तक किसी सहायता-अनुदान का हकदार नहीं होगा, जब तक मामला न्यायालय में लंबित है; मंत्रालय कार्यान्वयनकर्ता संगठन और तीसरे पक्ष के बीच किसी कानूनी/बौद्धिक/संविदागत विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुदान स्वीकार करके, प्राप्तकर्ता इस शर्त को स्वीकार करता है;
25. अनुदानों को जारी किए जाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित **सभी विवादों के निपटान का अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालय होगा :**
26. संगठन को योजना के सभी उक्त निबंधन एवं शर्तों, दिशानिर्देशों, सा.वि.नि. के उपबंधों और उनमें किसी पश्चवर्ती संशोधन/परिवर्तन का अनुपालन करना होगा।

स्थान :
दिनांकित
दिनांकः

अध्यक्ष/सचिव/सीईओ के

(पूरा नाम)
पदनाम
सरकारी मुहर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

पृष्ठभूमि

1.1 वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, किसी जिले के अल्पसंख्यकों की 20 प्रतिशत अथवा अधिक आबादी के एकमात्र मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों की सूची वर्ष 1987 में तैयार की गई थी, ताकि सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

1.2 बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की संकल्पना सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की एक विशेष पहल के रूप में की गई थी। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसे वर्ष 2008-09 में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में आरंभ किया गया था। यह एक क्षेत्र विकास पहल है, जिसे सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बहुल जिलों की विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था।

उद्देश्य

2.1 इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है। एमएसडीपी के तहत शुरु की जाने वाली परियोजनाएँ आय सृजक अवसरों को पैदा करने की योजनाओं के अलावा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य , स्वच्छता, पक्के मकान, सड़कें, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना की व्यवस्था करने से संबंधित होंगी। योजना का उद्देश्य अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराते हुए तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अंतरों को दूर करने वाली परियोजना (नवाचारी परियोजनाएँ) शुरु करते हुए भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के अंतरों को दूर करना होगा।

2.2 यह पहल समावेशी तीव्र विकास प्रक्रिया तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एक संयुक्त प्रयास होगा। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए विकास संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना है ताकि इनमें असंतुलन को कम किया जा सके तथा विकास की गति को तेज किया जा सके।

2.3 अंतर को दूर करने वाली परियोजनाएँ भारत सरकार की मौजूदा योजना के अंतर्गत लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही क्रियान्वित की जाएँगी। अंतरों को दूर करने वाली

नवाचारी परियोजनाएँ प्रस्तुत एवं अनुमोदित परियोजना अभिकल्पन के अनुसार क्रियान्वित की जाएँगी।

अल्पसंख्यक

3.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत मुस्लिमों, सिक्खों, ईसाईयों बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता देश की कुल आबादी के 18.4% के लगभग है, जिनमें से मुस्लिम 13.4%, ईसाई 2.3%, सिक्ख 1.9%, बौद्ध 0.8% और पारसी 0.007% हैं।

3.2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन का क्षेत्र :

(i) ब्लॉक योजना की इकाई के तौर पर :

एमएसडीपी के क्रियान्वयन हेतु योजना की इकाई ब्लॉक होगा, न कि जिला के जैसा कि इस समय है। इससे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा, क्योंकि इस प्रयोजनार्थ जिला एक बड़ी इकाई था। इसके अलावा, इसके पास अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) जो इस समय मौजूदा एमसीडी से बाहर पड़ते हैं, को कवर करने में भी मदद मिलेगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़ेपन के अंगीकृत मानदंडों के आधार पर चुने गए पिछड़े जिलों में आने वाली न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉकों को पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 6 राज्यों (लक्षद्वीप, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा जम्मू एवं कश्मीर) के मामले में, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक हैं, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय से अतिरिक्त बहुसंख्यकों की अल्पसंख्यक जनसंख्या का न्यूनतम कट-आफ 15% अंगीकृत किया जाएगा। पिछड़े जिलों की पहचान के लिए अंगीकृत पिछड़ेपन के मानदंड (11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंगीकृत के समान ही) निम्नानुसार हैं :

(क) जिला स्तर पर धर्म-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संकेतक-

(i) साक्षरता दर;
(ii) महिला साक्षरता दर;
(iii) कार्य में भागीदारी दर; और
(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर; तथा

(ख) जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक -

(i) पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता;
(ii) स्वच्छ पेय जल की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता;
(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता;

चुनिंदा ब्लॉकों में, अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले गाँवों को गाँव-स्तर की अवसंरचनाओं / परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। परिसंपत्तियों के स्थान का चयन इस तरह से किया जाना चाहिए कि अवाह क्षेत्र में कम-से-कम 25% अल्पसंख्यक आबादी हो। 155 पिछड़े जिलों में आने वाले ऐसे कुल 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों को वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर चिन्हित किया गया है।

(ii) **अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों के बाहर स्थित अल्पसंख्यक बहुल गाँवों के समूह :** पिछड़े जिलों में ब्लॉकों के साथ सटे हुए समीपस्थ अल्पसंख्यक गाँवों के समूह **(कम-से-कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले)** जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के रूप में चयनित नहीं किया गया है, चिन्हित किए जाएँगे। पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के मामलें मे, ऐसे गाँव जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 25% है, चिहिन्त किये जायेंगे। लगभग 500 गाँव, जो अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों के बाहर स्थित हैं, उन्हें इन समूहों के माध्यम से कवर किया जाएगा।

उपर्युक्त मापदंडों को पूरा करने वाले समूहों की पहचान राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अभिज्ञात समूहों की सिफारिश अधिकार-प्राप्त समिति को कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु इसके अंतिम चयन के लिए की जाएगी। अधिकार-प्राप्त समिति समूह के चयन को अंतिम रूप देगी और 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रत्येक समूह के लिए आवंटन को निश्चित करेगी।

(iii) **पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल नगर / शहर :**

नगर / शहर जिनकी न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक जनसंख्या, (6 राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, उस राज्य / संघ राज्य क्षेत्र बहुलता में आए अल्पसंख्यक समुदायों के अतिरिक्त, अल्पसंख्यक जनसंख्या का 15%) सामाजिक-आर्थिक और मूलभूत सुविधाओं के दोनों मानदंडों में राष्ट्रीय औसत से नीचे है, को कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक बहुल नगरों / शहरों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 90 एमसीडी के बाहर स्थित 53 जिलों के कुल 66 अल्पसंख्यक बहुल नगरों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम में नगरों / शहरों के अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण हेतु कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित, केवल शिक्षा के संवर्धन में ही दखल दिया जाएगा।

3.3 इस प्रकार यह कार्यक्रम 196 जिलों में स्थित 719 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों तथा 66 शहरों को कवर करेगा। ब्लॉक / शहर / नगरों की सूची परिशिष्ट-1 पर है। तथापि, 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने पर अथवा राज्यों द्वारा किसी नये ब्लॉक / नगर के मानदण्ड के पूरा करने की सूचना मिलने पर, इसे संशोधित किया जाएगा।

बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एमएसडी प्लान)

4.1 राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की देख-रेख की स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ किसी विभाग को अधिसूचित करेंगे। यह सलाह देने योग्य बात होगी कि एमएसडीपी तथा प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में उसी विभाग की जिम्मेदारी हो। एमएसडीपी हेतु योजना तैयार करते समय राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी अंतरों को दूर करने वाली (मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल) तथा अंतरों को दूर न करने वाली परियोजनाएँ (नवाचारी परियोजनाएँ) दोनों ही संचालित करेंगे।

4.2 एमएसडीपी हेतु योजना तैयार करते समय, राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अल्पसंख्यकों के कौशल प्रशिक्षण सहित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास को प्राथमिकता देंगे। राज्य को दिए गए आवंटन का कम-से-कम 10% अल्पसंख्यक युवाओं को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाकलापों हेतु निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं में शिक्षा को सुविधाजनक बनाने एवं बढ़ावा देने के लिए एमएसडीपी के तहत 9वीं कक्षा की अल्पसंख्यक छात्राओं को निःशुल्क साईकलें दी जा सकती हैं। छात्रा 8वीं कक्षा की निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हो और 9वीं कक्षा में पढ़ाई जारी रख रही हो, और ऐसी छात्रा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित होनी चाहिए।

4.3 एमएसडीपी प्लान की तैयारी

योजना प्रक्रिया को आधारिक स्तर तक ले जाने वाले इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत कवर किए गए सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय समिति ग्राम स्तर पर योजना (बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यक विभिन्न परियोजनाओं वाली) तैयार करेगी। फिर यह समिति जिला स्तरीय समिति को प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के लिए योजना की सिफारिश करेगी। शहरों / नगरों के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति योजना प्रस्ताव की जांच करेगी और 15-सूत्रीय कार्यक्रम के लिए इसकी सिफारिश राज्य स्तरीय समिति को करेगी। राज्य स्तरीय समिति राज्य द्वारा केंद्रीय मंत्रालय की समानांतर योजनाओं के अनुमोदित मानकों से राज्य द्वारा प्राप्त मानकीकृत लागत के आधार पर परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करेगी। जिला मानकीकृत लागत वाली अन्य योजनाओं को अनुमोदित करेगी। राज्य स्तरीय समिति 10 करोड़ रु0 तक की लागत वाली परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी। केंद्र की अधिकार प्राप्त समिति ब्लॉक / शहर तथा गाँवों के समूह की समग्र योजना को अनुमोदित करेगी तथा 10 करोड़ रु0 से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देगी। इस अनुमोदन के आधार पर मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा निधियाँ जारी की जाएँगी।

4.4 योजना इस ढंग से तैयार की जाएगी कि या तो केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं / कार्यक्रमों की निधियों को बढ़ाकर 'विकास संबंधी कमियों' को दूर किया जाएगा अथवा ऐसी परियोजनाओं का प्रस्ताव किया जाएगा, जिन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं / कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु वर्ष-वार वित्तीय एवं वास्तविक चरणबद्धता का उल्लेख करेगा।

4.5 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बहु-क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल परियोजनाएँ राज्य / केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत अथवा आरएसवीवाई / बीआरजीएफ और पीएडीपी में संबद्ध ब्लॉकों से संबंधित किसी भी निधि स्रोत के तहत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित न हों। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लक्षित एमसीबी / शहरों / नगरों / गाँवों में क्रियान्वित किए जा रहे इन्हीं उद्देश्यों वाली अन्य सरकारी तौर पर वित्तपोषित योजनाओं के साथ इनकी द्विरावृत्ति न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि बहु-क्षेत्रीय विकास योजना वार्षिक योजनाओं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हो तथा ब्लॉकों / शहरों / नगरों / गाँवों को दिए जो रहे संसाधन मौजूदा योजनाओं / कार्यकमों के अंतर्गत इन क्षेत्रों को किए जाने वाले नियमित आवंटन के अलावा हों।

4.6 बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत, प्राथमिकता प्रदत्त प्रत्येक योजना से संबंधित धारणा पत्र शामिल होगा, जिसके साथ अंतराल को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करते हुए प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करने के आशय का सामाजिक-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, इसकी जटिलताएँ, लक्ष्य, कार्यनीति, परिणाम और लाभ, दूरगामिता, वर्षवार वित्तीय और भौतिक विवरण के साथ परियोजना की अनुमानित लागत, निजी निवेश भागीदारी (यदि कोई हो), परियोजना की स्थान-स्थिति, भूमि की उपलब्धता और संभावित लाभार्थी, कार्यान्वयन एजेंसी, परियोजना की अवधि, कार्यान्वयन के लिए वर्तमान एवं प्रस्तावित तंत्र, प्रबंधन / संचालन और सृजित परिसंपत्ति के अनुरक्षण संबंधी विवरण शामिल होंगे।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) :

5.1 10 करोड़ से अधिक की अनुमानित परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए डीपीआर मंत्रालय को भेजे जाएँगे।

5.2 डीपीआर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित लाईन डिपार्टमेंट द्वारा अथवा परियोजना संचालित कर रही एजेंसी के माध्यम से ही तैयार किया जाएगा।

5.3 प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट होनी चाहिए। डीपीआर में अन्य बातों के अलावा आधारभूत सूचना का उल्लेख होना चाहिए तथा इसके औचित्य, लागत, आवश्यक धन, परियोजना स्थल के आस-पास उपलब्ध सुविधाएँ, विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएँ आदि जैसे आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता की दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त डीपीआर में निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिए :

4.4 योजना इस ढंग से तैयार की जाएगी कि या तो केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं / कार्यक्रमों की निधियों को बढ़ाकर 'विकास संबंधी कमियों' को दूर किया जाएगा अथवा ऐसी परियोजनाओं का प्रस्ताव किया जाएगा, जिन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं / कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु वर्ष-वार वित्तीय एवं वास्तविक चरणबद्धता का उल्लेख करेगा।

4.5 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बहु-क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल परियोजनाएँ राज्य / केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत अथवा आरएसवीवाई / बीआरजीएफ और पीएडीपी में संबद्ध ब्लॉकों से संबंधित किसी भी निधि स्रोत के तहत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित न हों। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लक्षित एमसीबी / शहरों / नगरों / गाँवों में क्रियान्वित किए जा रहे इन्हीं उद्देश्यों वाली अन्य सरकारी तौर पर वित्तपोषित योजनाओं के साथ इनकी द्विरावृत्ति न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि बहु-क्षेत्रीय विकास योजना वार्षिक योजनाओं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हो तथा ब्लॉकों / शहरों / नगरों / गाँवों को दिए जो रहे संसाधन मौजूदा योजनाओं / कार्यकमों के अंतर्गत इन क्षेत्रों को किए जाने वाले नियमित आवंटन के अलावा हों।

4.6 बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत, प्राथमिकता प्रदत्त प्रत्येक योजना से संबंधित धारणा पत्र शामिल होगा, जिसके साथ अंतराल को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करते हुए प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करने के आशय का सामाजिक-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, इसकी जटिलताएँ, लक्ष्य, कार्यनीति, परिणाम और लाभ, दूरगामिता, वर्षवार वित्तीय और भौतिक विवरण के साथ परियोजना की अनुमानित लागत, निजी निवेश भागीदारी (यदि कोई हो), परियोजना की स्थान-स्थिति, भूमि की उपलब्धता और संभावित लाभार्थी, कार्यान्वयन एजेंसी, परियोजना की अवधि, कार्यान्वयन के लिए वर्तमान एवं प्रस्तावित तंत्र, प्रबंधन / संचालन और सृजित परिसंपत्ति के अनुरक्षण संबंधी विवरण शामिल होंगे।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) :

5.1 10 करोड़ से अधिक की अनुमानित परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए डीपीआर मंत्रालय को भेजे जाएँगे।

5.2 डीपीआर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित लाईन डिपार्टमेंट द्वारा अथवा परियोजना संचालित कर रही एजेंसी के माध्यम से ही तैयार किया जाएगा।

5.3 प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट होनी चाहिए। डीपीआर में अन्य बातों के अलावा आधारभूत सूचना का उल्लेख होना चाहिए तथा इसके औचित्य, लागत, आवश्यक धन, परियोजना स्थल के आस-पास उपलब्ध सुविधाएँ, विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएँ आदि जैसे आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता की दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त डीपीआर में निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिए :

(vii) कार्यक्रम के तहत लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। लागत की वृद्धि के मामले में इसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(viii) योजना निरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ सभी स्तर पर स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी समूहों और पीआरआई की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ix) प्रस्तावित परियोजनाएँ निरंतर चलते रहने योग्य होनी चाहिए और परिसंपत्तियों का सृजन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए,

(x) बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम केंद्र / राज्य एजेंसियों के माध्यम से ही कार्यान्वित की जाएगी। तथापि, राज्य यह निर्णय ले सकेंगे कि परियोजना को पात्र, ख्यातिप्राप्त अनुभवी एजेंसी तथा ख्यातिप्राप्त एवं व्यापक रूप से मान्य गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से करा सकें, किंतु इसके औचित्य का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाना होगा।

(xi) इस योजना के तहत नए पदों के सृजन की पूरी-पूरी मनाही है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होगी कि इस कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्तियों को संचालित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी पहले से उपलब्ध हैं अथवा उपलब्ध कराए जाएँगे। केंद्र सरकार के संसाधनों से किसी भी आवर्ती व्यय की पूर्ति इस योजना के तहत नहीं की जाएगी और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन की होगी कि इस कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्तियों का रख-रखाव उनके द्वारा किया जाए।

(xii) सभी योजनाएँ / डीपीआर संबद्ध राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण / कार्य से जुड़े विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अग्रसारित की जाएँगी। पत्राचार के मामले में भी संचार की यही प्रणाली लागू होगी।

(xiii) परियोजना निर्धारण कार्य में निम्नलिखित मानदंड सहायक होंगे:

(क) शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए;

(ख) स्व-रोजगार / आय सृजन से जुड़ी परियोजनाएँ ऋण आधारित होनी चाहिए न कि सब्सिडी आधारित तथा इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि बैंकों / वित्तीय संस्थानो और लाभार्थी योगदान के माध्यम से ऋण के रूप में बड़ा निवेश किया जा सके। तथापि, केंद्र सरकार की सब्सिडी आधारित योजनाओं के मामले में इसमें ढील जी जा सकेगी क्योंकि योजना के कार्यक्षेत्र में विस्तार हेतु संसाधनों में वृद्धि नितांत आवश्यक है। ऐसे मामले में, सब्सिडी को उस स्तर पर रखा जाना चाहिए, जैसा केंद्र सरकार की योजनाओं / कार्यक्रमों के तहत प्रदान किया गया है।

- इस आशय का प्रमाणन कि लागत अनुमान राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार है और लागत संबद्ध राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में लागू अद्यतन दर अनुसूची (एसओआर) पर आधारित है:
- संभावित आर्थिक / सामाजिक लाभ और लक्षित लाभार्थी; तथा
- विनियामक और सांविधिक अनापत्तियों (क्लियरेंस) की स्थिति

5.4 प्रत्येक परियोजना रिपोर्ट से संबंधित डीपीआर की दो प्रतियाँ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को जांच और क्लियरेंस के लिए भेजी जाएँगी।

6. बहुक्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी के समय अनुसरणीय सिद्धांत

6.1 योजना की तैयारी के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं;

(i) किसी ब्लॉक शहर के लिए योजना सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा आधारभूत सुविधाओं में सुधार की अपेक्षा पर आधारित होगी।

(ii) योजना में विभिन्न लक्षित क्षेत्रों में प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं अर्थात् प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, विद्युत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और आय सृजक क्रियाकलापों का उल्लेख होना चाहिए। ऐसा किसी जिले के समग्र विकास के लिए अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना के लिए भी किया जाएगा। इसमें जिलों की सामाजिक-आर्थिक मानदंडों में सुधार के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने, महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने आदि जैसे सामाजिक अभियान चलाने से जुड़ी परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि इन जिलों के लिए अतिरिक्त संसाधन है और इन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पहले से संवाहित निधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लक्षित जिलों में समान प्रयोजन से कार्यान्वित सरकारी तौर पर धन सहायता प्राप्त योजनाओं के साथ द्विरावृत्ति न हो।

(v) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक तथा आधारभूत सुविधाओं के मानदंडों में सुधार के लिए संबद्ध जिले की वंचना पर स्तर के अनुसार ही ध्यान दिया जाना चाहिए और संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, किंतु ऐसे जिलों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(vi) अभिनिर्धारित जिलों को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लाने के लिए भौतिक परिसंपत्ति सृजित करने हेतु परियोजनाएँ, आजीविका सहायता उपलब्ध करने और सेवाओं के अनुकूलन के अपेक्षित अवसंरचनात्मक संपर्क उपलब्ध कराने के लिए होनी चाहिए।

(vii) कार्यक्रम के तहत लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। लागत की वृद्धि के मामले में इसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(viii) योजना निरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ सभी स्तर पर स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी समूहों और पीआरआई की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ix) प्रस्तावित परियोजनाएँ निरंतर चलते रहने योग्य होनी चाहिए और परिसंपत्तियों का सृजन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए,

(x) बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम केंद्र / राज्य एजेंसियों के माध्यम से ही कार्यान्वित की जाएगी। तथापि, राज्य यह निर्णय ले सकेंगे कि परियोजना को पात्र, ख्यातिप्राप्त अनुभवी एजेंसी तथा ख्यातिप्राप्त एवं व्यापक रूप से मान्य गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से करा सकें, किंतु इसके औचित्य का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाना होगा।

(xi) इस योजना के तहत नए पदों के सृजन की पूरी-पूरी मनाही है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होगी कि इस कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्तियों को संचालित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी पहले से उपलब्ध हैं अथवा उपलब्ध कराए जाएँगे। केंद्र सरकार के संसाधनों से किसी भी आवर्ती व्यय की पूर्ति इस योजना के तहत नहीं की जाएगी और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन की होगी कि इस कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्तियों का रख-रखाव उनके द्वारा किया जाए।

(xii) सभी योजनाएँ / डीपीआर संबद्ध राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण / कार्य से जुड़े विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अग्रसारित की जाएँगी। पत्राचार के मामले में भी संचार की यही प्रणाली लागू होगी।

(xiii) परियोजना निर्धारण कार्य में निम्नलिखित मानदंड सहायक होंगे:

(क) शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए;

(ख) स्व-रोजगार / आय सृजन से जुड़ी परियोजनाएँ ऋण आधारित होनी चाहिए न कि सब्सिडी आधारित तथा इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि बैंकों / वित्तीय संस्थानो और लाभार्थी योगदान के माध्यम से ऋण के रूप में बड़ा निवेश किया जा सके। तथापि, केंद्र सरकार की सब्सिडी आधारित योजनाओं के मामले में इसमें ढील जी जा सकेगी क्योंकि योजना के कार्यक्षेत्र में विस्तार हेतु संसाधनों में वृद्धि नितांत आवश्यक है। ऐसे मामले में, सब्सिडी को उस स्तर पर रखा जाना चाहिए, जैसा केंद्र सरकार की योजनाओं / कार्यक्रमों के तहत प्रदान किया गया है।

ऐसे अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों / शहरों / नगरों / गाँवों में कार्यान्वयनाधीन किसी वर्तमान कार्यक्रम के दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके लिए इस योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(xiv) सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना और समुदाय परिसंपत्ति के सृजन के लिए परियोजना निर्धारण कार्य में निम्नलिखित मानदंड सहायक होंगेः

(क) भूमि अधिग्रहण लागत को इस कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगाः

(ख) इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग प्रशासनिक भवनों के नवीकरण अथवा निर्माण, प्रतिष्ठान लागत / कर्मचारी लागत आदि के मद में नहीं किया जा सकेगा।

(ग) परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा इस कार्यक्रम से कोई भी कर्मचारी घटक - कार्य प्रभारित अथवा नियमित - नहीं सृजित किया जाएगा।

7. योजना अनुमोदनः

7.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना अभिज्ञात ब्लॉक / शहर / समूह के स्तर पर बनायी जाएगी। एमसीबी के रूप में अभिज्ञात ब्लॉकों के लिए एमएसडीपी (ब्यौरा पैरा 8 में) हेतु गठित ब्लॉक स्तरीय समिति योजना बनाएगी और इसे प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय समिति के पास भेजेगी। शहरों / नगरों के मामले में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय द्वारा योजना बनायी जाएगी और जिला स्तरीय समिति योजना बनाएगी और जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय समिति ऐसे ब्लॉकों के लिए गठित की जाएगी, जिनके अल्पसंख्यक गाँवों के समूह को ईसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऐसे समूहों के लिए योजना ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा बनायी जाएगी और जिला स्तरीय समिति को भेजी जाएगी।

7.2 जिला स्तरीय समिति

जिला स्तरीय समिति योजना प्रस्ताव की संवीक्षा करेगी और 15-सूत्रीय कार्यक्रम हेतु इसे राज्य स्तर की समिति को सिफारिश करेगी। समितियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि जिले के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना, कार्यक्रम के विवरण में उल्लिखित अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है :

(क) संबद्ध जिले को राष्ट्रीय औसत के अनुकूल लाने के लिए आधारभूत सुविधा मानदंड और अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करना;

(ख) कमी / अंतराल को पूरा करने के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करना, न कि बजट सहायता प्राप्त किसी वर्तमान योजना को समान प्रयोजन से रखने के लिए;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि इन जिलों के लिए अतिरिक्त संसाधन है और इन्हें राज्यों में संवाहित राज्य सरकार की निधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक बहुल जिलों से निधियाँ अन्यत्र लगाया जाना रोकने के लिए संबद्ध जिले की पिछले वर्ष की धनराशि को उपयोग में लाए जाने को आधार माना जाएगा।

(घ) उन चुनिंदा क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करना, जिन्हें संबद्ध राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में और केंद्र सरकार के कार्यक्रम / योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है किंतु जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता हो।

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं का समान प्रयोजन से द्विरावृत्ति न हो।

(च) अल्पसंख्यक बहुल गाँवों / स्थान स्थितियों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाओं का चयन करना।

(छ) संबद्ध क्षेत्र के संसाधनों को न्यायोचित ढंग से संवितरित करना, ताकि संगतपूर्ण मानदंडों को राष्ट्रीय औसत से ऊपर लाया जा सके।

(झ) यह सुनिश्चित करना कि संबद्ध जिले से संबंधित बहुक्षेत्रीय विकास योजना उस जिले में संसाधनों की उपलब्धता और कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि संबद्ध जिले से संबंधित बहुक्षेत्रीय विकास योजना उस जिले में संसाधनों की उपलब्धता और कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

उपर्युक्त / कलेक्टर / जिला मिशन निदेशक जैसा भी मामला हो, जिला योजना को बनाने के और इसके कार्यान्वयन और प्रभारी निगरानी रखने के लिए सहायता प्रदान करेंगे।

7.4 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति संबद्ध राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का कार्य भी करेगी। वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त, इसमें सभी संबद्ध विभाग के सचिवों, वित्त व योजना विभागों के सचिवों, संबद्ध जिले की जिला नियोजन समिति / उप आयुक्त तथा राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अग्रणी बैंक के प्रमुख को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। बैठक से संबंधित सूचनाएँ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजी जाएँगी, ताकि मंत्रालय का कोई अधिकारी बैठक में शामिल हो सके।

7.5 राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) 10 करोड़ रु0 तक की परियोजनाएँ अनुमोदित करेगी। परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय एसएलसी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

(i) यह देखेगी कि योजना प्रस्ताव एमएसडीपी की परिधि में है अर्थात् परियोजनाएँ एमएसडीपी के उद्देश्यों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं।

(ii) यह अपने आपको संतुष्ट करेगी कि प्रस्तावित स्थान पर परियोजना की जरूरत और औचित्य है।

(iii) यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य द्वारा अनुमोदित एकल परियोजनाओं की लागत केंद्रीय मंत्रालयों के अनुरूप योजनाओं के मानकों / बनावट से ली गई मानक लागत के अनुसार है।

(iv) यह सुनिश्चित करेगी कि एमएसडीपी के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ सृजन के कैचमेंट क्षेत्र में अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या है।

(v) यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की परियोजनाओं का दोहरीकरण न हो रहा है।

(vi) यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध है।

(vii) यह सुनिश्चित करेगी कि सृजित की गई परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकारी/सरकारी निकायों के पास हो।

(viii) यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार भविष्य में आवर्ती व्यय करने में सक्षम हो और परियोजना के लिए जरूरी स्टाफ उपलब्ध करा सके।

(ix) यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच परियोजना की निधियों की हिस्सेदारी का तरीका उस परियोजना के संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना के अनुरूप है।

7.6 मंत्रालय को एक प्रतिनिधि को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भी तैनात किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति ब्लॉक / शहरों / समूहों पर अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर ब्लॉक / शहर / समूह की योजना अधिकार प्राप्त समिति को विचारार्थ भेजेगी। प्रस्तावित योजना दिए गए परिशिष्ट-II के प्रारूप के अनुसार भेजी जाएगी।

7.7 तथापि, 10 करोड़ रु0 की और इससे अधिक की लागत वाली परियोजनाएँ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, समर्थन आदि के साथ केंद्र में अधिकार प्राप्त समिति को भेजी जाएगी।

7.8 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अधिकार प्राप्त समिति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अधिकार प्राप्त समिति (ब्यौरे पैरा 15 में दिए गए हैं) ब्लॉक / शहरों / समूहों की समग्र योजना और दस करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करेगी। केंद्र में अधिकार प्राप्त समिति समग्र योजनाओं की जांच करेगी

और देखेगी कि योजना प्रस्ताव एमएसडीपी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं कि नहीं। अधिकार-प्राप्त समिति परियोजनाओं को राज्य सरकारों की जरूरतों की तुलना मे योजना परिव्ययों पर निर्भर होते हुए उन्हें कम या ज्यादा कर सकती है और अंत में योजना को अनुमोदित कर सकती है।

8. निधियों की निर्मुक्ति

8.1 कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएँ केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अंतर को भरने के लिए या अल्पसंख्यक समुदायों की क्षेत्र विशेष की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव परियोजनाओं के लिए हो सकती हैं। परियोजनाओं के मौजूदा योजनाओं के अंतर को भरने के लिए परियोजनाओं हेतु निधियन का स्वरूप वही होगा जो सरकार की संबंधित योजनाओं में होता आ रहा है। निधियों को दो किस्तों, 50% प्रत्येक और दूसरी किस्त पहली किस्त के 60% उपयोग करने के पश्चात् जारी किया जाना, जारी रखा जाएगा।

8.2 अभिनव परियोजनाओं के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच में निधियों की हिस्सेदारी 60:40 अनुपात में और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 80:20 होगी। इसके अतिरिक्त अभिनव परियोजनाओं के लिए निधियों का केंद्रीय हिस्सा 30, 30 और 40 की तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त राज्य को जारी किए गए 50% और केंद्रीय हिस्से के 50% उपयोग के पश्चात् जारी की जाएगी। तीसरी किस्त राज्य के हिस्से की पूर्ण निर्मुक्ति और निर्मुक्त किए गए केंद्रीय हिस्से के 50% उपयोग के पश्चात् जारी की जाएगी। निधियों की निर्मुक्ति पहले किए गए परियोजना-वार के बजाय ब्लॉक / शहर / नगर-वार की जाएगी।

8.3 निधियों की निर्मुक्ति ब्लॉक, शहर और समूह को योजना-वार इकाई मानकर की जाएगी। पहली किस्त अधिकार-प्राप्त समिति से योजना को अनुमोदन मिलने के पश्चात् की जाएगी बशर्ते कि एमएसडीपी के अंतर्गत योजनाओं के लिए पृथक खाते रखे जाएँ और ब्यौरे संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को संपत्तियों के सही रिकॉर्ड रखने और दोहरी गणना करने और दोहरीकरण से बचने के लिए भेजे जाएँगे।

8.4 राज्य द्वारा निधियों की उत्तरवर्ती किस्तों की निर्मुक्ति के लिए किए गए आग्रह के साथ होने चाहिएः

- उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी)
- तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)
- परिवर्तनात्मक परियोजनाओं के मामले में राज्य के हिस्से को जारी करने के संबंध में रिपोर्ट

8.5 यूसी को निर्धारित आरूप (अनुलग्नक-) में तभी भरा जाए जब कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना पर व्यय उठा लिया गया हो। राज्य सरकार में अल्पसंख्यक कार्यों से संबंधित

विभाग के सचिव द्वारा यूसी पर हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। अगली किस्तों की निर्मुक्ति यूसी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् ही संस्तुत की जाएगी।

9. अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन

9.1 कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। परियोजनाओं का निष्पादन पंचायती राज्य संस्थानों / लाइन विभाग / एजेंसियों / अनुसूचित क्षेत्र परिषदों द्वारा राज्य परिषदों द्वारा राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में परिचालित कार्यान्वयन प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।

9.2 अंतर भरने वाली परियोजनाओं के मामले में कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी सामान्यतः वही एजेंसी होगी जिसने प्रारंभिक योजना का कार्यान्वयन किया है जिसके लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि, यदि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र परियोजना किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करवाने का प्रस्ताव करते हैं तो उसी को अधिकार-प्राप्त समिति को योजना अनुमोदन के साथ प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

9.3 अभिनव परियोजनाओं (अंतर न भरने वाली परियोजनाएँ) के मामले में कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना रिपोर्ट का भाग होना चाहिए और अधिकार-प्राप्त समिति को भेजे गए योजना प्रस्ताव में भी इसे इंगित करना चाहिए।

लागत में वृद्धि

10. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लागत में वृद्धि, चाहे किसी भी कारण से हो, से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में क्षति का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्रशासनिक लागत

11.1 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आवंटन का अधिकतम 3% प्रशासनिक और संबद्ध व्ययों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसमें से 1% आईईसी क्रियाकलापों और केंद्रीय स्तर पर व्यय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आवंटन का 2% राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सहायकों को रखने से संबंधित व्ययों सहित (ब्यौरे पैरा 14 पर है) प्रशासनिक और संबद्ध व्ययों हेतु उपयोग किया जा सकता है।

11.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक लागत हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन को सहायता देने के लिए, अनुमोदन योग्य अनुमानित व्यय सहित मदों की एक सूची प्रदान करेगा। तब तक राज्य / संघ राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रशासनिक लागत हेतु अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं।

निगरानी तंत्र

12.1 विभिन्न स्तरों पर समितियों की निगरानी संरचना के अतिरिक्त कार्यक्रमों पर निगरानी हेतु एक स्वतंत्र निगरानी प्रणाली और समुदाय की सहभागिता के साथ एक मजबूत

निगरानी तंत्र होगा। इस प्रकार कार्यक्रम की निगरानी निम्नलिखित प्रणालियों के माध्यम से की जाएगी।

- ब्लॉक से केंद्र की ओर आरंभ होने वाली विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा निगरानी
- स्वतंत्र एजेंसी अथवा योग्य निरीक्षक द्वारा निगरानी
- राज्य, क्षेत्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर सम्मेलनों और अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थलों के दौरों के माध्यम से निगरानी
- सामाजिक लेखा तंत्र के माध्यम से समुदाय की सहभागिता के साथ निगरानी

12.2 विभिन्न स्तरों पर समितियों के माध्यम से निगरानी

एमएसडीपी के लिए ब्लॉक स्तर समिति ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। यह समिति तीन माह में एक बार बैठक करेगी और इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक ब्लॉक में लगाई जाने वाले ब्लॉक स्तरीय सहायकों (ब्यौरे पैरा 13 में है) से भी सहायता मिलेगी। जिला स्तरीय समिति एमएसडीपी के अंतर्गत कार्यान्वयन किए जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठकें करेंगी और रिपोर्ट अगली तिमाही के 15वें दिन तक प्रधानमंत्री के 15- सूत्रीय कार्यक्रम के जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को भेजेगी। एसएलसी को कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए तीन माह में एक बार बैठक करनी चाहिए और तिमाही के अंत के एक महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेज देनी चाहिए। केंद्र की अधिकार-प्राप्त समिति निरीक्षण समिति का भी कार्य निरीक्षण समिति का भी कार्य करेगी और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी।

12.3 स्वतंत्र एजेंसी / योग्य निरीक्षकों द्वारा निगरानी

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विख्यात बाह्य एजेंसियों और योग्य निरीक्षकों को काम पर रखते हुए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र का निर्माण करेगी। इस प्रणाली से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवधिक फीडबैक मिलेगा, जिसकी आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाएगा।

12.4 समुदाय की सहभागिता के साथ निगरानी-सामाजिक लेखाः

कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन में समुदाय को शामिल करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सामाजिक लेखा का एक उपयुक्त तंत्र अपनाया जाएगा। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र जिला और ब्लॉक स्तरीय प्रशासन सामाजिक लेखा प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। समुदाय के प्रमुख सदस्यों से प्रत्येक ब्लॉक में हुए कार्यों की निगरानी करने के लिए सामाजिक लेखा समिति नाम एक समिति गठित की जाएगी।

12.5 **सम्मेलन और दौरों के माध्यम से निगरानी**

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी रखने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाएँगी। कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी और स्टॉफ कार्यक्रम का जल्द कार्यान्वयन और गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थलों का नियमित दौरा करेंगे। राज्य / लिया अधिकारियों द्वारा विख्यात प्रयोगशाला सहूलियतों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता की परीक्षा की जाएगी। तिमाही के अंत में राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन प्रत्येक परियोजना के संबंध में की गई प्रगति की रिपोर्ट करेंगे। कार्यान्वयन की परियोजना-वार प्रगति, तिमाही आधार पर इस कार्य के लिए अनुलग्नक-IV में निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) के प्रारूप और ऑनालाइन जब आईटी सक्षम प्रणाली शुरू हो जाती है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कोई अतिरिक्त सूचना प्रारूप में दी जाए। ऐसी क्यू आर की कागजी प्रति तिमाही के खत्म हो जाने के 15 दिनों के भीतर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव तक पहुँच जानी चाहिए।

13. **ब्लॉक स्तरीय समिति**

जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी) के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति (बीएलसी) गठित करेगा। ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा–

(i)	पंचायती राज का ब्लॉक स्तरीय मुखिया	अध्यक्ष
(ii)	खंड विकास अधिकारी	सह-अध्यक्ष
(iii)	ब्लॉक स्तर अधिकारी (बीएलओ) शिक्षा	सदस्य
(iv)	ब्लॉक स्तर अधिकारी (बीएलओ) स्वास्थ्य	सदस्य
(v)	ब्लॉक स्तर अधिकारी (बीएलओ) अईसीडीएस	सदस्य
(vi)	ब्लॉक स्तर अधिकारी (बीएलओ) कल्याण	सदस्य
(vii)	मुख्य स्थानीय बैंक अधिकारी	सदस्य
(viii)	प्रधानाचार्य, आईटीआई, यदि कोई हो	सदस्य
(ix)	अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करने वाले विख्यात	जिला मजिस्ट्रेंट द्वारा
(x)	एनजीओ / सिविल सोसाईटी के तीन प्रतिनिधि	नामित सदस्य

ब्लॉक स्तरीय समिति ब्लॉक के अल्पसंख्यकों द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार ज ब्लॉक की योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। समिति ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होगी।

14. **ब्लॉक स्तरीय सहायक**

14.1 अल्पसंख्यक समुदायों और सरकारी कार्यक्रमों के मध्य सेतु का कार्य करने के लिए उनको दी ग जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु ठेकागत आधार पर ब्लॉक स्तर पर एक सुविधाप्रदाता को 10000/- से 15000/- रुपये मासिक पारिश्रमिक और 5000/- अधिकतम कार्यक्रम के प्रशासनिक लागत से दि

/ डीए और अपने संचालन और क्रियाकलापों के लिए भुगतान किया जा सकता है। सुविधाप्रदाता को विशेषतः सामाजिक क्षेत्र में दो वर्षों के कार्य अनुभव के साथ स्नातक होने चाहिए। राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन सहायकों के लिए सही अर्हताएँ निर्धारित करेंगे जिसके विस्तृत मानक यहाँ दिए गए हैं और समाचार-पत्रों में खुले आवेदन के जरिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सहायकों को रखेगी। संविदा सेवा की निबंधन एवं शर्तें राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

14.2 ब्लॉक स्तरीय सुविधाप्रदाता के निम्नलिखित कार्य होंगे :

(i) सरकारी संस्थानों और अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य सेतु का कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि कार्यक्रमों का लाभ उन तक उचित ढंग से पहुँचे।

(ii) ब्लॉक स्तरीय समिति को जिला स्तरीय समिति हेतु इसकी सिफारिशों के लिए और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रस्ताव की जांच करने के लिए जरूरी सहयोग देना।

(iii) सुविधाप्रदाता कार्यक्रम के लिए प्रगति रिपोर्ट और अन्य जरूरी रिपोर्ट तैयार करेगा।

(iv) सुविधाप्रदाता ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखा समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

15. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अधिकार-प्राप्त समिति

15.1 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की योजना में परियोजनाओं के मूल्यांकन, अनुशंसा और स्वीकृति के लिए 'बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के संबद्ध अधिकार प्राप्त समिति होगी। समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष
व्यय सचिव अथवा कम-से-कम संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिनिधि-सदस्य	सदस्य
प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र का कार्य देख रहे संबद्ध मंत्रालय / विभागों के सचिव अथवा कम-से-कम संयुक्त सचिव स्तर का उनका कोई प्रतिनिधि	सदस्य
योजना आयोग में सामाजिक कार्य विषय का प्रभारी प्रधान सलाहकार / सलाहकार	सदस्य
वित्त सलाहकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सदस्य
बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्रभारी संयुक्त सचिव / संयुक्त सचिवगण एक संयुक्त सचिव संयोजक	सदस्य

15.2 अधिकार-प्राप्त समिति आवश्यकतानुसार आईसीएसएसआर के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों अथवा आधारभूत सर्वेक्षण करने वाले विश्वविद्यालय जैसी व्यावसायिक एजेंसी के प्रमुखों को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

अधिकार-प्राप्त समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :

राज्य स्तरीय समिति से प्राप्त ब्लॉक / शहर / समूहों की योजनाओं का अनुमोदन करना।

डीपीआर के आधार पर 10 करोड़ रु0 से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का अनुमोदन करना।

ब्लॉकों / शहरों का आवंटन ब्लॉक / शहर / गाँवों में अच्छा निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जाँच करना।

कार्यक्रमों / परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही प्रक्रियागत और अन्य खामियों को दूर करने के लिए नीतिगत बदलाव का सुझाव देना।

निर्विघ्न कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम में जरूरी नीति बदलाव सुझाना।

15.4 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आवश्यकतानुसार अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक होगी।

16. सूचना का प्रसार और पारदर्शिता

16.1 कार्यान्वित विकास योजनाओं से संबंधित सूचना लाभार्थियों अर्थात् लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचना सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो तथा उसमें पारदर्शिता बनाई रखी जाए। इस प्रयोजन से निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जाएँगी :

(i) सभी अनुमोदित योजनाओं / परियोजनाओं को स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचालित एवं प्रसारित किया जाएगा तथा संबंधित वेबसाईट पर भी स्थान दिया जाएगा।

(ii) परियोजना को स्वीकृत करने/होने के तुरंत बाद ही राज्य सरकार परियोजना स्थल पर एक पट्टिका लगाएगी, जिस पर परियोजना स्वीकृति की तिथि, पूरा होने की संभावित तिथि, अनुमानित परियोजना लागत, वित्त पोषण का स्रोत अर्थात् बहुक्षेत्रीय विकास योजना (भारत सरकार),ठेकेदारों के नाम और वास्तविक लक्ष्य का उल्लेख करना। परियोजना समाप्ति के बाद एक स्थायी पट्टिका लगाई जाएगी।

(iii) राज्य सरकार द्वारा समाचार-पत्रों / दूरदर्शन के माध्यम से सूचना को प्रसारित किया जाएगा तथा वर्तमान वेबसाईट पर स्थान दिया जाएगा।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

(एमएसडीपी) के संदर्भ में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्र०1. केंद्र सरकार द्वारा देश के किन अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया गया है और देश की आबादी में उनका शेयर कितना है?

उत्तर. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत मुस्लिमों, सिक्खों, ईसाईयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत, देश की कुल आबादी के लगभग 18.4% है, जिसमें से मुस्लिम 13.4%, ईसाई 2.3%, सिक्ख 1.9%, बौद्ध 0.8% तथा पारसी 0.007% हैं।

प्र०2. अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान के लिए किस विधि का उपयोग किया गया?

उत्तर. अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान जनसंख्या के आंकड़ों तथा इन जिलों की 2001 की जनगणना के पिछड़ेपन के मापदंडों, दोनों के आधार पर की गई है।

प्र०3. अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान के लिए किस जनगणना कसौटी का उपयोग किया गया?

उत्तर. प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में 'अल्पसंख्यक बहुल आबादी' का उन जिलों की पहचान के लिए उपयोग किया गया है जो अपेक्षतया पिछड़े हुए हैं जिनमें कुल आबादी का कम-से-कम 25% अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है, का 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसडीपी की पहचान हेतु उपयोग किया गया है। साथ ही, 5 लाख से अधिक किंतु 20% से 25% के बीच की अल्पसंख्यक आबादी वाले विशाल निश्चित अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों का भी 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे एमसीडी की पहचान के लिए उपयोग किया गया है। छह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहाँ कोई अल्पसंख्यक समुदाय, बहुसंख्या में है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बहुसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर अल्पसंख्यक आबादी का 15% उपयोग किया गया है।

प्र०4. अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान के लिए पिछड़ेपन के किन मापदंडों का उपयोग किया गया है?

उत्तर. पिछड़ेपन के मापदंड अग्रलिखित हैं :

(क) जिला स्तर पर धर्म-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संकेतक :

(i) साक्षरता दर;

(ii) महिला साक्षरता दर

(iii) कार्य में भागीदारी दर; और

(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

(ख) जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक :

(i) पक्की दीवार वाले मकानों का प्रतिशत

(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों का प्रतिशत

(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों का प्रतिशतः और

(iv) जल सुविधा युक्त शौचालय वाले मकानों का प्रतिशत

प्र०5. कितने अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान की गई?

उत्तर. जनगणना के आँकड़ों और 2001 की जनगणना के पिछड़ेपन के मापदंडों, दोनों के आधार पर अ अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान की गई है।

प्र०6. इस कवायद से पूर्व ऐसे कितने जिलों की पहचान की गई है?

उत्तर. 1987 में, 1971 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर, 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सू तैयार की गई थी। 41 जिलों की पहचान के लिए किसी जिले की 20 प्रतिशत अथवा अधिक अ अल्पसंख्यक आबादी के लिए एकल मापदंड को लागू किया गया था।

प्र०7. क्या 90 एमसीडी को उनके पिछड़ेपन के अनुसार वर्गीकृत किया गया है?

उत्तर. मापदंडों के दोनों समूहों के राष्ट्रीय औसत से नीचे के मानकों वाले जिन अल्पसंख्यक बहुल जि को अपेक्षतया और अधिक पिछड़ा हुआ माना गया था, को श्रेणी 'क' (53 जिले) के रूप में वर्गीकृ किया गया है। वे जिले, जिनके मान पिछड़ेपन के मापदंडों के दोनों समूहों में से किसी एक के लि राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, ख को श्रेणी 'ख' (37 जिले) में वर्गीकृत किया गया है।

प्र०8. 90 जिलों, राज्यों के नाम और उनके वर्गीकरण के संबंध में बताएँ?

उत्तर. 90 जिलों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्र०9. एमएसडीपी क्या है?

उत्तर. एमएसडीपी का आशय है बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)। यह एक विशेष क्षेत्र विक योजना है जो इन जिलों में आधारिक सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाई गई 'विकास संबंधी कमियों' दूर करने के लिए तैयार की गई है।

प्र०10. एमएसडीपी के क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर. कार्यक्रम का उद्देश्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एमसीडी में लोगों के जीवन-स्त और असंतुलनों को कम करने के लिए आधारभूत सुविधाओं के सामाजिक-आर्थिक मापदंड सुधार लाना है। पता लगाई गई 'विकास संबंधी कमियों' को आय सृजन के क्रियाकलापों विकास के लिए लाभार्थी अभिमुख योजनाओं के अलावा स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा के लि अवसंरचना, स्वच्छता, पक्के मकान, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हेतु एक जि विशिष्ट योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सड़कों को जोड़ना, आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना, आईसीडीएस केंद्र, कौशल विकास एवं विपणन सुविधा-केंद्रों सरीखी निश्चित से क्रांतिक अवसंरचना लिंकेज जो जीवन-स्तर में सुधार करने तथा आय सृजन के क्रियाकल के विकास एवं विकास प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक है, भी योजना में शामिल

जाने के लिए पात्र होगा। किसी जिले की बहु-क्षेत्रीय जिला विकास योजना इस ढंग से तैयार की जानी होगी कि ये जिले ग्यारहवीं योजना अवधि के भीतर अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ मिल जाए।

प्र०11. एमएसडीपी का जोर किस पर है?

उत्तर. एमएसडीपी का जोर होगा, 'जो आधारिक सर्वेक्षण से पता लगाई गई' विकास संबंधी कमियों के आधार पर तय किया जाएगा, का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक मापदंडों को तथा समग्र रूप से जिले के आधारभूत सुविधा मापदंडों को बेहतर बनाना होगा ताकि उन्हें यदि राष्ट्रीय औसत से ऊपर नहीं तो उसके समतुल्य लाया जा सके। सेवा, आर्थिक अवसरों पर बढ़ाने के लिए अपेक्षित क्रांतिक अवसंरचना लिंकेजस, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें, की भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवस्था की जाएगी।

प्र०12. एमएसडीपी का जोर किस पर है?

उत्तर. एमएसडीपी का जोर होगा, 'जो आधारित सर्वेक्षण से पता लगाई गई' विकास संबंधी कमियों के आधार पर तय किया जाएगा, का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक एवं आधारभूत सुविधा संकेतकों के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से पिछड़े हुए हैं। इन जिलों में अल्पसंख्यक बहुल आबादी है और ये सामाजिक-आर्थिक अथवा आधारभूत सुविधा संकेतकों के अस्वीकार्य रूप से निम्न स्तरों के साथ पिछड़े हुए हैं, जिन पर संकेंद्रित ध्यान एवं विशिष्ट कार्यक्रम क्रियाकलाप की जरूरत है।

प्र0 13. एमएसडीपी के अंतर्गत अनुमोदित योजनाएँ किस प्रकार की हैं?

उत्तर. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के प्रकार तथा 'विकास संबंधी कमियाँ' जिन्हें वे दूर करेंगे, अग्रनुसार हैं:

क्रम सं०	अनुमोदित परियोजनाएँ	केंद्र प्रायोजित योजना का नाम (सीएसएस)	मंत्रालय/विभाग
	आवास संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के मकानों का निर्माण	इंदिरा आवास योजना।	ग्रामीण विकास मंत्रालय
	पेयजल संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	हैंड पंपों का संस्थापन	तीव्रीकृत ग्रामीण जल कार्यक्रम (एआरडब्लूएसपी)	पेयजल आपूर्ति विभाग
2.	पेयजल आपूर्ति सिस्टम का निर्माण	तीव्रीकृत ग्रामीण जल कार्यक्रम (एआरडब्लूएसपी)	पेयजल आपूर्ति विभाग
3.	पेयजल हेतु रिंग वैल का निर्माण	तीव्रीकृत ग्रामीण जल कार्यक्रम (एआरडब्लूएसपी)	पेयजल आपूर्ति विभाग

	शौचालय सहित महिला एवं कुल साक्षरता संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
2.	सरकारी उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	(आरएमएसए)	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
3.	निम्न प्राथमिकता एवं मिडिल स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
4.	प्राथमिकता एवं मिडिल स्कूलों में स्कूल भवनों का निर्माण	एसएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
5.	सरकारी हाई स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरण	आरएमएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
6.	सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर कक्ष का निर्माण	आरएमएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
7.	कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एसीआर का निर्माण	आरएमएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
8.	मान्यता प्राप्त सरकारी मदरसे में माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक में एसीआर/कम्प्यूटर	एसएसए*/आरएमएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
9.	हाई स्कूलों में सेनिटरी नैपकिनों के निपटान हेतु भस्मक वाले एक लघु कक्ष का निर्माण	आरएमएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
10.	विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों में शौचालय खंडों का निर्माण	एसएसए*/आरएमएसए स्वच्छता अभियान	साक्षरता विभाग पेयजल आपूर्ति विभाग
	बिजली संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	बीपीएल परिवारों हेतु हाईस्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए सौर लैंप	सौर लैंप योजना	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
2.	सोलर स्ट्रीट लाइटिंग	सोलर स्ट्रीट लाइट योजना	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

	निम्न स्तर के संस्थागत प्रसव एवं टीकाकरण संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) के भवनों का निर्माण	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य (एनआरएचएम)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
2.	प्राथमिकता स्वास्थ्य उपकेंद्रों (पीएचएससी) के भवनों का निर्माण	(एनआरएचएम)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3.	आँगनवाड़ी केंद्रों (डब्ल्यूसी) का निर्माण	समेकित बाल विकास योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
	सिद्धांततः अनुमोदित परियोजनाएँ महिला एवं कार्य सहभागिता संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	*औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों नए* (आईटीआई) के भवनों का निर्माण	*नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों* (आईटीआई) की स्थापना	*श्रम एवं रोजगार मंत्रालय*
2.	सरकारी आईटीआई का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, उपकरणों आदि की शुरूआत	मौजूदा आईटीआई को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
3.	आईटीआई हेतु छात्रावास का निर्माण आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों के लिए उपकरण	तदैव	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
4.	पॉलीटेक्निक के लिए छात्रावास का निर्माण एवं पॉलीटेक्निक का उन्नयन	कौशल विकास हेतु समन्वित कार्यवाही के अंतर्गत पॉलीटेक्निकों की स्थापना	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मिशन
5.	एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम	परिवर्तन खेती करने वाले क्षेत्र में शेड विकास परियोजना	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय
6.	नारियल की वैज्ञानिक खेती एवं प्रसंस्करण प्रोद्यौगिकी के संबंध में किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों का क्षमता-निर्माण		कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय
7.	रंजन एकक का निर्माण	हथकरघा हेतु समूह विकास	वस्त्र मंत्रालय
8.	प्रतिरूप एवं दिशा-निर्देश पर एसजीएसवाई एकक	स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई)	ग्रामीण विकास मंत्रालय

9.	कम्पयूटर एवं आई0टी0 संबधी व्यावसायिक प्रशिक्षण		
	महिला एवं कुल साक्षरता संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	उच्च/माध्यमिक विद्यालयो में बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
2.	उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के लिए छात्रावास का निर्माण	नवोदय विद्यालय समिति	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
3.	आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना	एसएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
4.	उप-साधनों सहित कम्प्यूटर	एसएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
5.	गवर्नमेंट इंटर-कॉलेज भवन का निर्माण	आरएमएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्र०14. ऐसा क्या है कि केवल सीएसएस की शुरुआत की गई है?

उत्तर. ऐसी बहुत-सी मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) थीं जो पहले से ही समय के साथ-साथ जाँच कभी भी मौजूदा सीएसएस अभिज्ञात विकास संबंधी कमियों को दूर करती हैं, ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करना आसान होता है क्योंकि उनका पहले से ही क्रियान्वयनकर्ता तंत्र होता है। तथापि, योजना में ऐसी कोई बात नहीं है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए रोकती हो जिसकी केंद्र तथा राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों में व्यवस्था न की गई हो।

प्र०15. यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकतम लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुँचे?

उत्तर. एमएसडीपी के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश में यह व्यवस्था है कि सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना के स्थान के लिए उन ग्रामों/ब्लॉकों/मोहल्लों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी की बहुलता हो।

प्र०16. एमएसडीपी के अंतर्गत क्रियान्वित सीएसएस के लिए परिवर्तनों की परिकल्पना की गई है?

उत्तर. ऐसे जिलों में क्रियान्वयनाधीन किसी भी मौजूदा योजना के दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा जिसके लिए यह कार्यक्रम अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध कराएगा। जहाँ तक संभव हो

कार्यक्रम का फोकस व्यैक्तिक लाभार्थियों पर लक्ष्य करने के बजाय उपयुक्त सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना उपलब्ध कराने पर होगा। यदि कार्यक्रम के अधीन व्यैक्तिक लाभों हेतु योजनाएँ चलाई जाती हैं, जिले के बीपीएल परिवारों की सूची में से लाभार्थियों के चयन हेतु मौजूदा मानकों का पथांतरण नहीं होगा ताकि अतिरिक्त निधियों के लाभ सभी बीपीएल परिवारों को पहुँचे, न कि चुनिंदा तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को।

1. विरासत-दस्तकारों के लिए ऋण योजना

हथकरघा और हस्तशिल्प हमारी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाँव में हथकरघा एवं हस्तशिल्प का कार्य अंशकालिक घरेलू गतिविधियों के रूप में शुरू हुआ, ताकि वे अपनी निजी/स्थानीय माँग को पूरा कर सकें। समय के साथ माँग बढ़ने पर इस कार्य से अपनी खेती की आय के साथ-साथ अपनी आय को बढ़ाने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा लोग इन गतिविधियों से जुड़ने लगे। आज इन दस्तकारी को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के दूर-दराज के इलाकों में फैले लाखों दस्तकारों की जीविका के लिए शिल्प से जुड़ा व्यवसाय उनकी आमदनी का जरिया बन चुका है। विशेषकर, गाँव में इस क्षेत्र में टिकाऊ और स्थायी रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। लेकिन, पूँजी के अभाव में गरीब दस्तकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

दस्तकारों की बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समुदायों से है, जो आम तौर पर कच्चे माल और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय बाजारों पर निर्भर रहती है। चूँकि, उनके मुनाफे का मार्जिन कम होता है, इसलिए, उन्हें नए उत्पादों को बनाने के लिए कई बार पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऋण न मिलने के अभाव में, कुछ दस्तकारों को निश्चित समय सीमा के भीतर अपने उत्पाद बनाने में काफी कठिनाइयाँ आती हैं। इस आर्थिक परेशानी का नतीजा यह होता है कि उनके उत्पादन की गति धीमी पड़ जाती है और इससे उनकी कमाई प्रभावित होती है तथा उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं।

एनएमडीएफसी की सावधि ऋण (टर्म लोन) योजना में, दस्तकारों को ऋण देने का प्रावधान है। हालाँकि, विगत वर्षों में यह महसूस किया गया कि एससीए द्वारा दिए गए कुल ऋण का 4 प्रतिशत ऋण ही दस्तकारों को दिया गया है। एनएमडीएफसी के संगम अनुच्छेद में भी दस्तकारों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। लेकिन, दस्तकारों के लिए विशिष्ट योजना न होने की वजह से दस्तकारों की ऋण जरूरतों को पूरा करने की कोशिशों को ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी है।

मार्केटिंग सहायता योजना के तहत, एनएमडीएफसी द्वारा दस्तकारों को अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह योजना संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से लागू की गई है। एनएमडीएफसी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में हुनर हाट प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता है, ताकि दस्तकारों को अपनी बेहतरीन कलाकृतियों को बेचने और ऑर्डर प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर, पारंपरिक कला को बनाए रखने में मदद मिल सके। इन प्रदर्शनियों के दौरान, दस्तकारों से हुई बातचीत में पता चला कि कारीगरों के पास नकदी की कमी होने से वे बाजार की माँग के मुताबिक उत्पाद नहीं बना पाते हैं। बातचीत में यह जानकारी भी मिली कि बड़ी संख्या में

दस्तकारों के पास एक-से-एक नायाब उत्पाद हैं, जिन्हें मंत्रालय की 'उस्ताद' योजना के तहत बेहतर डिजाइन और पैकेजिंग के साथ आगे और विकसित किया जा सकता है। एनएमडीएफसी की योजनाओं के तहत इस तरह के दस्तकारों को उनकी पूँजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण देने पर भी विचार किया जा सकता है।

यह योजना सावधि ऋण (टर्म लोन) योजना का हिस्सा होगी। चूँकि, यह योजना गरीब दस्तकारों के लिए है, इसलिए, इसकी ब्याज दर सावधि ऋण के तहत लिए जा रहे ब्याज की तुलना में 1 प्रतिशत कम होगी। इस योजना में महिला दस्तकारों को 1 प्रतिशत की अलग से छूट दी जाएगी।

2. दायरा

पूरे देश के अधिसूचित अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के सभी दस्तकार इस योजना के अंतर्गत आएँगे। इस योजना को एनएमडीएफसी के संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

3. पात्रता

(क) क्रेडिट लाइन-1 के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 81,000/- रु० और शहरी इलाकों में 1.03 लाख रु० की वार्षिक पारिवारिक आय वाले दस्तकार इस योजना के अंतर्गत आएँगे।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उस्ताद योजना के तहत एनएमडीएफसी द्वारा आयोजित हुनर हाट प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले दस्तकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार के अन्य रियायती ऋण योजना के तहत पहले से ऋण लेने वाले दस्तकार, इस योजना के तहत, दुबारा ऋण लेने के पात्र नहीं होंगे।

4. ऋण का उद्देश्य

इस योजना में, दस्तकारों की नकदी जरूरतों और उपकरण/औजार/मशीनरी की खरीद के लिए ऋण उपलब्ध है।

5. ऋण की राशि

इस योजना के तहत 10 लाख रु० तक का ऋण लिया जा सकता है।

6. एससीए/दस्तकार का मार्जिन

एनएमडीएफसी, ऋण राशि का 90 प्रतिशत प्रदान करेगी। शेष बचे 10 प्रतिशत को एससीए/दस्तकार द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कम-से-कम 5 प्रतिशत की राशि दस्तकार को देनी होगी।

7. स्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड)

एनएमडीएफसी द्वारा दिए गए ऋण की तारीख से राशि का उपयोग करने के लिए एससीए को 3 महीने का समय मिलेगा। दस्तकारों को अपनी इकाइयों की स्थापना के लिए 6 महीने का समय (मोरेटोरियम पीरियड) दिया जाएगा। दस्तकार द्वारा मूल राशि की अदायगी, स्थगन अवधि की समाप्ति के बाद, अगली तिमाही में शुरू होगी, जैसे कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या 31 दिसंबर। हालाँकि, दस्तकार को स्थगन अवधि का ब्याज पहली किस्त देने के समय मूलधन के साथ चुकाना होगा।

8. ऋण पर ब्याज

दस्तकारों को दिए जाने वाले ऋण पर 5 प्रतिशत वार्षिक का साधारण ब्याज लगाया जाएगा। ईएमआई में मूल और ब्याज की गणना बैंकिंग मानदंडों के अनुसार की जाएगी। महिला दस्तकारों को 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एनएमडीएफसी द्वारा एससीए को 2 प्रतिशत पर ऋण दिया जाएगा और एससीए द्वारा पुरुष दस्तकार को 5 प्रतिशत वार्षिक और महिला दस्तकार को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

9. ऋण अदायगी की अवधि

स्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड) के बाद, दस्तकार को ऋण की अदायगी 5 सालों में करनी होगी। एससीए द्वारा एनएमडीएफसी को ऋण की वापसी 8 सालों में करनी होगी।

10. ऋण के लिए दी जाने वाली जमानत

1,00,000 रु० तक के ऋणों के लिए	दस्तकार की अपनी खुद की गारंटी और पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)
1,00,000 रु० से ज्यादा और 5,00,000 रु० तक के ऋण के लिए	सरकारी/पीएसयू/बैंक के एक कर्मचारी या एक आय करदाता/लोक प्रतिनिधि की गारंटी एवं पोस्टडेटेड चेक (पीडीसी)
5,00,000 रु० से ज्यादा के ऋण के लिए	सरकारी/पीएसयू/बैंक के दो कर्मचारी या दो आय करदाता /लोक प्रतिनिधि की गारंटी या लिए गए ऋण के लिए संपत्ति/अचल संपत्ति को बंधक बनाना जिसका मूल्य लिए गए ऋण राशि से कम न हो एवं पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)

11. बीमा

एससीए द्वारा बीमा कंपनी से दस्तकारों का बीमा कराया जाएगा, ताकि मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में दस्तकारों को और उनके परिजनों को मुश्किल की घड़ी में मदद मिल सके। ऋण की अवधि के हिसाब से दस्तकारों का बीमा कराया जाएगा।

12. योजना के प्रमुख मापदंड (पैरामीटर्स)

क्र०सं०	पैरामीटर्स	योजना का विवरण
1.	ऋण राशि	10.00 लाख रुपये तक
2.	दस्तकार के लिए ब्याज की दर	पुरुष दस्तकार के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक महिला दस्तकार के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक
3.	एससीए के लिए ब्याज की दर	पुरुष दस्तकार के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक महिला दस्तकार के लिए 2 प्रतिशत वार्षिक
4.	स्थगन अवधि (मोरेटोरियम अवधि)	6 महीने
5.	दस्तकार के लिए ऋण अदायगी की अवधि	5 साल
6.	एससीए के लिए ऋण अदायगी की अवधि	8 साल
7.	ऋण देने के साधन एनएमडीएफसी एससीए/दस्तकार का अंशदान	90 : 10 (दस्तकार का कम-से-कम 5 प्रतिशत का अंशदान)
8.	उपयोग अवधि	3 महीने

छात्रवृत्ति एवं सहायता देने वाली जैन संस्थाएँ

आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना :-

1. महावीर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश, अध्यक्ष- महेंद्र कुमार रांका
2. श्री दिगम्बर जैन संस्था तेलंगाना, हैदराबाद-500 001, तेलंगाना

उत्तर प्रदेश :-

3. शिखरचंद जैन सहायता फण्ड, खिरनी गेट, अलीगढ़ -202 002, उत्तर प्रदेश
4. अचल जैन सेवा ट्रस्ट, 32-भगवती देवी जैन मार्ग, सदर, आगरा-282 001, उत्तर प्रदेश
5. मैत्री समूह, द्वारा- श्री पी. एल. बैनाड़ा, 1/205- प्रोफेसर्स कॉलोनी, हरी पर्वत, आगरा-282 002, उत्तर प्रदेश, फोन- (0562) 2151127, टेलीफैक्स -(0562) 2642703, 98370-25087, 93581-52111 www.maitreesamooh.com, E-mail-p.lbenara@benara_phb.com, maitreesamooh@hotmail.com
6. पी.एन.सी.एजुकेशनल ट्रस्ट आगरा, डी-51, कमला नगर, आगरा-282 005, उत्तर प्रदेश, संपर्क- प्रदीप कुमार जैन, फोन- (0562) 4054400, 3268088, फैक्स-(0562) 2882925, मो.-98370-56653, E-mail- pkjain@pncinfratech.com
7. श्रद्धेय मातेश्वरी गुनमाला देवी दिगम्बर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीमती पुष्पलता महावीर प्रसाद जैन, खंदौली, आगरा-282 006, उत्तर प्रदेश, फोन- (0562) 2392271 (अंतिम तिथि-31 अगस्त)
8. तीर्थंकर आदिनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट, सी-1503 अपैक्स अकासिया वैली, सेक्टर-3, वैशाली गाजियाबाद -201 001, उत्तर प्रदेश
9. श्री पार्श्वनाथ सहायता कोष, संस्थापक- जंबूप्रसाद जैन, 2-सी - 201, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201 003, उत्तर प्रदेश, फोन- (0120) 2794988, 2792705, मो. 98101-80510
10. छात्रवृत्ति कोष, 99-मानसरोवर, सिविल लाइंस, मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश,
11. पारस शैक्षिक विकलांग मंदबुद्धि सहायतार्थ समिति, मेरठ, उत्तर प्रदेश, चेयरमैन-प्रभाषचंद जैन (महलकावाले), श्री जी एसोसिएट्स एवं श्रीजी हेल्थकेयर व फिजियोथैरिपी सेन्टर, एम. एच. 71, पल्लवपुरम, फेस-दूसरा, मेरठ, 201 001, उत्तर प्रदेश, मो. 098979-37305, 098979-35005
12. वीर छात्रवृत्ति कोष, न्यू शांति नगर, तीर्थंकर महावीर मार्ग, मेरठ सिटी-201 001, उत्तर प्रदेश (अंतिम तिथि- 30 सितम्बर)
13. भूषणस्वरूप मुकेश कुमार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रस्टी-भूषणस्वरूप जैन, 274/1, ज्योति, नई प्रेमपुरी, तीर्थंकर महावीर मार्ग, मेरठ-250 002, उत्तर प्रदेश, फोन-(0121) 2510237, 3293633, 2400380, फैक्स-(0121) 4032503, मो. 94122-06737, E-mail. mukeshjainjwellers@gmail.com
14. विद्यासुख छात्रवृत्ति, विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ-250 002, उत्तर प्रदेश, एस. के. जैन- प्रदीप जैन 94112-22666, 86500-00775, 86501-84146, फोन- (0121) 2439189, 2439188, 2439192, E-mail-info@vidya.edu.in
15. श्रावक निधि, उत्तर प्रदेश, द्वारा- श्री दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर, दुर्गावाड़ी, सदर, मेरठ कैंट-250 002, उत्तर प्रदेश

16. रतनचन्द जैन शास्त्री, 14-इंदिरा कॉलोनी, माला टॉकीज के पीछे, रामपुर-244 901, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड के दिगम्बर जैन छात्रों हेतु)
17. तीर्थंकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति उत्तर प्रदेश, महामंत्री-नलिनकांत जैन, ज्योति निकुंज, चार बाग, रोडवेज बस स्टेशन के पीछे, लखनऊ-226 004, उत्तर प्रदेश, फोन- (0522) 2451375, 2450085, 2452064, मो. 92360-62715
18. अमन चैरिटेबल ट्रस्ट, ए -377, इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226 016, उत्तर प्रदेश, संपर्क- धर्मवीर जैन' फोन- (0522) 3204475, मो.- 93359- 10926, ट्रस्टी- पी.सी. जैन, सी- 1115, इंदिरा नगर, चर्च के सामने लखनऊ- 226 016, उत्तर प्रदेश, मो. 94522-92586, 93366-17281
19. वर्धमान एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट (रजिस्टर्ड) ललितपुर, 4-राबरपुरा, बड़े जैन मन्दिर के पास, ललितपुर- 284 403, उत्तर प्रदेश, फोन-(05176) 274491, मो. 93369-30290, 94154-56950, अध्यक्ष- अजय जैन, पूर्व प्राचार्य- श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश
20. श्री 108 आचार्य विद्यासागर साधर्मी न्यास फण्ड, श्री दिगम्बर जैन अटा मंदिर जी, सावरकर चौक ललितपुर-284 403, उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष- डॉ. अक्षय टइैया- 94155-89458, महामंत्री- एडवोकेट धन्य कुमार जैन-99191-66130 (शिक्षा, चिकित्सा, विवाह हेतु)

कर्नाटकः-

21. श्री बालचंद्र पी. कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट, 1-46, चन्द्रगुप्त भवन, स्टेशन बाजार, कोर्ट रोड, गुलबर्गा-585 102, कर्नाटक
22. श्री वी. एस. अजितराजै एवं श्रीमती जी.ए. सामिल ट्रस्ट, 143-थर्ड क्रॉस रोड, थर्ड ब्लॉक (ईस्ट), जया नगर, बेंगलुरु- 560 005, कर्नाटक
23. श्री चक्रेश्वरी महिला समाज, नं. 102, थर्ड ब्लॉक, आने बाण्डेय रोड, जया नगर, बेंगलुरु-560 011, कर्नाटक, संपर्क- एच.एस.मणिकराज (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)
24. श्री दक्षिण कन्नड़ मैत्रीकूट, शाम कम्पाउण्ड, ओल्ड टोल गेट, मुगडी रोड, बेंगलुरु-560 023, कर्नाटक
25. श्री दिगम्बर जैन महावीर संघ, दीवान खान लेन, चिक पेठ, बेंगलुरु -560 053, कर्नाटक
26. श्री ए. सी. नेमचन्दैया एजुकेशनल ट्रस्ट, नं. 438, 23वाँ क्रॉस रोड, दसवीं मेन रोड, बनाशंकरी सेकेण्ड ब्लॉक, बेंगलुरु -560 070, कर्नाटक
27. राजन फेलोशिप ट्रस्ट, 142- पाँचवाँ क्रॉस, राजमहल विलाश एक्सटेंशन, बेंगलुरु-560 085, कर्नाटक
28. पण्डितरत्न एम. शांतिराज शास्त्री ट्रस्ट, 'शांतिदूत' 369, 42वाँ क्रॉस, जया नगर, आठवाँ ब्लॉक, बेंगलुरु-560 082, कर्नाटक (अंतिम तिथि - 31 अगस्त)
29. बनाशनारी जैन समाज, 'ओंकारा', 240, दूसरा डी-क्रॉस, फर्स्ट फेज, गिरि नगर, बेंगलुरु-560 085' कर्नाटक
30. श्री गोमटेश्वर एजुकेशन सोसायटी, चन्द्रगुप्त रोड, मैसूर-570 001, कर्नाटक जनरल सेक्रेटरी- श्री सी.बी.एम. चन्द्रराया
31. श्री महावीर एजुकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कॉलरशिप सेक्शन, हासन-573 201, कर्नाटक (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)
32. जैन युवक मण्डल (ट्रस्ट), महावीर भवन, प्लॉट नं. 55, हिंदवाड़ी-590 011, बेलगावी, कर्नाटक (अंतिम तिथि- 15 सितम्बर)

33. भोमाज प्रतिष्ठान, खिद्रपुर ऑफिस, प्लाट नं. 72, हिंदवाड़ी-590 011, बेलगावी, कर्नाटक (अंतिम तिथि- 31 जुलाई)
34. भीमराव बालाजी अँगड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट, 'पितृ छाया' कॉमर्स कॉलेज के सामने, विद्या नगर, हुबली-580 021, कर्नाटक
35. श्रीमती नीरजा अनेकार मेमोरियल ट्रस्ट, महावीर निलय, करैयागी गल्ली, ओल्ड हुबली-580 024, कर्नाटक (अंतिम तिथि-20 अगस्त)

गुजरातः-

36. गुजराती दिगम्बर जैन महासभा, अहमदाबाद, गुजरात, सम्पर्क- अशोक भाई मेहता, मुम्बई- मो. 98216-05466, 70455-22206, योगेश भाई, अहमदाबाद- मो. 98254-43170
37. श्री विराग फाउंडेशन-गुजरात, एफ-1, मेम नगर कॉम्पलेक्स, आई.ओ.सी. पेट्रोल पंप के सामने, अहमदाबाद-380 001, गुजरात, प्रांतीय संयोजक-राकेश भाई गाँधी- मो. 98259-00124, अध्यक्ष-अरुण कोटड़िया
38 (i) इण्टरनेशनल अलुम्नी एसोसिएशन ऑफ श्री महावीर विद्यालय ट्रस्ट, 11/3 पुनीत नगर, 3-सेटेलाइट रोड, अहमदाबाद-380 015, गुजरात, फोन- (079) 26754470, (ii) International Alumni Association of Mahavir Jain Vidyalaya, 17323-NW Gold Canyon Lane, Beaverton OR 97006, Phone-503-891-1588,wwwjaamjv.org, E-mail-Jiten.vora@gmail.com
39. डॉ. शेखरचंद्र जैन, 25-शिरोमणि बंग्लोज, बड़ोदरा एक्सप्रेस हाइवे के सामने, सी.टी.एम. चार रास्ता के पास, हाइवे, अहमदाबाद-380 026, गुजरात, फोन-(079) 5850744, www.samanvaykendra.org, E-mail-drspjain@yahoo.com, info@samanvaykendra.org
40. श्री विघ्नहर विद्यासागर स्कॉलरशिप ट्रस्ट, बी-1, सी-1, सोमनाथ महादेव सोसायटी, लोकभारती स्कूल के सामने, सरगम शॉपिंग सेंटर, पार्ले प्वांइट, सूरत-395 001, गुजरात, संपर्क- (i) आशीष जैन, फोन- (0261) 2211776 (नि.) 2226098, 2891092 से 96 तक, फैक्स- (0261) 2891097 (का.), मो. 98258-00046, 98258-00021, (ii) कमलेश गाँधी, 4-सी प्रस्थापना, प्रतिष्ठा कॉम्पलेक्स, एक्सपेरीमेण्टल स्कूल के पास, भगवान चन्द्रप्रभ मार्ग, पार्ले प्वाइंट, सूरत-395 001, गुजरात, मो-93777-81008
41. राजेन्द्र नाथूलाल जैन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, 103-104, जलाराम टेरेस, कड़ीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड सूरत-395 003, गुजरात, फोन- (0261) 2470580, 2224117

छत्तीसगढ़ :-

42. जैन जागरण, सदर बाजार, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़, संपर्क- श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट, सदर बाजार, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़, अध्यक्ष तिलोकचन्द बरडिया-93024-26100, ट्रस्टी- तिलोकचन्द भंसाली-94242-00039, मोतीलाल झावक-95735-93000, प्रकाशचन्द सुराना-98931-19000, जयकुमार बैद- 94255-02512

झारखंडः-

43. श्रीमती पुष्पादेवी जैन स्कॉलरशिप फण्ड, पूज्य तपस्वी श्री जगजीवनजी महाराज चक्षु चिकित्सालय, पेटरबार-829 121, बोकारो, झारखंड, फोन- (06549) 265609, 265653,

फैक्स- (065749), 265718 मो. 94313-64768, 99391-64469

तमिलनाडु :-

44. जैन्स इण्डिया ट्रस्ट, नं. 11, पोन्नप्पा लेन, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई- 600 005, तमिलनाडु (केवल तमिलनाडु के छात्रों हेतु)
45. प्रतापमल हरकचन्द भंडारी करुणा इंटरनेशनल एजुकेशन फांउडेशन चेन्नई, तमिलनाडु, मेसर्स-टाटिया केमिकल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, 18-रिथेडन रोड, वेपेरी, चेन्नई- 600 007, तमिलनाडु, प्रवीण टाटिया- मो- 98400-95050, करुणा इंटरनेशनल-(044) 25231714, 25231724
46. गजेन्द्र निधि आचार्य श्री हस्ती स्कॉलरशिप फण्ड, संपर्क-अशोक कवाड़, पृथ्वी एक्सचेंज, 33-मोंटीथ रोड, एग्मोर, चेन्नई- 600 008, तमिलनाडु, टेलीफैक्स- (044) 43434249,मो. 93810-41097
47. सरिता फाउण्डेशन स्कॉलरशिप ट्रस्ट, श्रीमती सरिता महेन्द्र कुमार जैन, एशिया (चेन्नई) इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एस.पी.-23-ए, डेब्लब्ड प्लॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी (Guindy), चेन्नई-600 032, तमिलनाडु, फोन- (044) 22255457 2225505, E-mail-aecchn@airtelmail.in, info.chennai@asiaengy.com sarita@quibusresources.com निवास-नं. 3, थर्ड स्ट्रीट, वॉलेस गॉर्डन, नुंगम्बक्कम्, चेन्नई 600 006, तमिलनाडु मो. 98410-29845, ब्रांच ऑफिस-10-3-152, ईस्ट मेरेडपल्ली, सिकन्दराबाद.500 026, आन्ध्र प्रदेश, फोन-(0140) 27730519, फैक्स- (0140) 27732087
48. आचार्य हस्ती मेधावी छात्रवृत्ति योजना, गजेन्द्र निधि हस्ती स्कॉलरशिप फण्ड, बी. बुधमल बोहरा, नं. ईरुल्लप्पन स्ट्रीट, साहूकार पेठ, चेन्नई-600 079, तमिलनाडु, फोन-(044) 42728476, मो. 94442-35065

दिल्ली:-

49. अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस (दिल्ली), जीवन प्रकाश योजना, जैन भवन, 12-शहीद जीतसिंह मार्ग, दिल्ली-110 001, फोन- (011) 23363729, 23365420, फैक्स- (011) 23344380, www.jainconference.org, E-mail- aissjc1906@gmail.com (वेबसाइट पर फार्म भरकर भेजना अनिवार्य), जीवन प्रकाश योजना अध्यक्ष- संजय बोथरा-93265-96781, 98225-96781, मंत्री- लादूलाल बाफना- 98338-66852
50. श्री गणेश वर्णी अहिंसा प्रतिष्ठान, ट्रस्ट, द्वारा-सीताराम फिरोजीलाल जैन प्राइवेट लिमिटेड, कटरा वडीयान , दिल्ली-110 001
51. अखिल भारतीय दिगम्बर जैन परिषद, श्याम भवन, फ्लैट नं. 10, प्रथम मंजिल, 3611-नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली- 100 002, फोन-(011) 23253297, फैक्स-(011)23260754, E-mail.-abdjparishad@gmail.com
52. अहिंसा इंटरनेशनल, जीवन विला, 111-दरियागंज, नई दिल्ली-110 002, सेक्रेटरी जनरल-ए.के.जैन (सेवानिवृत्त-आई.आर.एस.), मो. 93124-01353
53. आचार्य शान्तिसागर स्कॉलरशिप फण्ड, श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन श्रुतसंवर्धिनी महासभा, 5-राजा बाजार, खंडेलवाल जैन मंदिर कॉम्पलेक्स, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 002, फोन-(011)

23344668, 23344669, मो. 93129-62937, www.jaingazetteweekly.com, E-mail-digjainmahasabha@gmail.com, dmahasabha@yahoo.com, jain_gazette@yahoo.in

54. तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, उड़ान स्कॉलरशिप, 210-अणुव्रत भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, अध्यक्ष-सलिल लोढ़ा (सी.ए.) मो.- 98201-49302, महासचिव-पंकज ओस्तवाल- मो.- 94141-12572, 98311-44129, www.pf.org.in, E-mail-terapanthprofessionaloffice@gmail.com, tpfoffice@tpf.org.in
55. दिगम्बर जैन महासमिति, शिक्षा सहयोग योजना, श्री खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर, शिवाजी स्टेडियम के पीछे, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 002, फोन- (011) 23742102, E-mail-info@djmahasamiti.org
56. भारतवर्षीय जैन अनाथरक्षक सोसायटी, दरियागंज, नई दिल्ली. 110 002, फोन - (011) 23285676, 65297620
57. श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महिला महासभा-दिल्ली प्रदेश, 5-राजा बाजार, श्री खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर कॉम्पलेक्स, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 002 (दिगम्बर जैन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, जैन विधवा महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा एवं विवाह हेतु अनुदान)
58. श्वेताम्बर तेरापंथ महासभा, मेधावी छात्र प्रोत्साहन परियोजना, अखिल भारतीय अणुव्रत भवन, प्रथम तल, 210-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, फोन- (011) 46605504, 23233345, 23234641, 23238380, 23210593 फैक्स- (011)23239963, E-mail-anuvrat_mahasamiti@yahoo.com हरीशचंद्र जैन सचिव- 99999-81521, 98733-5563
59. साहु जैन ट्रस्ट, टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल, 7- बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, www.sahujaintrust.timesofindia.com, E-mail-bjnanpith@gmail.com, (टेक्नीकल विषयों हेतु) (अंतिम तिथि-30 जुलाई) संपर्क-सोमचंद्र जैन (सचिव)
60. जैन्स इण्डिया ट्रस्ट, 6/36, डब्ल्यू, ई, ओ, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005, फोन-(011) 25748882
61. रामदयाल रघुवरदयाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, जैन भवन, छप्परवाला कुआँ, करोल बाग, नई दिल्ली. 110 005
62. श्री खण्डेलवाल जैन समाज, 14-रानी झांसी रोड, दिल्ली-110 005, डूँगरमल गंगावाल-मो. 98105-57733 गजेन्द्र बज 98103-08841
63. गिरधारीलाल प्यारेलाल एजुकेशन फण्ड, 34- चाँदनी चौक, दिल्ली-110 006
64. जयमाला देवी धर्मार्थ ट्रस्ट, 1734-दरीबां कला, नई दिल्ली- 110 006
65. वथीराम वोरीदेवी जैन धर्मार्थ ट्रस्ट, 5806-सदर बाजार, दिल्ली-110 006
66. श्री महावीरप्रसाद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा-अजितप्रसाद जैन एण्ड संस, 5268-69, श्रद्धानंद मार्ग, दिल्ली-110 006 (अंतिम तिथि- 15 जून)
67. श्री सुराणा विश्व बंधुत्व ट्रस्ट, 1690-चाँदनी चौक, दिल्ली -110 006
68. अखिल भारतीय दिगम्बर जैन तरुण परिषद, आर-10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली. 110 016, अध्यक्ष-मनोज जैन, एफ-236, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092, महासचिव-जे. 88, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092 (पितृविहीन, दिव्यांग, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, स्कूल बैग, स्टेशनरी प्रदाता)

69. वर्धमान फाउण्डेशन, सी-14, ऊषा निकेतन, सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110 016, प्रधान ट्रस्टी-राजेन्द्र प्रसाद जैन, फोन-(011) 26561188, 26864402, मो. 098671-66466
70. सचिव-स्कॉलरशिप, जैन सोशियल वेलफेयर एसोसिएशन, एफ-22 ग्राउण्ड फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 016
71. इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज, डी-28,पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017, चेयरमैन-डॉ. शुगनचंद जैन, मो. 98181-39000, 99718-03636, फोन- (011) 40793387, www.isjs.in, E-mail-svana@vsnl.com, isjs_india@yahoo.co.in, shuganjain1941@gmail.com, संपर्क -सुशील जाना- 99112-22593
72. महावीर चैरिटेबल सोसायटी दिल्ली, जैन मंच शाखा, शिवाजी पार्क, दिल्ली-110 027
73. बैरिस्टर चम्पतराय जैन ट्रस्ट, जैन मित्र मण्डल, धर्मुपरा, गाँधी नगर, दिल्ली-110 031
74. जैन छात्रवृत्ति फण्ड, विजय गुप्त रोड, नई दिल्ली-110 033
75. ज्ञानोदय चैरिटेबल सोसायटी, 572- एशियाड विलेज, नई दिल्ली- 110 049, फोन- (011) 26493538, 26492386, मो. 98114-49431 (जैन बच्चों के लिये सेकेण्डरी स्कूली शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता)
76. आर.के.पुरम् पब्लिक चैरिटेबल सोसायटी जैन समाज, सचिव-राजेश जैन, सैनिक फार्म, नई दिल्ली, मो. 098110-71221, संयोजक- महावीर प्रसाद जैन, 126- मुनीरका विहार, नई दिल्ली-110 067, मो. 99103-84885 (कन्या विवाह, बच्चों की पढ़ाई, असहाय वरिष्ठ नागरिक, विधवा, गरीब बच्चों, दिव्यांगों की शिक्षा एवं सहायता हेतु)
77. तरुण मित्र परिषद, एफ-236, मंगल बाजार, लक्ष्मीपुर, दिल्ली-110 092, महासचिव- अशोक जैन (साधनहीन, पितृविहीन व दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री वितरण हेतु)
78. श्रीमती आनंदमती जैन स्मृति पारमार्थिक न्यास चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली, द्वारा- अनिल कुमार जैन कागजी, श्री दिगम्बर जैन कमल मंदिर, डी-107, प्रीत विहार, दिल्ली-110 092, फोन- (011) 22420695, मो.- 98103-89697
79. श्री सेवाराम चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली, अध्यक्ष- श्रीमती ऊषा जैन, बी-54, प्रथम तल, 3-ईस्ट ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-110 093, मो. 98105-37304, सचिव निर्मल कुमार कासलीवाल, वात्सल्य भवन, जैन मंदिर मार्ग, सांगानेर-302 029, जयपुर, राजस्थान (सीनियर हायर सेकेण्डरी तक के छात्रों हेतु, अंतिम तिथि - 15 जुलाई)

पंजाब :-

80. वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल, चंडीगढ़ रोड, जमालपुर- 141 011, लुधियाना, पंजाब

पश्चिम बंगालः-

81. बैजनाथ सरावगी स्मृति निधि, जैन हाउस, 8/1- एस्प्लेनेड (पूर्व), कोलकाता-700 069, पश्चिम बंगाल, ट्रस्टी- निर्मल कुमार सरावगी
82. श्री लार्ड महावीर फाउंडेशन, 10-प्रिंसेप स्ट्रीट, दूसरा तल्ला, कोलकाता-700 072, पश्चिम बंगाल, फोन- (033) 22256851, 40022880, E-mail-info@arrission.in

मध्य प्रदेशः-

83. चौधरी लखमीचन्द श्रीमतीबाई पारमार्थिक ट्रस्ट, चौधरी ट्रैक्टर्स, इंदिरा पार्क, अशोक नगर- 473 331, मध्य प्रदेश, सम्पर्क- रमेश चौधरी- मो. 94251-32055

84. चन्दनमल चोरडिया, फ्लैट नं. 102, पुष्परत्न श्रीपति बिल्डिंग, दिलपसंद टॉवर के पीछे, दिलपसन्द कॉलोनी , रेसकोर्स रोड, **इंदौर**- 452 001, मध्य प्रदेश (आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घर की रिपेयरिंग, नया बनवाना, आर्थिक मदद देना)
85. महावीर शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, महावीर ट्रस्ट, 63-महात्मा गाँधी मार्ग, तुकोगंज मेन रोड, **इंदौर**- 452 001, मध्य प्रदेश, फोन (0731)2527483, E-mail-mahaveertrust@rediffmail.com
86. श्री दिगम्बर जैन असहाय विधवा सहायता फण्ड जँवरीबाग, नसिया, इंदौर-452 001, मध्य प्रदेश (सन् 1908 में स्थापित)
87. श्री दिगम्बर जैन बजाजखाना सुकृत फण्ड, 21- साठा बाजार, इंदौर-452 002, मध्य प्रदेश
88. श्री जैन सेवा समिति, 52- भगवान महावीर मार्ग (उपाश्रय), इंदौर-452 002, मध्य प्रदेश ' संपर्क- वीरेंद्र नागदा
89. श्रीमती सरस्वती देवी जैन छात्रवृत्ति, मेसर्स - ट्रेड अपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड, 49-50, रेडीमेड काम्पलेक्स, परदेशीपुरा, **इंदौर**- 452 003, मध्य प्रदेश, फोन-(0731) 4703400, गौरव डोसी- मो. 78699-12855, रमेश कासलीवाल- मो.- 94259-05735, अध्यक्ष-एस.के.जैन, सचिव- डॉ. अनुपम जैन- मो. 94250-53822
90. अल्पसंख्यक वर्ग कोचिंग, कोठारी इंस्टीट्यूट, राजवाड़ा, इंदौर- 452 007, मध्य प्रदेश
91. जैन सोसायटी फॉर डेवलपमेण्ट ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन इंदौर, द्वारा -डॉ० अनुपम जैन, निवास-डी-14, सुदामा नगर, इंदौर-452 009, मध्य प्रदेश, कार्यालय- कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, 584-एम.जी.रोड, तुकोगंज, इंदौर-452 001, मध्य प्रदेश, फोन- (0731) 2545421 (का.), 2797790 (नि.), मो. 94250-53822, E-mail - anupamjain3@rediffmail.com, संस्थापक- राजीव जैन, अमेरिका, सुपुत्र-एस.के.जैन, प्रेसिडेण्ट-इण्डोरामा, श्रीमती चित्रा जैन
92. शान्तिकिशन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट 34-विला पर्ल, भूमि एन्क्लेव, सिल्वर स्प्रिंग फेस-1 ए. बी. रोड बाईपास, इंदौर- 452 010, मध्य प्रदेश, संपर्क- जितेंद्र कोठारी, नीतू कोठारी
93. 'ज्ञानम्' योजना, द्वारा- अजीत मूथा, सम्पादक-जैन जयति शासनम् , जी-1 गोमटेश अपार्टमेण्ट्स, 17-महावीर नगर, कनाडिया रोड, इंदौर-452 018, मध्य प्रदेश, फोन-(0731) 3253142, मो. 94254-80166, 95758-72652, E-mail-ajitmutha01@yahoo.com
94. बहादुरलाल अमृतलाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबूलाल अमृतलाल जैन हॉस्टल, 15-कंचन बाग, इंदौर-452 077, मध्य प्रदेश, फोन (0731) 2526613, 2526612, 2510075, www.bljaincharitabletrust.org, पंजीकृत कार्यालय-ए- 52, सिल्वर अपार्टमेन्ट्स शंकर थाने का मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई- 400 028, महाराष्ट्र
95. श्री देव पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर ट्रस्ट, संपर्क धमेंद्र सेठ, श्रीमन्त भवन, नानक वार्ड, खुरई-470 117, सागर, मध्य प्रदेश, मो. 98268-21702
96. जांगड़ा पोरवाड़ असहाय सहायक फण्ड, खण्डवा- 450 001 मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-देवेन्द्र भाई विमलचन्द सर्राफ, संपर्क- श्रीमती सुरेश जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, फोन-0731- 2103433
97. श्रीमती त्रिवेणी लखमीचंद जैन स्मृति सेवा न्यास, देवरी कलाँ-470 226, सागर, मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-प्रमोद जैन (कोयला वाले), बिलासपुर, छत्तीसगढ़- मो. 94252-20709, 96304-30000, संचालक-अकलेश जैन, देवरी कलाँ, मो. 93012-32070, 78695-63108
98. राष्ट्रीय दिगम्बर जैन युवा महासंघ, 595-दीप टॉवर, महाकौशल स्कूल के पीछे, कछियाना चौक,

जबलपुर-482 002, मध्य प्रदेश, पंकज जैन (एम.डी.)- मो. 94249-25917, पवन जैन (एल.आई.सी.)-942515843, राजा जैन (अरविन्द)-मो. 94246-00008

99. प्रमोद शास्त्री स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट, बड़ा मलहरा -471311, छतरपुर,मध्य प्रदेश, संपर्क- पं. जिनेन्द्र सिंघई, पं. खुशालचन्द जैन, मो. 94240-85695, 98892-97968 (कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों हेतु)
100. श्री स्व. सिंघेन रुक्मणिबाई छात्रवृत्ति फण्ड, इटावा, बीना-470 113, सागर, मध्य प्रदेश, संपर्क- रोजश सिंघई- 98934-81016
101. श्री महावीरप्रसाद कंचनलता पहाड़िया, महावीरप्रसाद दिलीप कुमार ट्रस्ट, बुरहानपुर-450 335,मध्य प्रदेश
102. श्री दिगम्बर जैन छात्रवृत्ति फण्ड, अध्यक्ष-डॉ. सुरेन्द्र कुमार, एल-65 न्यू इंदिरा नगर, बुरहानपुर-450 331, मध्य प्रदेश, मो. 98265-65737, सचिव-पं. पवन कुमार जैन 'दीवान' श्री महावीर भवन, दत्तपुरा, मुरैना, 476 001 मध्य प्रदेश, मो.- 94253-64534
103. सेठ गुलाबचन्द विजयकुमार चौधरी छात्रवृत्ति एवं सहायता ट्रस्ट, ई-2/144, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल- 462 016, मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-एडवोकेट विजय चौधरी, फोन-(0755) 2464415, मो. 98260-56441 E-mail-choudharyadvocates@gmail.com
104. ज्ञानोदय विद्यापीठ, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वल्लभ नगर, बीएचईएल, भोपाल-462 021, मध्य प्रदेश, फोन- (0755) 26217181, फैक्स-0755-2621723, मो. 94253-72634, 94243-22999, E-mail-vimbhopal@rediffmail.com
105. मातेश्वरी साकरबाई जैन छात्रवृत्ति फण्ड, माधवगंज, विदिशा -464 011, मध्य प्रदेश, संपर्क- संजय सेठ- 93290-80835 (पी-एच. डी. शोध उपाधि हेतु)
106. भगवानदास शोभालाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, चमेली चौक, सागर-470 002, मध्य प्रदेश, फोन-(07582) 268049, 268017, 268002, 268006, 268020, 268060, फैक्स-(07582) 268060, E-mail-sagarmp@hotmail.com
107. विद्यासागर विद्यानिधि, संतोष जय सन्दर्भ कॉम्पलेक्स, कटरा बाजार, सागर-470 002, मध्य प्रदेश, फोन (07582) 243755, 221736, 222075, 244475, संतोष जैन बैटरी वाले- 94258-90921, मंत्री- हीरालाल जैन- 98932-87628

महाराष्ट्र :-

108. दिगम्बर जैन धाकड़ महामण्डल, गोरखसन रोड, सहकार नगर, अकोला- 444 002, महाराष्ट्र
109. भारत चैरिटेबल ट्रस्ट, जे-78, एम. आई. डी. सी., कुपवाड़- 416 436 सांगली, महाराष्ट्र, संपर्क- महावीर पाटील/संतोष पाटील- 85549-91377, 85549-91454, फोन-(075) 881-71050, www.becmpl.com/trust Email-bharat.charity@becmpl.com
110. श्री तवनप्पा अप्पाराव पाटने ट्रस्ट, साहूपुरी, कोल्हापुर-416 012, महाराष्ट्र
111. डॉ. भरमू एम. चौगुले चैरिटेबल ट्रस्ट, रो. हाउस नं. 18 वसन्त विहार, पोखरण रोड नं. 2 ठाणे (पश्चिम)-400 601, महाराष्ट्र, फोन-(022) 21710718
112. ओसवाल शिक्षण संस्था, सुराणा चैम्बर, सदर, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र
113. आनन्द प्रतिष्ठान, सेवन लब्स के सामने, शंकर सेठ रोड, पूना-411 002, महाराष्ट्र
114. गौतम लब्धि फाउंडेशन,नगर रोड, पूना-411 004, महाराष्ट्र, मो. 98220-02459, 98905-44566

115. लीला पूनावाला फाउंडेशन, फिला विला, 101/102, सर्वे नं. 23, बालेवाड़ी, डी. मार्ट के पास, बनेर, पूना-411 004 महाराष्ट्र, फोन- (020) 27224264, 27224265, E-mail-kalyan@lilapoonawalafoundation.com (केवल लड़कियों के लिए)
116. श्री जिनकुशल सेवा मण्डल, 384-नवी पेठ, अमर अपार्टमेंट्स विट्ठल मंदिर के पास, पूना-411 004, महाराष्ट्र (कक्षा 1 से 10वीं तक, पूना वालों के लिए), मो. 94220-85860, 94220-10008
117. सन्मति तीर्थ, फिरोदिया हॉस्टल, 844- शिवाजी नगर, बी.एम.सी. रोड, पूना-411 004, महाराष्ट्र (केवल प्राकृत भाषा के लिए)
118. अखिल महाराष्ट्रीय जैन संघटना, एफ.सी.रोड, शिवाजी नगर, पूना- 411 005, महाराष्ट्र
119. श्री जीवप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट, बी-4 पद्मवन सोसायटी, जगताप डेयरी के सामने, मॉडल कॉलोनी, पुणे-411 016, महाराष्ट्र, संपर्क- श्रीमती सुचेता आदेश शहा, 42-ए, 51- स्मिता बंगला, श्राविकाश्रम मार्ग, बुधवार पेठ, सोलापुर-413 002, महाराष्ट्र, फोन- (020)25653072
120. श्रीमती वसन्तीबाई पानाचन्द्र शाह चैरिटेबल ट्रस्ट, 815- सिंध को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, आंध्र, पूना-411 007, महाराष्ट्र
121. श्री पोपटलाल मानिकचंद शाह, मेसर्स-पी.वी. ब्रदर्स, 'वृन्दावन', 7-ए अत्तरेया को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, गोखले नगर रोड, 964-ए, शिवाजी नगर, पूना-411 016, महाराष्ट्र (अंतिम तिथि- 30 अगस्त)
122. विमल मुनोत फाउंडेशन, द्वारा-हरनेक्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 112, सेक्टर नं. 10, M.I.D.C भोसरी, पूना-411 026, महाराष्ट्र, फोन- (020) 66120270, मो. 96570-1884
123. एच.एस. कब्बूर एजुकेशन ट्रस्ट, 3-अमृत केशव नायर मार्ग, न्यू एम्पायर सिनेमा के बाद, फोर्ट, मुम्बई-400 001, महाराष्ट्र
124. श्री जैन केलवाड़ी मण्डल, 14-मर्जबन रोड, मुम्बई-400 001, महाराष्ट्र
125. अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन कांफ्रेंस मुम्बई, गोडीजी बिल्डिंग, दूसरा माला, त्रिभुवन बिल्डिंग-1, विजय वल्लभ चौक, 221-ए गुलालवाड़ी, पायधुनी, मुम्बई-400 002, महाराष्ट्र, फोन- (022) 23713273
126. गाँधी नाथारंगजी दिगम्बर जैनोन्नति, फण्ड, 80-बी, तीसरी मंजिल, पर्व चाल, झवेरी बाजार, मुम्बई- 400 002, महाराष्ट्र
127. वर्धमान जैन सेवा संघ, 21-गोदी जी की चाल, मुम्बई-400 002 महाराष्ट्र
128. एस.पी.जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, 533-कान्ता टैरेस कालवादेवी रोड, मुम्बई-400 002, महाराष्ट्र, फोन-(022) 22018848, 22018433, E-mail-bba@s.p.jain.org, संपर्क- रुचि भरूचा
129. श्री विजय केशव सूरि स्मारक स्कॉलरशिप ट्रस्ट फण्ड, कान्तिलाल नगीनदास झवेरी, 44/46-धनजी स्ट्रीट, मुम्बई- 400 003, महाराष्ट्र
130. जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, हीराबाग, मुम्बई- 400 004, महाराष्ट्र
131. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 170-कान्दीवली, मुम्बई-400 004, महाराष्ट्र
132. श्री मोहनलाल चन्द्रवती जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, अध्यक्ष- श्री आर. के. जैन, 7/41, सातवीं मंजिल, सुनीता अपार्टमेंट्स, सोनिया इंटरनेशनल, मेकर टॉवर के सामने, कफ परेड, मुम्बई-400 005, महाराष्ट्र, मो. 93230-03006, 99563-21008
133. श्री हीराचन्द्र गुमानजी जैन बोर्डिंग स्कूल ट्रस्ट, 148-लेमिंग्टन रोड, तारदेव ब्रिज के पास, मुम्बई-

400 007, महाराष्ट्र (अंतिम तिथि-30 जून)

134. श्री अमीचन्द डालूचन्द शाह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डालूचन्द निवास, सर भालचन्द्र रोड, माटुंगा (सेंट्रल रेलवे), मुम्बई 400 019, महाराष्ट्र
135. सूरजमल श्रीमल मेमोरियल ट्रस्ट, 4-एफ-2 (ए), कोर्ट चैम्बर्स, 35-न्यू मैरीन लाइन्स, मुम्बई-400 020, महाराष्ट्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)
136. रवीन्द्र पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट,303/304.अरिंजय चैम्बर, नरीमन प्वाइण्ट, मुम्बई- 400 023, महाराष्ट्र
137. श्रीमती बाई कलत्रे चैरिटेबल ट्रस्ट, 6-जिजामाता को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, शिव सृष्टि, कुर्ला (ईस्ट), मुम्बई-400 024, महाराष्ट्र, अंतिम तिथि- (31 जुलाई- अंडर ग्रेजुएट के लिए)
138. श्री महावीर जैन विद्यालय, 50/54-ए अगस्त क्रान्ति मार्ग, गुवालिया टेंक, मुम्बई-400 026, महाराष्ट्र,फोन- (022) 23759179, 23759399, www.smjv.org (अंतिम तिथि- 30 सितम्बर)
139. वालचन्द्र हीराचन्द्र चैरिटेबल ट्रस्ट, कंस्ट्रक्शन हाउस, बेलार्ड एस्टेट, मुम्बई-400 038, महाराष्ट्र
140. श्री वीर राघव जी गाँधी स्कॉलरशिप (शिष्यवृत्ति), द्वारा-प्रवीण हिम्मतलाल संघवी, ए-1 सरदार पटेल सोसायटी, नेहरू रोड, विले पार्ले (पूर्व) मुम्बई-400 057, महाराष्ट्र, www.jaina.org/vrgcommittee, E-mail-Ihsanghavi@yahoo.com /मो.93242-42324, अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र- डॉ. दिनेश दलाल, फोन- (022) 25127673, मो. 93240-27673, निरंजन शाह- (022) 22811660, मो. 98204-08634, हिंतलाल गाँधी-93233-31493, डॉ. विपिन भाई दोशी- 98210-52413, पंकज चांदमल-98202-49041
141. अखिल भारतवर्षीय सैतवाल दिगम्बर जैन परिषद (रजिस्टर्ड), 2- उमैया भवन को - ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-400 080, महाराष्ट्र, फोन-(020) 25680589, मो.-92244-45769
142. जैन समगणण माहिती केन्द्र, सी/ओ-झालावाड़ जैन श्वेताम्बर मूर्तिमंडल, के-2, ग्राउंड फ्लोर, मंगल कुंज, संभवनाथ देरासर के सामने, जीमली गली, बीरीबली (पश्चिम), मुंबई-400 092, महाराष्ट्र, संपर्क-हरेशभाई बारभाया- मो. 98330-39518, (कुँवारे, दिव्यांग, तलाकशुदा जैन युवक-युवितयों की सहायतार्थ)
143. सेठ केवलचंद धनजीभाई चैरिटेबल ट्रस्ट, म्हसवड़-425 432, सतारा, महाराष्ट्र, संस्थापक- बा. ब्र. डॉ. कंकूबाई केवलचन्द शाह
144. सौ. नवलबाई केवलचंद चैरिटेबल ट्रस्ट, म्हसवड़-425 432, सतारा महाराष्ट्र, संस्थापक-बा. ब्र. डॉ. कंकूबाई केवलचन्द शाह
145. जय अनन्त स्कॉलरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा- सुनीता संजय शाह, गुंजन एण्टरप्राइजेज, अमोलिक बंगला, अजिंक्य कॉलोनी के सामने,सतारा -415 001, महाराष्ट्र, मो. 98230-07274 (महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु)
146. जीवन मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट, रत्नत्रय फेब्रीकेटर्स, धामनी रोड, सांगली-416 416, महाराष्ट्र, संपर्क-सुनील पाटील, मो. 94224-10234
147. दक्षिण भारत जैन सभा 37- महावीर नगर, सांगली- 416 416, महाराष्ट्र, फोन नं (0233) 2623603 (उच्च शिक्षा हेतु अंतिम तिथि-31, अगस्त जैन धर्म परीक्षा आवश्यक, मुख्यतः आन्ध्रपदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, तेलगांना, एवं महाराष्ट्र के जैन विद्यार्थियों के लिये)

148. श्री बापू साहेब बी. चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, महावीर नगर, सांगली-416 416, महाराष्ट्र
149. सेक्रेटरी-पदवीधर संघटना, द्वारा सेठ रा.ध. दावड़ा जैन बोर्डिंग, 37- महावीर नगर, सांगली-416 416, महाराष्ट्र, फोन- (0233) 2625704
150. गाँधी नाथरंगजी दिगम्बर जैन बोर्डिंग, बालीब्स, सोलापुर-413 002, महाराष्ट्र

राजस्थानः-

151. श्रमण स्वर चित्र प्रकाशन, अकोला-312 205, चित्तौड़गढ़, राजस्थान
152. श्री जिनदत्तसूरि मंडल, दादावाड़ी, अजमेर-305 001, राजस्थान, मानद मंत्री-महेंद्र पारख, फोन (0145) 2623332, 2620357 (श्वेताम्बर जैन विद्यार्थियों को ऋण, छात्रवृत्ति, विधवा, तलाकशुदा व असहायों की सहायतार्थ)
153. अखिल भारतीय जैन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, 38-पार्श्वनाथ कॉलोनी, आंतेड, वैशाली नगर, अजमेर-305 006, राजस्थान, टेलीफैक्स- (0145) 2425003, मो. 94143-09698, आयोजन सचिव- कैलाश गदिया
154. ओजस्वी, अध्यक्ष- दर्शन बाफना, 15-एलआईजी कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर-305 006, राजस्थान, फोन-(0145) 2622902 (गरीबी रेखा से नीचे या अभावग्रस्त जैन प्रतिभाशाली छात्रों की अजमेर में शिक्षा सहायतार्थ)
155. महाप्रज्ञ सेवा प्रकल्प, गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर, राजस्थान, प्रबंध ट्रस्टी- नरेश मेहता
156. आचार्य श्री शांतिसागर छात्रवृत्ति योजना, दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन (राजस्थान रीजन) जयपुर-302 001, राजस्थान, संपर्क- सुरेश जैन (बांदीकुई)- मो. 94144-56885, राजेन्द्र बाकलीबाल- मो. 94144-3779, नवीन जैन- मो. 93145-20323, राजेन्द्र बड़जात्या- मो. 97850-74581, सुरेन्द्र पाटनी- मो. 98285-58576 (केवल राजस्थान के स्कूली छात्र-छात्राओं हेतु)
157. श्री दिगम्बर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मलजी छोगालाल, एम.आई. रोड, जयपुर- 302 001, राजस्थान
158. विधवा स्त्री एवं अनाथ बच्चा सहायता फण्ड ट्रस्ट, ठिकाना बख्शी भागचन्द्र, जयपुर, राजस्थान, कार्यालय- अशोक कुमार सुनील कमार बख्शी, 175- बख्शीजी का चौक, रामगंज बाजार, जयपुर, 302 003, राजस्थान, फोन- (0141)561696, 56438188 (विधवा स्त्री मासिक सहायता, असहाय बच्चों की शिक्षा, स्कूल फीस एवं चिकित्सा सहायतार्थ)
159. श्रीमहावीर जी छात्रवृत्ति फण्ड, दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी, महावीर भवन, सवाई मानसिंह हाइवे, जयपुर-302 003, राजस्थान, फोन-(0141) 2385247
160. सेठी बंजीलाल ठेलिया चैरिटी ट्रस्ट, बंजी हाउस, घीवालों का रास्ता, जयपुर- 302 003, राजस्थान, फोन- (0141)2564932, 2564882, मो. 93515-67490
161. जैन संस्कृति रक्षा मंच, सी-5 चिकित्सालय मार्ग, बापू नगर, जयपुर- 302 015, राजस्थान, महामंत्री-णमोकार जैन (सी.बी.एस. ई./आर.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.)
162. माँ सुपार्श्व गौरव शिक्षा प्रोत्साहन संस्थान जयपुर, श्री दिगम्बर जैन मंदिर, वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर-302 020, राजस्थान, मुख्य संयोजक- राजेंद्र बड़जात्या, www.aryikagauravmatimataji.com, अखिल भारतवर्षीय जैन युवा एकता संघ 24/253, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 98292-08208, 89469-67398, www.jainyuvaaktasamaj.com, E-mail-jainyuvaaktasamaj.com

163. सन्तोक तारा जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री लाभचंद्र कोठारी, डी- 120, कृष्णा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड, बापू नगर, जयपुर-302 025, राजस्थान, मो. 93140-03637 (श्वेताम्बर जैन 8वीं से उच्च कक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास करने वाले बच्चों हेतु)
164. गोठी चैरिटेबल ट्रस्ट,श्री लाभचंद्र कोठारी, डी- 120,कृष्णा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड, बापू नगर, जयपुर- 300 025, राजस्थान, मो. 93140-03637 (श्वेताम्बर जैन विधवाओं, 1500 रुपया मासिक आयवाले कमजोर परिवार की सहातार्थ)
165. श्री अखिल भारतवर्षीय सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ, साधर्मी सहायता, सिटी पुलिस के सामने, जोधपुर-342 001, राजस्थान, फोन- (0291) 2626145
166. अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, समता भवन, आचार्य श्री नानेश मार्ग, जैन पी. जी. कॉलेज के सामने, नोखा रोड, बीकानेर-334 001, राजस्थान, फोन- (0151) 3292177, 2544867, फैक्स- (0151) 2203150
167. श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन महिला समिति, बीकानेर-334 001, राजस्थान, संपर्क- श्रीमती प्रेमलता मंगलकुमार पिरोदिया, 108- चाँदनी चौक, रतलाम-475 001, मध्य प्रदेश, फोन- (07412)232227, अध्यक्ष-श्रीमती शोभादेवी बैद
168. लक्ष्मीदेवी बांठिया साधर्मी सहायता फण्ड, श्री घेवरचन्द्र बांठिया, ब्यावर-305 901, अजमेर, राजस्थान, फोन- (01462) 251216, 257699
169. रतनलाल कंवरलाल पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा- आर. के. मार्बल प्रा. लि., मकराना रोड, मदनगंज-किशनगढ़- 305 801, अजमेर, राजस्थान, फोन (01463) 250501 से 250505 तक (का.) 250601 से 250610 तक (नि.) टेलीफैक्स- (01463) 250601, www.rkmarble.com, E-mail-info@rkmarble.com
170. ऋषभदेव चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघीजी, जैन मंदिर रोड, सांगानेर-302 029, जयपुर, राजस्थान, फोन- (0141)2730390, 3227338, फैक्स- (0141)2731952, www.jaininfo.org

हरियाणाः-

171. श्री लखमीमल जैन छात्रवृत्ति ट्रस्ट, अग्रवाल मेटल वर्क्स लिमिटेड, झज्झर रोड, रेवाड़ी-123 401, हरियाणा
172. श्री आत्मानंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी (ए.आई.एम.टी.), जैन कॉलेज रोड, अम्बाला सिटी-134 003, हरियाणा, फोन- (0171) 2518570 (का.), टेलीफैक्स- (0171) 2518670, E-mail- director@aimtambala.com, aimtdirector@gmail.com

अमेरिकाः-

173. Dr. Arvind Shah, 36-Regent Dr. Oak, Brook IL- 60521, U.S.A. (offers Scholarships to Jain Students in U.S.A)
174. Boston Jain Center, 83-Fuller Brook Road, Wellesley MA 02181, U.S.A. (for Jain Students in New England States)
175.. Jain Foundation INC, 9725-Third Avenue, NE, Suite, 204-Stattle, Washington- 98115, U.S.A., Phone- (425) 8821492, Fax-(425) 6581703, E-mail-admin@jainfoundation.org

लेखिका के बारे में

नाम	:	बबीता जैन
जन्म स्थान	:	मोदीनगर (यूपी)
शिक्षा	:	एमए (अर्थशास्त्र), बीएड।
वर्तमान व्यवसाय	:	शिक्षण
शौक	:	स्तरीय हिंदी साहित्य सृजन।

श्रीमती बबीता जैन मोदीनगर के एक धार्मिक और प्रसिद्ध सामाजिक परिवार में पैदा हुई थीं। बचपन से ही वह एक मेधावी छात्रा थीं। उन्होंने मोदीनगर से स्वर्ण पदक के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनके पिता श्री रमेश चंद जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता और कई धार्मिक संस्थानों से जुड़े थे। वह बचपन से ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाली थीं।

शादी के बाद उन्होंने एक सद्गृहणी बनने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान वह कई सामाजिक गतिविधियों में लगीं रहीं। बारह वर्षों तक वह वंचित छात्रों को निःशुल्क पढ़ा रही थीं। 2011 में, उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया और सरकारी क्षेत्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। हालाँकि वह पेशे से शिक्षक हैं लेकिन लेखन का जुनून है और हिंदी साहित्य में अपने फ्रीलांसर लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। वह उप-संपादक के रूप में मासिक पत्रिका 'दिव्य देशना' से जुड़ी हुई हैं। उनकी प्रथम पुस्तक "समाज सुधारक भारतीय महिलाएँ" राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित हो चुकी हैं।

वह अल्पसंख्यक अधिकारों के कार्य से बहुत जुड़ी हुई हैं और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन कर चुकी हैं। वह उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन से निकटता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक लाभों पर विभिन्न स्रोतों से सारी जानकारी एकत्र कर उसे इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है।

अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों को इस पुस्तक में एक ही स्थान पर रखा गया। अगर इस पुस्तक में कुछ भी छूट गया है, तो उसे लेखिका को सूचित किया जा सकता है ताकि इसके अगले संस्करण में संकलित किया जा सके।

संपर्क	:	द्वितीय आर एम, 112 ए, सेक्टर-2, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद - 201005
जिला	:	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
ई-मेल	:	babita73jain@gmail.com

आचार्य शांतिसागर 'छाणी' परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य
राष्ट्रसंत पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज

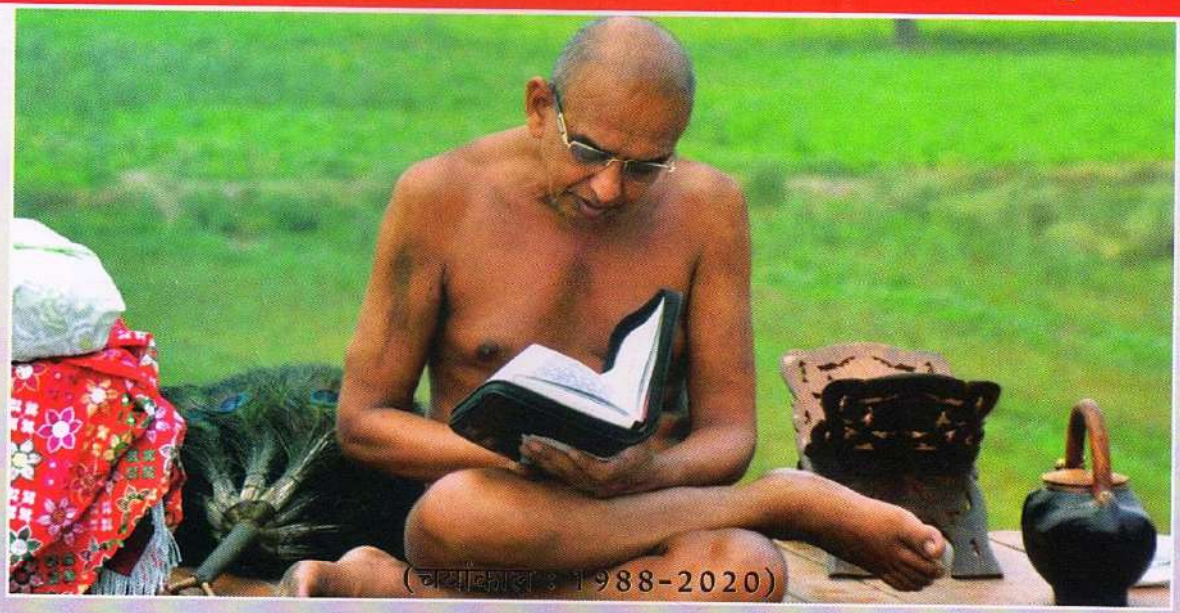

पूज्यश्री थे एक मुक्ति साधक, एक समन्वयी मानवात्मा, जिनके अंतस् में होता था अध्यात्म, विज्ञान और कला का अपूर्व संगम; एक अनूठा सर्जन और अद्भुत समवाय एकांतिकता का अनेकांतिकता में। उनके उदार और उदात्त चिंतन के प्रकर्ष से भारतीयता को एक नई वितति प्राप्त हुई है। उनके संवेदी चित्त में बसा एक ऐसा कलाकार था जिसकी मर्मज्ञ दृष्टि में, प्रत्येक कर्म में, व्यवहार में एक व्यवस्था थी, निज पर शासन था, पुरातन की अधुनातन व्याख्या का सामर्थ्य था जो अतीत और वर्तमान के बीच सहज ही बना लेता था एक सेतुबंध, समन्वय का और इन सबसे आगे झलकता प्रतिपल उनका पारदर्शी मन, जो उनके अनुक्षा-ऊर्ध्वग-स्वरूप को उदात्ततम स्वरूप में प्रस्तुत करता रहा।

श्रुत संवर्द्धन संस्थान

मेरठ (उ०प्र०)